खण्ड-275, अंक-2
सोमवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1889
(18 दिसम्बर, 1967 ई0)

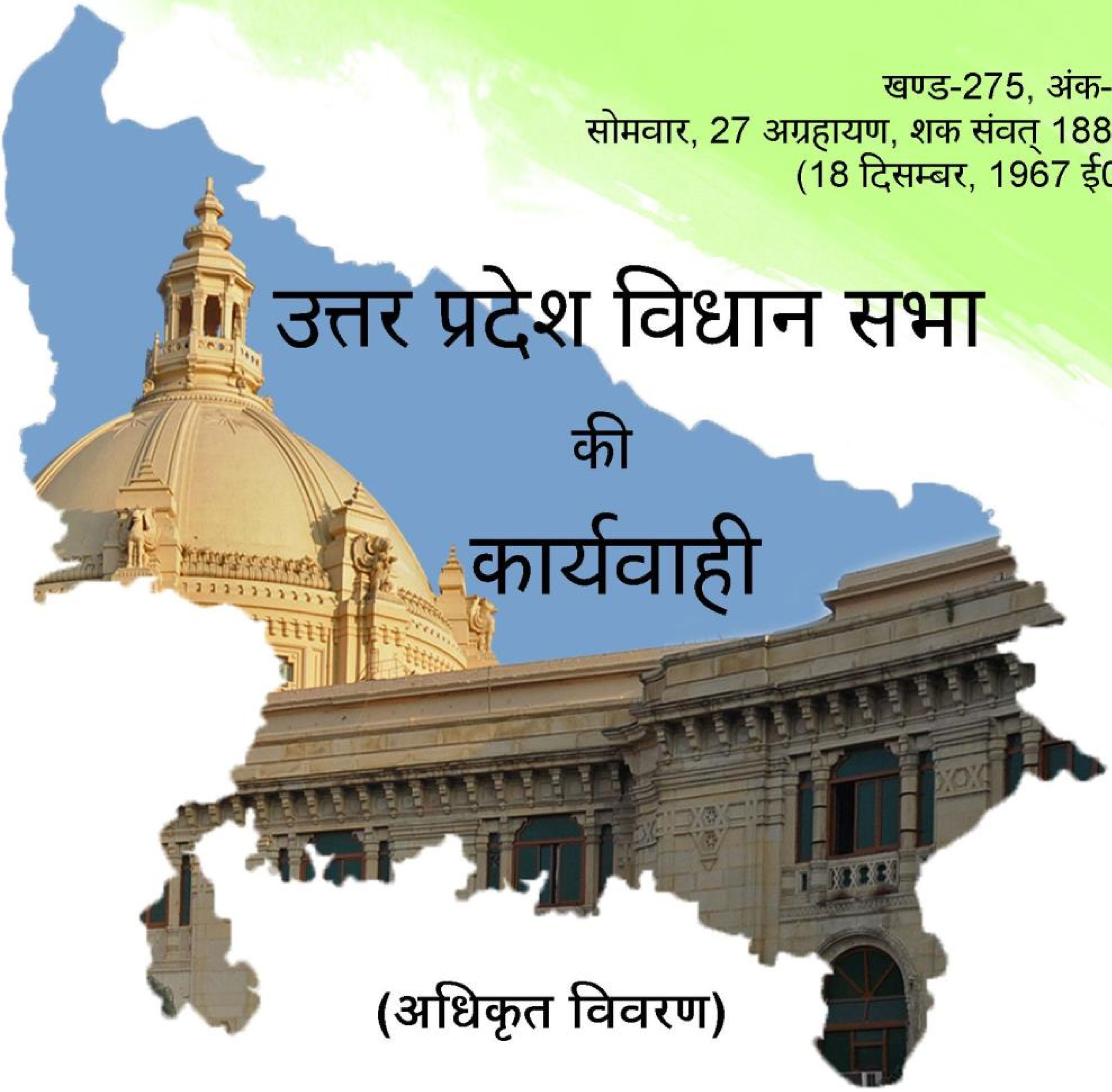

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 275 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १८ दिसम्बर, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०८

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, जायसवाल श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह शर्मा, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुर
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काली चरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर मिश्र, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
कंवार राज जंगबहादुर राणा, श्री

केशरी लाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूंबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल चौधरी, श्री
गिरिराजसिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल रामदास, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शम , श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मराजसिंह, श्री
धमवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री

नरदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह बिशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव बि ार , श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महरामसिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री

मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झाँसी)
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राधश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन श्री
रामसरन सिंह, श्री
रमसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री

रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ यादव, श्री
लक्ष्मीरमण आचर्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमारपाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्नाथसिंह, श्री
विष्णुस्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्र राम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १८ दिसम्बर, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

दिवारी पाइप लाइन पेय-जल योजना

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा की बैठक दिनांक २३ अगस्त, सन् १९६२ ई० को प्रश्न संख्या २१६ के क्रम पर, दिवारी पाइप लाइन के सम्बन्ध में जो जांच की जा रही थी उसका क्या परिणाम अब तक निकला ?

सामुदायिक विकास उप मन्त्री (श्री रूपनाथ यादव)—

नियोजन समिति, नैनीताल ने इस योजना को अन्य पेय-जल योजनाओं के साथ चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने हेतु सम्मिलित कर लिया है और यह मामला अब स्वायत्त शासन (ख) विभाग के विचाराधीन है।

*२—श्री इन्द्रलाल—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस पेय-जल योजना में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री रूपनाथ यादव—

यह मामला तकनीकी होने के कारण सर्वेक्षण तथा आवश्यक जांच पड़ताल हेतु विभिन्न विभागों के विचाराधीन रहा।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अलावा और कौन-कौन-सी योजनाय हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

इसकी सूची तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री इन्द्रलाल—

इस योजना में विभाग बदलने की क्यों आवश्यकता सरकार को पड़ी ?

श्री जयराम वर्मा—

इस तरह की योजना पहले सामुदायिक विकास खण्ड के अन्तर्गत होती थी और सामुदायिक विकास विभाग ही उसे डील करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह उससे हटाकर स्वायत्त शासन विभाग के सुपुर्द कर दी गई। पहले जब यह प्रश्न उठा था कि ऐसी भी कोई योजना भेजी गई है, उसी बीच म जिस गांव का इसमें उल्लेख है, वह एक खण्ड से दूसरे में चला गया। दूसरे विकास खण्ड अधिकारी के पास कोई सूचना नहीं थी। बाद में पता चला। फिर उसके बाद जांच कराई और सिंचाई विभाग न इसकी योजना बनाई। उसी बीच में यह विभाग बदल गया और इस वजह से भी कुछ देर हुई। अब इस उम्मीद में कि शायद इसकी मजूरी मिल

जाय, इसके एस्टीमेट्स वगैरह बना लिए गए हैं स्वायत्त शासन (ख) विभाग में वह योजना पड़ी हुई है। जब इसकी मंजूरी भारत सरकार से हो जायगी तो फिर यह सरकार उसे मंजूर करे या न करे, जो कुछ भी हो, तब योजना को लागू करने का प्रश्न उठेगा।

शाहजहांपुर जिले में गन्ना समितियो द्वारा ऋण वितरण

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर के गन्ना अधिकारी द्वारा गत दो वर्षों में ८०,००० (अस्सी हजार) रुपए कर्जा तथा सब्सिडी के रूप में फर्जी नामों पर दिया गया है, जो अब तक वसूल नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इसकी जांच कराने की कृपा करेगी, क्योंकि सम्बन्धित गन्ना अधिकारी जुलाई, १९६७ में पेंशन पर जा रहे हैं?

गन्ना विकास उप मन्त्री (श्री महीलाल)—

शाहजहांपुर की दो गन्ना समितियां अर्थात् रोजा और शाहजहांपुर द्वारा दो वर्षों में ९२,६५० रु० का ऋण वितरित किया गया जिला गन्ना अधिकारी द्वारा ऋण स्वयं वितरित नहीं किया गया। उक्त धनरशि में से ६३,००० रु० का ऋण समितियों ने ऐसे व्यक्तियों को दिया जिन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया और न ही वे उस ऋण के योग्य थे। शासन द्वारा सिटी मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के माध्यम से प्रारम्भिक जांच करा ली गई है और उसके आधार पर मामला पुलिस ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दे दिया गया है। पुलिस की कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा है।

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मन्त्री को यह भी पता है कि सन् १९६२–६३ में ५ हजार मन गन्ने का बीज भी फर्जी नामों पर दिया गया जोकि अब वसूल नहीं हो सकता, जिससे गन्ना संघ व उत्पादकों में घोर असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो दोषी लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री महीलाल—

जी नहीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह कर्जा देने का कोई माप दण्ड है कि किस आदमी को कितना दिया जाय और किसकी सिफारिश पर यह कर्जा दिया गया?

श्री जयराम वर्मा—

जिन कर्मचारियों ने सिफारिश की उन्होंने गलती की और इस वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि डी० सी० ओ० श्री अलवी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उन्हीं का इसमें सबसे बड़ा हाथ है और उन्हें किस प्रकार से दण्ड दिया जायगा?

श्री जयराम वर्मा—

अगर वह दोषी सिद्ध हुए तो उनकी पेंशन पर असर पड़ सकता है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या सरकार को यह पद्धति मालूम है कि जो रुपया गन्ना समितियों के जरिए किसानों को दिया जाता है वह जब काश्तकार अपना गन्ना कारखानों में डाला करते हैं तब वसूल कर दिया जाता है? यदि हां, तो इन मामलों में ऐसी पद्धति क्यों नहीं बरती गई?

श्री जयराम वर्मा--

यह ६३,००० रु० ऐसे लोगों को दिया गया जो सचमुच में किसान नहीं थे और उनके पास कोई जमीनें नहीं थीं। उन्होंने खतौनी के जाली इन्तखाब दाखिल किए और सोसाइटी के सेक्रेटरी तथा सी० डी० आई० ने भी सिफारिश कर दी। बगैर इस बात को देखे हुए कि उनके पास सही-सही जमीन है भी या नहीं, गन्ना बोते हैं या नहीं, उनको रुपया मिल गया। इस दोष के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

*५-६--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

[स्थगित किये गये।]

शाहगंज क्षेत्र में सिंचाई कूपों से सम्बन्धित देय छूट

*७--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिला केन अधिकारी, फैजाबाद के अन्तर्गत जोन शाहगंज में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत बने हुये सिंचाई के कूपों की सन् १९६२ से १९६५ तक की छूट किसानों को नहीं दी गई है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री महीलाल--

जिला केन अधिकारी, फैजाबाद के अन्तर्गत जोन शाहगंज में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६२-६३ से १९६४-६५ तक बने हुये सिंचाई के कूपों पर देय छूट कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण किसानों को नहीं दी जा सकी थी। इस वर्ष प्रबन्ध किया जा रहा है कि जिन कूपों पर अनुदान देय है उन पर भुगतान कर दिया जाय।

श्री माताप्रसाद--

कौन-सी प्राविधिक कठिनाइयों के कारण ६२ से ६५ तक का रुपया किसानों का छूट का बकाया रहा है?

श्री जयराम वर्मा--

कठिनाई यह थी कि पहले यह कर्जा गन्ना समितियां दिया करती थीं। उसका निबन्धन भी गन्ना समितियों के द्वारा ही कराया जाता था इसकी सूचना सामुदायिक विकास खंडों में जाती थी और अनुदान मिलता था सामुदायिक विकास खंडों से। दोनों में ठीक सायोग या सामंजस्य न होने के कारण जिन किसानों को कुंवें बनाने के आधार पर सबसिडी मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिल सकी। इसलिये देर हो गई। अब नियमों में तब्दीली कर दी गई है और कठिनाई नहीं होगी।

श्री माताप्रसाद--

१९६२ से १९६५ तक का कितना रुपया छूट का बकाया है।

श्री महीलाल--

शाहगंज जोन में जौनपुर क्षेत्र का ७७,६२५ रुपया और आजमगढ़ क्षेत्र का ४४,७५० रु० बकाया है।

*८--श्री चन्द्रशेखर सिंह (जिला बस्ती)--

[७में शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सीतापुर जिले में श्री पेशावरीलाल को नलकूप निर्माण तकावी

*९—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री विशुन प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री रामनाथ (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या सीतापुर जिले में एक ट्यूबवैल बनाने के लिये ३० जून, १९६६ से ३० अप्रैल, १९६७ के बीच श्री पेशावरी लाल आदि को १०,००० रुपया (दस हजार रुपया) दिया गया ? यदि हां, तो उन्होंने इसके सिलसिले में जो जमीन लिखाई है वह जमीन केन्द्रीय सरकार की है ?

श्री रूपनाथ यादव—

जी हां, श्री पेशावरी लाल को एक नलकूप बनाने के लिये १०,००० रु० की तकावी उक्त अवधि में दी गई, परन्तु बन्धक में लिखाई गई जमीन केन्द्र सरकार की नहीं है ।

*१०—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री विशुन प्रताप सिंह तथा श्री रामनाथ—

क्या यह सही है कि इस रुपये के दिलाने के लिये प्लानिंग आफिसर, सीतापुर, एस० डी० ओ० मिसरिख, तहसीलदार मिसरिख, बी० डी० ओ० मिसरिख, चकबन्दी अधिकारी मिसरिख की सिफारिश थी तो उसका क्या आधार था ?

श्री रूपनाथ यादव—

इस रुपये को दिलाने के लिये बी० डी० ओ० मिसरिख व जिला नियोजन अधिकारी सीतापुर की सिफारिश थी और किसी की नहीं । इसका आधार पटवारी द्वारा दिया हुआ इंतखाब तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई जांच थी ।

[१८ दिसम्बर, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मिठाइयों के बढ़ते दाम

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) तथा श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में मिठाइयों के दाम हाल ही में हलवाइयों ने मनमाने ढंग से बढ़ा दिये हैं, जब कि हलवाइयों को परमिट से चीनी दी जाती है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

खाद्य उपमंत्री (श्री शमीम आलम)—

मिठाई के दाम हाल ही में कुछ अवश्य बढ़े हैं, परन्तु मिठाइयों के दाम केवल चीनी ही पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि दूसरी और वस्तुओं पर भी निर्भर हैं जैसे घी, खोया इत्यादि जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है ।

*२—श्री मुक्तिनाथ राय तथा श्री विश्वनाथसिंह—

*२—क्या सरकार मिठाईयों की दुकानों पर कीमतों की लिस्ट लगवाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

श्री शमीम आलम—

ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अपने उत्तर में जरा यह और स्पष्ट कर दें कि हलवाइयों को अब चीनी के परमिट दिये जाते हैं या नहीं, क्योंकि यह उत्तर बहुत पुराना है ।

श्री शमीम आलम—

इस समय नहीं दिये जाते। अब सूरत बदल गई है, केन्द्रीय सरकार के आदेश के मुताबिक, बल्कि कन्ट्रोल को चीनी नहीं दी जाती।

श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि और चीजों की भाँति मिठाई के बढ़ते हुये दामों को देखते हुये, मिठाई के दामों को निश्चित करने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री शमीम आलम—

अब यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हलवाइयों को चीनी अब नहीं दी जाती।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि जैसे आप और चीजों के मूल्यों पर नियंत्रण करते हैं तो क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि मिठाई के दाम भी इस समय निश्चित किये जायं ?

श्री शमीम आलम—

इसके लिये अलग नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

अभी भी सरकार मैदा का कोटा हलवाइयों को देती है तो क्या उससे बने सामान के दाम निश्चित करने के बारे में सरकार सोच रही है ?

श्री शमीम आलम—

इस समय तो सरकार के विचाराधीन यह मामला नहीं है। अगर अलग से आप प्रश्न देंगे तो उसको देख लिया जायगा।

बाराबंकी जिले में सिंचाई व्यवस्था

*३—श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सन् १९६६–६७ ई० में कुल कितने प्रार्थना-पत्र बिजली की लाइन तथा कनेक्शन प्राप्त करने के काश्तकारों ने दिये और उसके संबंध में क्या व्यवस्था की गई ?

श्री रूपनाथ यादव—

जिला बाराबंकी के उक्त दोनों विकास क्षेत्रों में वर्ष १९६६–६७ में कुल १२८ प्रार्थना पत्र बिजली की लाइन तथा कनेक्शन प्राप्त करने के लिये कृषकों ने दिये। उनमें से ९६ प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये। ८ कृषकों को कनेक्शन दिये गये तथा सात मामलों में बिजली के खंभे गाड़ दिये गये हैं।

*४—श्री जंगबहादुर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त विकास क्षेत्र में कुल कितने ट्यूबवेल बिजली द्वारा किन-किन ग्रामों में चल रहे हैं और कितने एकड़ भूमि सींची गई ?

श्री रूपनाथ यादव—

विकास क्षेत्र हैदरगढ़ में कुल १० नलकूप बिजली द्वारा बम्बरौलीगढ़ा, अंसारी, सुबेहा, हैदरगढ़ व बहरामपुर, ग्रामों में चल रहे हैं और इन से ८४ एकड़ भूमि सींची गई। परन्तु विकास क्षेत्र त्रिवदीगंज में बिजली से चालित एक भी नलकूप नहीं है। अतः वहां कोई भी सिंचाई नहीं हुई।

श्री फूल सिंह (जिला सहारनपुर)—

जिन नलकूपों के लिये बिजली के प्रार्थना-पत्र मंजूर हुये वे पुरानी स्कीम के मातहत मंजूर हुये या नई स्कीम के मातहत ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो पहले के ही सन् ६६–६७ के थे ।

श्री जंग बहादुर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेणीगंज के कब और कितने प्रार्थना-पत्र दिये और किसानों ने बिजली के लिये कितना रुपया जमा किया ?

श्री रूपनाथ यादव—

त्रिवेणीगंज से ८४ प्रार्थना-पत्र आये हैं, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट इस समय नहीं है, उसके लिये सूचना की जरूरत है ।

टेहरी गढ़वाल जिले में अनाज की मात्रा बढ़ाने की प्रार्थना

*५—श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार भविष्य में टेहरी गढ़वाल में अनाज की मात्रा बढ़ा रही है यदि हां तो कितना ?

श्री शमीम आलम—

जी नहीं ।

श्री इन्द्राणी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पहाड़ों में जहां अनाज नहीं होता, उनको भूखा मारने की सरकार की कोई स्कीम है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायगे कि प्रदेश के इन पहाड़ी जिलों में जिनमें से टेहरी भी है किस आधार पर सरकार गल्ला सप्लाई करा रही है ?

श्री शमीम आलम—

६ किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास, जिसमें से ५ किलो गेहूं, आटा या चावल और एक किलोग्राम मोटा अनाज यदि उपलब्ध हो, यह शहरी क्षेत्रों के लिये है और ग्रमीण क्षेत्रों के लिये ३५ रुपये का अनाज प्रति मास प्रति परिवार दिया जाता है जिसमें से २२ रुपये का गेहूं या आटा और ६ रुपये का आटा या चावल और ७ रुपये तक का मोटा अनाज दिया जाता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सरकार ने इन इलाकों में खाद्यान्नों की कमी का क्या अन्दाजा कूता है, वहां उनके हिसाब से कितनी कमी है या कितना डेफिसिट है ?

श्री शमीम आलम—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में कितने दिनों से किन-किन खाद्यान्नों का वहां पर समुचित वितरण नहीं हुआ है ?

श्री शमीम आलम---

इन पहाड़ी इलाकों में जो अनाज सप्लाई किया गया है, उसकी सूची में पढ़कर सुनाये देता हूं । .....

श्री अध्यक्ष---

केवल टेहरी गढ़वाल के लिये बताइये ?

श्री शमीम आलम---

टेहरी गढ़वाल में जो माहवारी कोटा है, इसका ब्योरा इस प्रकार है . . .

श्री अध्यक्ष---

ब्योरे की आवश्यकता नहीं है । वे पूछ रहे हैं कि कौन सा अनाज उपलब्ध नहीं है ।

श्री शमीम आलम---

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस जिले में प्रति व्यक्ति ग्रामीण इलाके में और प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होती है । इनके बारे में सरकार के पास क्या आंकड़े हैं ?

श्री शमीम आलम---

श्रीमन्, इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---

चूंकि टेहरी गढ़वाल में अनाज की पैदावार कम होती है और सप्लाई भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है, जिसके कारण वहां पर भाव बढ़ गये हैं । क्या यह सही है ?

श्री शमीम आलम---

ऐसी सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य नोटिस दें तो सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न के प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने नोटिस की मांग की है । इसके संबंध में आपकी व्यवस्था है कि जब माननीय मंत्री जी प्रश्नों के उत्तर देने के लिये आयें तो वे अच्छी तरह से अध्ययन करके आयें । कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जानकारी माननीय मंत्री जी को होनी चाहिये लेकिन हर प्रश्न के उत्तर में वे नोटिस की मांग कर रहे हैं । इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री जी को समझा दें कि भविष्य में या तो वे अध्ययन करके आयें अथवा संबंधित प्रश्नों को स्थगित करा लें ?

श्री अध्यक्ष---

मैं स्वयं इस ओर कह चुका हूं । इस प्रश्न की परिधि बहुत सीमित है । जो यहां पर नीति के प्रश्न किये गये वे बहुत व्यापक हैं । फिर भी माननीय मंत्री जी यदि तैयार होते तो बहुत अच्छा था ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सीमान्त क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में फौज में रहते हैं और वहां पर अधिकतर महिलायें और बच्चे ही रहते हैं, तो उनको गल्ला पूरा न पहुंचने से एक प्रतिकूल व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उस प्रभाव को बचाने के लिये मंत्री जी क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या करेंगे, क्या कोई आश्वासन देंगे ?

श्री शमीम आलम--

पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से पहले ही ज्यादा गल्ला दिया जा रहा है। अगर सरकार आवश्यकता समझेगी तो जरूरी कदम उठायेगी।

*६--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गड़बड़झाला पार्क, लखनऊ में दुकानों का निर्माण

७--श्री राधेश्याम कपूर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गड़बड़-झाला पार्क (नगरमहापालिका) लखनऊ, विगत ३-४ वर्षों से बनाया जा रहा है पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे बहुत दुकानदारों को जिनकी दुकाने खुदवा दी गई हैं बच्चों का पालन-पोषण करने में कठिनाई हो रही है ? यह बाजार कब तक पूरा हो जायगा तथा इतनी देर लगने के कारण क्या हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)--

गड़बड़झाला पार्क लखनऊ में दूकानों के निर्माण का कार्य सन् १९६४ में प्रारम्भ हुआ था परन्तु बीच-बीच में मूल दुकानदारों ने तथा शिकमी दुकानदारों ने एलाटमेंट के संबंध में आपसी झगड़ेबाजी तथा उनके द्वारा न्यायालय से लाये हुये स्थगनादेश के कारण कार्य में बहुत विलम्ब हुआ और संबंधित ठेकेदार ने, दरें बढ़ जाने से शेष कार्य करने से इंकार कर दिया। इसी बीच गुप्तचर विभाग द्वारा कुछ संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच के सिलसिले में इस कार्य की पत्रावलियां भी मांग ली गई। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दूकानों के निर्माण के संबंध में दिये हुये ऋण की धनराशि भी समाप्त हो गई। धन उपलब्ध न होने के कारण कुछ दुकाने जिनके चबूतरे खुदवा दिये गये थे निर्मित नहीं हो सके। कार्य पूरा करने के लिये आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध भी कर दिया गया। यदि वहां के दूकानदारों ने पुरानी दुकानें हटाने में सहयोग दिया तो यह कार्य बहुत जल्द हो जाने की आशा है।

श्री राधेश्याम कपूर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गड़बड़ झाला बाजार बनाने के लिये एक समिति बनी थी ? और यह जो आपने बताया है कि वहां के दुकानदारों में झगड़ा हो गया तो इसका फैसला हो चुका था।

श्री बरमेश्वर पांडेय--

गड़बड़झाला बाजार में १९७ दुकानें बनने को थीं। १०२ बन गयी हैं। बाकी के लिये धन स्वीकृत हो गया है। जो दुकानदारों की समिति है वह आपस में ही लड़ा करती है जिसकी वजह से यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस गड़बड़ झाले के बाजार में जो दुकानें बनी हैं उसमें कोई गड़बड़झाला नहीं था। सब बन कर एलाट भी हो गयी थीं और सब दुकानदारों के जिनको एलाट होना था उनके नाम चढ़ गये थे और कारपोरेशन ने अपना काम आखिरी कर लिया था। तो क्या यह सही है कि विशेष एक राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर माननीय मंत्री जी ने गड़बड़ झाला को गड़बड़ झाले में डाल दिया है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

गड़बड़झाले की दुकानें बहुत दिनों से गड़बड़झाले में पड़ी हैं। लेकिन उस गड़बड़झाले को इस सरकार ने दूर किया है और रुपया देकर तमाम जो बाकी दुकाने हैं उनको बनवाकर उन दुकानदारों को देने के लिये फरवरी, १९६८ तक का समय निश्चित कर दिया है।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

यह जो गड़बड़ झाले की दुकानें हैं इसमें बेचने और खरीदने वाले भी गड़बड़झाले ही होंगे ?

(हंसी)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

स्थानीय कारपोरेशन के अधिकारियों ने अन्तिम रूप से फैसला कर दिया है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जनसंघ दल की विशेष स्थिति के कारण इस में गड़बड़ झाला पैदा हो रहा है और काफी इसमें दिक्कते हैं इसलिये हमने यह प्रश्न उठाया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

बलरामपुर तहसीलों में लेवी

*८—श्री विशुन प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २६ मई, १९६७ को जब एल० एस० जी० मंत्री, बलरामपुर, जिला गोंडा गये तो उन्होंने एस० डी० एम० बलरामपुर को ऐसा आदेश दिया जिसमें कहा गया था कि कुछ बड़े काश्तकारों की लेवी माफ की जावे ?

श्री शमीम आलम—

२६ मई, १९६७ को जब एल० एस० जी० के मंत्री जी बलरामपुर, जिला गोंडा गये तो उन्होंने कोई ऐसा आदेश एस० डी० एम० बलरामपुर को नहीं दिया।

*९—श्री विशुन प्रताप सिंह तथा श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब खाद्य मंत्री ७ जून, १९६७ को बलरामपुर गये तो उनसे कुछ काश्तकारों ने लिखित तथा मौखिक यह शिकायत की कि कुछ बड़े काश्तकारों पर गल्ला छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शमीम आलम—

जी हां, मामले की जांच करायी गयी जिससे यह निष्कर्ष निकला कि जितनें भी काश्तकारों की लेवी माफ की गयी थी यह समुचित आधारों पर पूर्ण जांच के पश्चात् की गयी थी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २६ मई, १९६७ को जब वह वहां गये थे और चूंकि उनके आदेश का पालन नहीं किया गया था इसलिए मंत्री जी ने उस एस० डी० एम० को २४ घंटे में ट्रांसफर कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शमीम आलम—

ऐसा नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार इस मामले की पूरी जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट से करायेगी ?

श्री शमीम आलम—

जी हां, लिख कर आप देंगे और सरकार अगर उचित समझेगी तो जरूर जानकारी करायेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाकिम परगना, बलरामपुर को मंत्री जी ने इस दौरे के तुरन्त बाद लखनऊ लौटने पर वायरलेस से ट्रांसफर कर दिया इस वाकया से सम्बन्धित बातों को लेकर ?

श्री शमीम आलम—

इसकी सूचना चाहिये कि उनका ट्रांसफर किस वक्त हुआ वायरलेस, से हुआ या कैसे हुआ। यह मेरे विभाग का काम नहीं है।

श्री चन्द्रबली—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन काश्तकारों के नाम लेवी बाकी है ऐसी दरख्वास्त मिली तो उस दरख्वास्त के बाद क्या उनसे लेवी वसूल की गयी ?

श्री शमीम आलम—

कुछ से वसूल की गयी। कुछ के खिलाफ मुकदमात चलाये गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जिन की लेवी छोड़ी गयी उसके समुचित कारण थे। तो मुख्य-मुख्य कारण क्या थे जिसके आधार पर लेवी छोड़ी गयी है ? क्या राजनीतिक सम्बन्ध भी एक आधार था ?

श्री शमीम आलम—

राजनीतिक सम्बन्ध कोई आधार नहीं था। बल्कि नियमानुसार छोड़ी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने कारण बताये हैं उनमें कोई मुख्य कारण बता सकेंगे ?

श्री शमीम आलम—

बहुत लम्बी रिपोर्ट है··

श्री अध्यक्ष—

अगर कहीं कारण अलग लिखे हों तो बता दें।

श्री शमीम आलम—

अलग नहीं लिखे हैं, काफी लम्बी रिपोर्ट है।

जिला परिषद्, बरेली के इंजीनियर, श्री दीवान की शैक्षिक योग्यता

*१०—श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बरेली में जो इंजीनियर नियुक्त हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री महीलाल—

जिला परिषद् बरेली में जो इंजीनियर नियुक्त हैं, वे हाई स्कूल परीक्षा तथा ओवरसियरी का डिप्लोमा प्राप्त हैं।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन इंजीनियर महोदय ने ओवरसियरी का डिप्लोमा किस सन् में तथा कहां से प्राप्त किया ?

श्री महीलाल—

आज कल श्री आर० के० जैन स्थानापन्न ओवरसियर हैं जिन्होंने १९५० में हाई स्कूल पास किया और १९५७ में ओवरसियरी का डिप्लोमा प्राप्त किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में यह भी था कि कहां से प्राप्त किया। तो यदि यह सूचना मंत्री जी के पास हो कि कहां से प्राप्त किया तो बता दें।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, स्थान की सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी सूचना मंगा कर दे दी जायगी।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

सवाल दीगर और जवाब दीगर। मने प्रश्न जिला बोर्ड के इंजीनियर के बारे में किया था ओवरसियर के बारे में नहीं। मैं इंजीनियर के बारे में जानना चाहता हूं, ओवरसियर के बारे में नहीं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रमावल्लभ जी ने जो आपत्ति उठायी है मैं समझता हूं उत्तर से उठती नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि जिला बोर्ड बरेली में जो इंजीनियर नियुक्त हैं वह हाई स्कूल की परीक्षा पास और ओवरसियर का डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

मुझे यह कहना है कि जिस दिन मैंने यह प्रश्न किया था उस तारीख को जिला बोर्ड के इंजीनियर के पद पर श्री दीवान नाम के व्यक्ति थे और प्रश्न की जब इन्क्वायरी की गयी तो उनकी जगह जैन को करके उनकी क्वालिफिकेशन बतायी गयी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस तारीख को जो इंजीनियर के पद पर थे उनकी शैक्षिक योग्यता बतायी जाय। मेरी सूचना यह है कि वह हाई स्कूल भी पास नहीं हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में यह कह कर कराया कि मैं हाई स्कूल पास हूं मगर मेरा वह सर्टिफिकेट खो गया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न करने का अधिकार समाप्त थोड़े हो गया है। आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये, स्पष्ट हो जायगा।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि उस समय जो व्यक्ति इंजीनियर का कार्य कर रहा था उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यदि आप दे सकते हों तो दे दें।

श्री महीलाल—

जो इस समय स्थानापन्न इंजीनियर हैं उनके सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य अब दीवान जी के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में है और गैरिसन इंजीनियर, आगरा डिवीजन के एम० ई० एस० में इन्होंने काम किया है। और उसी के आधार पर १९ दिसम्बर, १९४९ को जिला बोर्ड बरेली ने इनकी नियुक्त ओवरसियर के पद पर की थी। १९६५ में जो वहां के इंजीनियर थे विद्यासागर जी उनका देहान्त हुआ

और उनके स्थान पर श्री एस० आर० दीवान को स्थानापन्न इंजीनियर नियुक्त किया गया। शासन से जिला बोर्ड ने एक वर्ष की अनुमति चाही थी। वह दे दी गयी थी। इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार दीवान साहब को छः वर्ष का अनुभव था। उसी के अधार पर जिला बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की थी।

*११—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

[६ठवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ तहसील में गल्ला वसूली में छूट

*१३—श्री किशनलाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़, तहसील कोल, ग्राम कमालपुर और शेखा के पास ऊसर जमीन और बागों के रकबे हैं उन्हें गल्ले के प्रति छूट दी गई? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री शमीम आलम—

कमालपुर में जोतों की भूमि में ऊसर तो नहीं परन्तु बाग अवश्य है। शेखा ग्राम में ऊसर और बाग दोनों ही हैं।

ऐसी भूमि पर छूट दी गयी है।

कुल ६४ क्विन्टल की।

शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में सनई तथा धान के बीज का वितरण

*१४—सरदार बलदेव सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद तथा श्री राम दुलारे (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र बलरामपुर, तुलसीपुर, गेंसड़ी, पचपेड़वा, जिला गोंडा में सनई तथा धान का बीज न होने से किसानों के खेत पड़े हुये हैं तथा बोवाई न होने की उम्मीद से हाहाकार मचा है? यदि हां, तो कब तक बीज की व्यवस्था हो जायगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रूपनाथ यादव—

ऐसी कोई सूचना नहीं है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सनई तथा धान के बीज की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी थी। इन विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित धान तथा सनई के बीज का वितरण सहकारिता तथा कृषि विभागों के बीज गोदामों द्वारा किया जा चुका है:

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	बीज की मात्रा (कुन्तल में)	
		धान	सनई
१	बलरामपुर	२२४.६२	१३·५७
२	तुलसीपुर	७२०.५४	१०.००
३	गेंसड़ी	१४०.०९	२२.०७
४	पचपेड़वा	७४९.६६	१४.५९
	योग ..	१८३४.९१	६०.२३

श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों ने सनई के बीज की मांग की थी उनको समय पर बीज नहीं मिला और बाद में जब उनको बीज दिया गया तो वे बो नहीं सके, इससे बड़ा नुकसान हुआ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है?

श्री जयराम वर्मा—

इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सम्बन्धित इलाकों में विकास क्षेत्र या कोआपरेटिव द्वारा वितरण के लिये किस महीने में सनई का बीज पहुंच गया था।

श्री जयराम वर्मा—

तारीख तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बुवाई से पहले बीज मौजूद था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धान का कौन चेा बीज वहां था क्वारी सा या अगहनी का?

श्री जयराम वर्मा—

इतनी डिटेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वहां धान का बीज मौजूद था।

गोंडा जिले में रासायनिक खादों की बोरियों के वजन में कमी

*१५—श्री सुखदेव प्रसाद तथा सरदार बलदेव सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र बलरामपुर, तुलसीपुर, जिला गोंडा में रासायनिक खादों की बोरियां बिना तौले हुए दी जा रही हैं, जो कि १०० किलो का ७५ किलो ही तौलने पर उतरता है? यदि हां, तो सरकार इसकी गुप्त रूप से जांच कराकर दोषी लोगों के ऊपर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रूपनाथ यादव—

खाद के वितरण की प्रचलित प्रणाली के अनुसार स्टेंडर्ड वजन की सिली हुई बोरियां बिना तोले ही दी जाती ह। यदि कोई कृषक अपनी बोरी को तोलवाना चाहता है तो उसे बोरी तौल कर दी जाती है। सरकार को इन स्थानों से वजन की कमी की ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियम तो बहुत से बने हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है और वही आदत आज भी है, इसको दूर करने के लिये क्या सरकार आदेश देगी कि बोरी की खाद सूख जाती है जिससे वह कम हो जाती है इसलिये बोरी तुलवाकर दी जाया करे?

श्री जयराम वर्मा—

यह आदेश हैं कि यदि कोई किसान समझता है कि बोरी का वजन कम है और वह मांग करता है तो बोरी तुलवा दी जाती है। अगर कोई ऐसी शिकायत हो कि मांग करने पर भी बोरी न तुलवाई गई हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी जिला अधिकारियों को आदेश देंगे और नोटिस छपवा कर जिले में बटवा देंगे कि जो काश्तकार अपनी बोरियां तुलाना चाहे तुला सकता है?

श्री जयराम वर्मा—

यह फिर से उनको आदेश दे दिये जायेंगे कि इसकी जानकारी वह करवा दें।

*१६—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

[८वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रगति सहायक

*१७—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९६६ से विकास खण्डों में कितनी प्रगति सहायक अतिरिक्त घोषित किये गये तथा अन्य विभागों में लिये गये? क्या सरकार ऐसे प्रगति सहायकों को पुनः विकास खण्डों में वापस लेने का विचार रखती है?

श्री रूपनाथ यादव—

जून, १९६६ से १३२ प्रगति सहायक अतिरिक्त घोषित किये गये हैं। जिनमें से ९९ को अन्य विभागों में लिया जा चुका है। ऐसे प्रगति सहायकों को पुनः विकास खण्डों में लेने का कोई विचार नहीं है।

श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रगति सहायक अन्य विभागों में लिये गये हैं, उनको कम तनख्वाह दी जाती है जब कि समान काम करते हैं?

श्री जयराम वर्मा—

ऐसी सूचना हम को नहीं है कि उनको कम वेतन पर कहीं रखा गया है।

श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पशु-पालन विभाग में जो प्रगति सहायक रखे गये हैं उनको कम वेतन दिया जाता है बमुकाबले उनके जो विकास खण्डों में काम करते हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ गया कि कोई शिकायत नहीं आयी। अगर कोई विशेष शिकायत है और उसको सूचना के तौर पर देते तो उसका उत्तर आता।

श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अब तक प्रगति सहायक काम नहीं पा सके हैं वे और विभागों में नियुक्त किये जायेंगे?

श्री जयराम वर्मा—

दूसरे विभागों में ही उनको जगह दी गयी है।

सलेमपुर तहसील में शकर का कोटा

*१८—श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के गांवों की राशन की दुकानों पर जनवरी, १९६७ से अब तक (३-७-६७) कितनी बार शकर का कोटा दिया गया और वह कोटा गांवों के लोगों में बांटा गया या नहीं ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री शमीम आलम—

प्रश्नगत तहसील के गांवों में जनवरी, ६७ से ३० अप्रैल तक हर दूकानदार को प्रति माह दो बार शकर का कोटा दिया गया और उसका वितरण जनता में नियमानुसार किया गया । परन्तु माह मई तथा जून में दूकानदारों को न देकर गल्ला वसूली योजना एवं शादी आदि के लिये ग्रामीण जनता में स्पेशल परमिटों के द्वारा शक्कर वितरित करवायी गयी ।

*१९—श्री रामलखनसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि तहसील सलेमपुर में उक्त अवधि में कितने कोटा होल्डरों का भ्रष्टाचार के कारण उनका कोटा कैंसिल किया गया और उन्हें दुबारा फिर बहाल कर पुनः कोटा दिया गया ? ऐसा क्यों ?

श्री शमीम आलम—

उक्त अवधि में इस तहसील के ४ कोटा होल्डरों की दूकानें कैंसिल की गई और उनमें से किसी को पुनः बहाल नहीं किया गया ।

श्री राम लखन सिंह—

यह बिलकुल सही नहीं है कि किसानों में चीनी वितरित की गयी । किसानों को चीनी नहीं मिली है । उसे दलगत राजनीति के लोगों में बंटवा दिया गया । जब दरख्वास्तें पड़ीं तो दूकानें कसिल की गयीं लेकिन फिर उन्हीं के घर वालों को दे दी गयीं ।

श्री अध्यक्ष—

सूचना के बजाय सवाल करें।

श्री रामलखनसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ?

श्री शमीम आलम—

यह बिलकुल सही नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी की कोई ऐसी नीति है कि अगर किसी का कोटा कैंसिल हो तो उसके खान्दानियों को कोटा न दिया जाय, कोई ऐसे आदेश आपने जारी किये हैं या नहीं ?

श्री शमीम आलम—

खान्दानियों की तारीफ बड़ी है । ऐसे आदेश नहीं हैं कि किसी के सम्बन्धी को न मिले । उसको दोबारा नहीं मिलेगा ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि किसी कोटेदार का लाइसेंस रद्द किया गया है तो जो उसके रिश्तेदार हैं, उनके सम्बन्ध म सरकार ने पहल यह आदेश दिय थे कि एसे

आदमियों को कोटा न दिया जाये ? क्या सरकार ऐसे आदेश पुनः देने की कृपा करेगी कि जो भ्रष्ट कोटेदार हैं उनका कोटा कैंसिल होने पर उनके रिश्तेदारों को भी कोई कोटा किसी तरह न दिया जाए ?

श्री शमीम आलम—

जो लोग उसके कारोबार में शरीक हैं उनके लिये सरकार के आदेश हैं कि उन्हें कोटा न दिया जाये, और उन्हें सरकार फिर रिपीट कर सकती है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी की बात ठीक नहीं है अभी हमारे जिला शाहजहांपुर में एक श्री मन्नालाल का कोटा जिलाधीश द्वारा कैंसिल कर दिया गया था किन्तु मंत्री जी ने उसे स्वयं बहाल कर दिया है, आप इसे देख लीजिये ।

श्री रामलखनसिंह—

खाद्य समितियों को सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जिसका लाइसेन्स कैंसिल किया जाय उनका कोटा उनका कोई नातेदार नहीं पा सकता । तो इन चार आदमियों का जो लाइसेंन्स कैंसिल किया गया है तो उनके घर वालों को फिर क्यों दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं कि उनके घरवालों को न दिया जाय तो उसमें यह नहीं आता है । अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप मंत्री जी को फिर लिखिये, लेकिन इस समय उन्होंने जो उत्तर दिया, उससे आपका प्रश्न नहीं उठता । वह तो कहते हैं कि इस प्रकार के मेरे आदेश नहीं हैं कि यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसके घर वालों को कोटा न दिया जाय ।

श्री राम लखनसिंह—

यह श्रीमन्, गलत उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष—

तो इसको आप फिर साफ कर लीजियेगा ।

श्री राम लखनसिंह—

जो जिलाधीश ने खाद्य समितियों के मेम्बरों को सूचना दी है वह सही हैं या नहीं ? कि जिसका कोटा कैंसिल हो जाये उसके घर वालों को लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि उनके ऐसे आदेश नहीं हैं, फिर भी उसके विपरीत यदि कोई जिलाधीश करता है तो वह अनियमित है ।

फतेहपुर जिले में गल्ला वसूली

*२०—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद में गल्ला वसूली के सम्बन्ध में कितने स्थानों की तलाशी हुई और उनके घरों में कितना-कितना गल्ला निकला ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस जनपद में जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई गल्ला अधिकारियों ने ले लिया और बीज या खाने तक को घर में कुछ नहीं छोड़ा गया ?

श्री शमीम आलम——

तीस घरों की तलाशी हुई । सत्ताइस घरों में ४ क्विन्टल से लेकर १२९ क्विन्टल तक गल्ला निकला । तीन घरों में गल्ला खाने व बीज बोने से अधिक नहीं मिला । अतः उनकी लेवी माफ कर दी गई । यह कहना कि बीज या खाने तक को घर में कुछ नहीं छोड़ा गया यह सही नहीं है ।

श्री जय नारायण सिंह—

फतेहपुर जनपद के मौजा सिठौरा और खेरई में जिन व्यक्तियों के यहां तलाशी हुई उनके यहां से कितना गल्ला निकला और कितना उनसे लिया गया ?

श्री शमीम आलम—

जरा गांवों का नाम फिर बता दें ।

श्री जयनारायण सिंह—

गांव सिठौरा और खेरई ।

श्री शमीम आलम——

यह ३० व्यक्तियों की सूची है, मैं इसमें ढूंढ़ रहा हूं । (देर लगने पर हंसी) मैं उर्दू पढ़ा हुआ हूं, हिन्दी कम जानता हूं इसलिये मैं क्षमा चाहता हूं देर लगेगी ही ।

श्री अध्यक्ष——

आप देख लीजिये, आपने जितना पढ़ा है उतना ही प्रशंसनीय है । लेकिन आप इसमें दूसरे मंत्री जी से सहयोग ले लीजिये ।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)——

गांवों का नाम बता दीजिये तो ढूंढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष——

वह दो बार बता चुके हैं। खैर, फिर बता दीजिये ।

श्री जयनारायण सिंह—

गांवों का नाम सिठौरा और खेरई है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी मौजूद हैं । सीधी सी बात है अगर नहीं मिल रहा है तो सूचना मांग लें । सदन का सारा समय लग रहा है ।

श्री अध्यक्ष——

जरा सी स्थिति को समझ लें । मंत्री जी बीमार हैं । अब उपमंत्री जी हैं । स्वाभाविक है कि वे जब हिन्दी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा समय तो मिलना ही चाहिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

असल मंत्री जी तो चले गये और इन मंत्री जी ने तो अभी दो दिन हुआ चार्ज लिया है ।

श्री अध्यक्ष——

यह तो और भी आपके लिये और समझने की बात है कि स्थिति क्या है ।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

वहां दो व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री शमीम आलम—

श्रीमन्, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी, इस समय नहीं मिल रहा है ।

श्री जय नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि इन दो गांवों के जिन व्यक्तियों के यहां तलाशी हुई है और उनके यहां कुछ गल्ला नहीं पकड़ा गया, उनके सम्बन्ध में कोई न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शमीम आलम—

इसका जवाब पहले दिया जा चुका है कि ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोगों के पास कोई गल्ला नहीं छोड़ा गया था ।

उन लोगों से भी लेवी नहीं लिया गया जिनके यहां गल्ला कम निकला ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में यह है कि २७ लोगों के पास ४ क्विन्टल से लेकर १२९ क्विन्टल तक गल्ला मिला । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों के पास ४ क्विन्टल गल्ला निकला उनसे कितना गल्ला, कितने क्विन्टल लेवी में लेना था और उनसे कितना गल्ला वसूल किया गया ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जिन लोगों से ४ क्विन्टल लेना था उनसे एक क्विन्टल लिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रारम्भिक डिमान्ड उनसे कितनी थी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

लोगों से अलग-अलग लेवी लेनी थी । किसी से ३, किसी से ५, किसी से २, लेकिन कुल मिलाकर उनसे २ क्विन्टल ७५ ग्राम गल्ला वसूल किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । जो इसके सम्बन्धित मंत्री हों वह कृपया इसको पहले से तैयार कर लें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, फतेहपुर जिला ऐसा जिला रहा है जहां पर गल्ला वसूली के सम्बन्ध में पहले से झगड़े रहे हैं । वहां पर बड़ी ज्यादती हुई है । कितने क्विन्टल वहां से वसूल करना था और कितना वसूल किया गया यह सब जानकारी सदन को देनी चाहिये । तो कृपया इसको कल के लिये आप स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर आप शार्ट नोटिस क्वैश्चन कर लीजियेगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

खीरी जिले में गल्ला वसूली के खिलाफ शिकायत

*२१—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी), श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री दुर्गा प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायगे कि जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी के परगनाधीश तथा नायब तहसीलदार लेवी वसूली के बहाने श्री शिवराज सिंह, बरखेरा कलां निवासी के घर से दिनांक २९ जून, १९६७ को जबरदस्ती गल्ला उठवा ले गये जब कि उनका नाम एक किलो की लेवी नहीं थी ? इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई तार तथा प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

न्य य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

श्री शिवराज सिंह से गल्ला जबरदस्ती वसूल नहीं किया गया । हां, उनके पिता श्री सरदार सिंह जो उसी मकान में रहते हैं और जिनके विरुद्ध लेवी का ३६,५० क्विन्टल बकाया था, के घर की तलाशी ली गयी थी । इस संदर्भ में जो प्रार्थना-पत्र और तार प्राप्त हुये उनकी जांच की गई और उनमें कही गई बातें निराधार पाई गईं ।

श्री मन्नालाल, श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री दुर्गा प्रसाद—

*२२—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला खीरी में गल्ला वसूली में जिला अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट आदि के शिकायती प्रार्थना-पत्र जिले के ४ विधायकों द्वारा उन्हें हाल ही में मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्यामलाल यादव—

जी हां । इस सम्बन्ध में जिलाधीश खीरी द्वारा जांच कराई गई थी, किन्तु चूंकि किसी भी अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप नहीं लगाये गये थे, इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तो भी एहतियातन समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेश दे दिये गये थे कि वे लेवी के बकायादारों के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया करें ।

केराकत तहसील में पम्पिंग सेट व नलकूप के लिये ऋण

*२३—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केराकत तहसील में (जौनपुर) कितने लोगों ने सिंचाई हेतु, पम्पिंग सेट या निजी ट्यूबवेल लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र १९६६-६७ में दिये परन्तु अब तक पम्पिंग सेट या ट्यूबवेल लगाने के लिये लोन व बिजली नहीं मिली ?

श्री जय राम वर्मा—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०८. पर)

जहानाबाद टाउन एरिया में जलकष्ट

*२४—श्री रमाकान्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगभग ५ वर्ष पूर्व ३ लाख ८५ हजार का ऋण जो जहानाबाद, जिला फतेहपुर की टाउन एरिया को जलकल योजना के लिये स्वीकृत हुआ था, उसे अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ? जहानाबाद के जलकष्ट को देखते हुये क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ करेगी ?

श्री वरमेश्वर पांण्डेय—

इस योजना के लिये कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ है और न ही धनाभाव के कारण निकट भविष्य में इसके स्वीकृत होने की सम्भावना है ।

निरालानगर, लखनऊ में मकानों का आवंटन

*२५—महन्त धनश्याम गिरि (जिला देहरादून)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निरालानगर (उत्तर) की जो कालोनी, लखनऊ नगरमहापालिका की तरफ से बसाई गयी है उसका आधा भाग मेहतरों के रहने को दिया गया है और आधे भाग में ऐसे लोग रह रहे ह कि जो कोई वर्ष से बिना एलाट कराये, बिना किराया दिये ही अपना कब्जा क्वार्टर (मकान) व जमीन पर किये हुये हैं ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

लखनऊ नगर महापालिका की ओर से निराला नगर के उत्तर में कुतुबपुर-इरादत नगर योजना के अन्तर्गत बने एक कमरे वाले 120 मकानों में से 94 मकानों पर मेहतरों एवं कुछ अन्य व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। बाकी 26 मकानों का आवंटन नियमानुसार महापालिका द्वारा कर दिया गया ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, उरई का चुनाव

*२६—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि नगरपालिका, उरई के अध्यक्ष का चुनाव अब तक न हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया मन्त्री जी बतायेंगे कि वह चुनाव कब तक होगा ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

चुनाव १ सितम्बर, १९६७ को हो गया है ।

दादरी मण्डी से मटर का कथित निर्यात

*२७—श्री नेमपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि हाल ही में जून से उत्तर प्रदेश से बाहर के लिये मटर की निकासी पर रोक लगी है, क्या उसी समय से अनाज मन्डी, दादरी, जिला बुलन्दशहर से ५०० मन से अधिक मटर रोजाना चोरी से दिल्ली चला जाता है ?

श्री श्यामलाल यादव—

उत्तर प्रदेश से बाहर के लिये मटर की निकासी पर रोक १४ मई, १९६७ से लगाई गई थी। दादरी मंडी, जिला बुलन्दशहर से ५०० मन से अधिक मटर रोजाना चोरी से दिल्ली जाने के बारे में शासन को कोई सूचना नहीं तथा ऐसा कहना सही नहीं है ।

उत्तर प्रदेशीय पंचनगरमहापालिका संघ की मांगें

*२८—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय पंचनगर महापालिका संघ की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें १२ जुलाई तथा १५ जुलाई, १९६७ से इलाहाबाद महापालिका के प्रशासक के घेराव तथा भूख हड़ताल तथा आम हड़ताल करने के लिये लिखा गया है ? यदि हां, तो महापालिका संघ की मांगें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वरमेश्वर पांण्डेय—

जी हां ।

मांगों की सूची संलग्न है । इन मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में स्थिति प्रत्येक मांग के सामने स्पष्ट की गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०९—२१० पर)

खीरी जिले में गल्ला वसूली

*२९—श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी) तथा श्री करनसिंह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में किसानों के घरों में तलाशी, लेवी का गल्ला न दे सकने के कारण ली गयी ?और कितना-कितना गल्ला किन-किन ग्रामों में जब्त किया गया ?

श्री श्यामलाल यादव—

पूरे जिले में गल्ला न देने के कारण केवल एक किसान के घर में तलाशी ली गयी और उसके घर से ५१ किलो ५०० ग्राम गल्ला जब्त किया गया । इस के अतिरिक्त ९ किसानों द्वारा लखीमपुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में जमा किया गया ८५.८४ क्विंटल गल्ला भी लेवी न देने के कारण जब्त किया गया ।

*३०—श्री बंशीधर मिश्र तथा श्री करनसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गल्ला न दे सकने के कारण खीरी जिले में किन-किन ग्रामों के किन-किन किसानों के लाइसेंस (आर्म्स) सस्पेंड किये गये ह और वे लाइसेंस उन्हें किस उद्देश्य से दिये गये थे ?

श्री श्यामलाल यादव—

लेवी न देने के कारण खीरी जिले में किसी का लाइसेंस (आर्म्स) निलम्बित नहीं किया गया है ।

इटावा जिले से मटर का निर्यात

*३१—श्री रामचरन दोहरे, श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री कन्हैयालाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ जून, १९६७ को जो सरकार की ओर से नोटिफिकेशन गल्ले के आने-जाने के सम्बन्ध मे निकाला गया है, उसका प्रभाव क्या किसी पूर्व तिथि को भेजे गये गल्ले या मटर आदि पर पड़ेगा, और जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध होगा उन के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही अमल म लाने वाली है ?

श्री श्यामलाल यादव—

१५ जून, १९६७ को सरकार की ओर से गल्ले के आने-जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*३२—श्री रामचरन दोहरे, श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले से १५ जून, १९६७ से २० जून, १९६७ तक किन-किन व्यापारियों ने मटर रेल या ट्रक द्वारा उत्तर प्रदेश से बाहर भेजी है ? उनकी सूची सदन की पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्यामलाल यादव—

उक्त अवधि में इटावा जिले के किसी भी व्यापारी ने रेल या ट्रक द्वारा मटर उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं भेजी है ।

मुजफ्फरनगर जिले में पम्पिंग सेट तथा नलकूपों के लिये अनुदा

*३३—श्री सरदार सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिले में माह अप्रल, १९६६ से माह मार्च, १९६७ तक कितने निजी नलकूप तथा पम्पिंग सेट लगे और इनमें से कितने नलकपों को अनुदान दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

मुजफ्फरनगर जिले में अप्रैल, १९६६ से मार्च, १९६७ तक १,२७५ निजी नलकूप तथा १४४ पम्पिंग सेट लगे। इन में से २३२ नलकूपों को अनुदान दिया गया।

महावतगढ़ ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*३४—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम महावतगढ़, जिला आजमगढ़ के विकास क्षेत्र अजमतगढ़ ग्राम सभा के प्रधान ने महावतगढ़ से मिले हुये तालाब को गहरा करन हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में कितना रुपया सरकार से प्राप्त कर लिया और क्या ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह ने उक्त तालाब को छोटी सिंचाई योजना के हेतु गहरा करवा दिया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो उक्त रुपया कहां जमा है ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्न में वर्णित तालाब को गहरा करने हेतु कोई धन सरकार से नहीं दिया गया और जब रुपया दिया ही नहीं गया तो उसके जमा करने का प्रश्न नहीं उठता।

*३५—श्री मधुकर दिघे—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम प्रधान ने तालाब से मिट्टी निकलवा कर अपना निजी ईंटों का भट्ठा चलवाया और रुपया अपने निजी कार्य में खर्च कर लिया ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

ग्राम प्रधान ने तालाब से मिट्टी निकलवा कर अपना निजी भट्टा चलवाया पर सरकार से उन्हें कोई धन नहीं दिया गया था। अतः सरकारी धन को निजी कार्य में व्यय कर लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मड़ियाहूं-मछलीशहर सड़क पर पुलियों का निर्माण

*३६—श्री राजकिशोर (जिला जौनपुर)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला अन्तर्गत मड़ियाहूं-मछलीशहर सड़क जिस पर कई पुलियों का निर्माण हो चुका है उस के लिए एक पुल तथा सड़क के निर्माण-कार्य में विलम्ब हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधान गांव सभा, उसावां के विरुद्ध जांच

*३७—श्री बृजपाल सिंह (जिला बदायूं)—

१९ जून, १९६७ के तारांकित प्रश्न ४१ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जांच किस अधिकारी द्वारा कब से जारी है तथा समाप्त होने में कितना समय लगेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रधान गांव सभा उसावां के विरुद्ध विभागीय जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उसावां द्वारा सितम्बर, १९६६ में शुरू की गयी थी। यह जांच अब समाप्त की जा चुकी है और प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जांच पंचायत राज ऐक्ट की धारा ९५ के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मामला परगना मैजिस्ट्रेट, दातागंज को भेजा जा चुका है। यह कहा नहीं जा सकता कि परगना मैजिस्ट्रेट को इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने म कितना समय लगेगा।

ऊंचाहार ब्लाक में गल्ला वसूली

*३८—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि रायबरेली जिले में ऊंचाहार ब्लाक में जून, १९६७ से गल्ला वसूली के सम्बन्ध में कुल कितने घरों में तलाशी ली गयी और गल्ला वसूली के सम्बन्ध में कितने लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री श्यामलाल यादव—

तीन घरों की तलाशी ली गयी। उन में से किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गल्ला बाद में जमा कर दिया।

*३९—श्री दलबहादुर सिंह—

क्या सरकार परगनाधीश सलौन (रायबरेली) के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिन्होंने अनधिकृत रूप से बरामद गल्ला बाद में किसानों को वापस किया था ?

श्री श्यामलाल यादव—

जी नहीं। कोई अनधिकृत बरामदगी नहीं की गयी।

फर्रुखाबाद जिले में खाद की बिक्री एवं बीज वितरण की शिकायत

*४०—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी तथा श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मन्त्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद में कुछ अधिकारियों द्वारा खाद की बिक्री बिलकुल बन्द कर दी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप चोर बाजारी विकराल रूप में आ गयी है और खरीफ की फसल में भारी क्षति की आशंका से सम्पूर्ण किसानों में असन्तोष है ? सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

इस वर्ष खाद के वितरण में उर्वरक अनुक्रियाशील, उन्नत तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के लिए ही प्राथमिकता दी गयी है। खाद का वितरण बन्द करने के विषय में न तो कोई आदेश दिये गये और न कोई ऐसी सूचना ही है।

*४१—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जनपद में शंकर बाजरा और मक्का के बीज तब पहुचाय गये जब कि जिले की सारी फसल बो दी गयी और अब जबरदस्ती किसान को शंकर बाजरा और मक्का का बीज बचा जा रहा है और जिसका भाव ७ रु० से ११ रु० प्रति किलो तक है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं। फर्रुखाबाद जिले में शंकर बाजरा और शंकर मक्का के बीज बोवाई के समय पर ही पहुचे थे। जबरदस्ती बीज वितरण की कोई शिकायत नहीं मिली।

कुम्हौर ग्राम में गल्ले की वसूली

*४२—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार को पता है कि कुम्हौर ग्राम जिला व तहसील फर्रुखाबाद में माह मई, १९६७ में आंधी पानी तथा ओले से खलियान में फसल खराब हो जाने पर भी निवासियों की परेशानी के बाद भी गल्ला लेवी वसूल किया गया ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री श्यामलाल यादव—

ग्राम कुम्हौर में अप्रैल १९६७ में न आंधी आयी न वर्षा हुई। १३-५-६७ को आंधी आयी थी और पानी व ओला भी गिरा था तब तक खलियानों में बहुत थोड़ी मात्रा में गल्ला उठने को रह गया था। अतः नाम मात्र को हानि हुई थी फिर भी जिन लोगों को हानि हुई थी उनको २६४ क्विंटल की लेवी में माफी दी गयी थी। कुल १२१.३७ क्विं० गल्ला वसूल हुआ जिसे किसानों ने अपनी खुशी से अदा किया, किसी प्रकार की सख्ती नहीं की गयी।

*४३—श्री महरामसिंह तथा श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

क्या सरकार उक्त ग्राम के निवासियों को छप्परों के स्थान पर इस्तेमाल करने के लिए टीन देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामलाल यादव—

चूंकि भारत सरकार ने टीन पर से नियंत्रण १-५-६७ से हटा लिया है, इस ग्राम के निवासी टीन अपनी आवश्यकतानुसार खुले बाजार से बिना परमिट के खरीद सकते हैं।

लखनऊ महापालिका में श्री अवधेश नारायण सिंह का पद

*४४—श्री दलबहादुर सिंह तथा श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन के लखनऊ नगर-महापालिका के श्री अवधेश नारायण सिंह के किसी राजाज्ञा द्वारा ही हाल में उपनगर अधिकारी के पद पर फाइनली एब्जार्व करने का आदेश दे दिया है ? यदि हां, तो इन से सीनियर और कितने सर्विस में हैं ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

श्री अवधेश नारायण सिंह को उप नगर अधिकारी के पद पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासी (प्रवर) सेवा में संविलीन किया गया है।

उक्त सेवा के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है।

मुरादाबाद जिले में गलला खरीद एजेन्ट

*४५—श्री हरिहरनाथ अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मुरादाबाद जिले में सरकार द्वारा लेवी के गल्ले की खरीद के लिए जो एजेन्ट नियुक्त किये गये थे उन के नाम क्या हैं ?

श्री श्यामलाल यादव—

गल्ल की खरीद के लिए मुरादाबाद जिले में नियुक्त किये गये एजेन्टों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २११ पर)

*४६—श्री हरिहरनाथ अग्रवाल—

क्या यह सही है कि इन नियुक्त किय गये एजेन्टों में से कोई क्षेत्र संख्या २९ संभल के मौजूदा सदस्य का रिश्तेदार है ? यदि हां तो क्या उनको वहीं सभल में ही रक्खा गया है ?

श्री श्यामलाल यादव--

जी हां--मेसर्स हरचरन दास ओम प्रकाश फर्म के श्री ओम प्रकाश, क्षेत्र संख्या २९, संभल क मौजूदा सदस्य के रिश्तेदार हैं और उन्हें संभल में ही रखा गया था ।

आगरा जिले में गल्ला वसूली

*४७--श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन क्षेत्रों में सरकार ने लेवी गल्ला माफ किया है क्या उन क्षेत्रों में खास तौर पर जिला आगरा में ८० फी सदी गल्ला वसूल हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उस गल्ले को वापस करेगी ?

श्री श्यामलाल यादव--

कटनी कछार के क्षेत्रों में लेवी में छूट देने के आदेश १६-५-६७ को दिये गये थे, परन्तु इन आदेशों की प्राप्ति के पूर्व ही आगरा में प्रारम्भ में लगी हुई लेवी का १९ प्रतिशत गल्ला वसूल हो चुका था । जो गल्ला उक्त आदेशों के पर्व वसूल हुआ उसकी वापसी का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*४८--श्री हुकम सिंह--

ब्लाक शमसाबाद के अन्तर्गत जिला आगरा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि राजस्थान की सीमा के पास से गल्ला उधार ले जाने पर पाबन्दी है ? क्या सरकार इस क्षेत्र के लोगों को आगरे की मन्डी में गल्ला लाने की छूट देगी ?

श्री श्यामलाल यादव--

जी हां । लेकिन उक्त क्षेत्र से गल्ला आगरा मन्डी में लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

*४९-५०--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

[स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद, हिन्द सीड कम्पनी के विरूद्ध शिकायत

*५१--श्री भृगुनाथ--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद, हिन्द सीड कम्पनी को सन् १९६५-६६ में सब्जियों के बीज को उत्तर प्रदेश के विकास खंडों में सप्लाई का ठेका दिया गया था और कम्पनी द्वारा जो बीज सप्लाई किया गया वह पुराना और सड़ा हुआ होने के कारण उग नहीं पाया जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक विकास खंड के अधिकारियों ने सरकार को दी ? क्या सभी बीज की कीमत सरकार द्वारा अदा कर दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध पैसा वसूली की कार्यवाही करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--

(प्रथम भाग)--जी नहीं, कोई ठेका नहीं दिया गया था । जिस प्रकार अन्य पंजीकृत बीज भन्डारों से बीज खरीदा गया उसी प्रकार हिन्द सीड कम्पनी से भी बीज खरीदा गया था ।

(द्वितीय भाग)--जी नहीं ।

(तृतीय भाग); उक्त कम्पनी द्वारा सप्लाई किये गये बीज की कोई शिकायत न मिलने के कारण बीज की कीमत अदा कर दी गयी । केवल २,७८९.१६ रुपये का भुगतान बिल प्रमाणित न होने के कारण शेष है । कम्पनी से अदा की हुई कीमत की वसूली का प्रश्न नहीं उठता है ।

मुरादाबाद नगरपालिका का पानी सप्लाई ठेका

*५२—श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार मुरादाबाद नगरपालिका में पानी के सप्लाई के ठेके की व्यवस्था को समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इस पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार करने के पश्चात् ही कोई निर्णय लेना सम्भव होगा ।

जौनपुर में शेखपुरा तक मार्ग

*५३—श्री माताप्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर नगर (जो प्रशासक के अन्तर्गत है) के अन्दर शेखपुरा (खनूसपुर) मुहल्ले की बस्ती तक आने-जाने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं है ? यदि हां, तो इस बस्ती तक आने-जाने के लिए नगरपालिका ने कौन-सा रास्ता बनाने की योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

जौनपुर नगर के अन्दर मोहल्ला शेखपुरा (खनूसपुर) की बस्ती तक आने-जाने के लिए एक सुगम पगडण्डी मौजूद है ।

ग्रामीण क्षेत्र में शकर की दुकाने बन्द होना

*५४—श्री रघुनाथ सिंह सेंगर (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार की गल्ला उगाही योजना के लागू होने के साथ ही विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने देहात को शकर की दूकानों को शकर देना बन्द कर दिया ?

श्री श्यामलाल यादव—

किसी किसी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की उगाही के दौरान चीनी की पूर्ति की स्थिति चिन्ताजनक होने के कारण चीनी बिल्कुल न बंट सकी हो ऐसा सम्भव है । इसका मुख्य कारण यह है कि उगाही कार्य शुरू होने के साथ ही भारत सरकार ने चीनी के उत्पादन में कमी के कारण प्रदेश का मासिक कोटा २८,०८० मी० टन से घटाकर १६,७१२ मी० टन कर दिया था । जिस अनुपात में प्रदेश का कोटा कम हुआ था उसी अनुपात में जिलों का कोटा भी कम कर दिया गया था । चूंकि रबी की उगाही देने वालों को चीनी के मामले में सरकार का निर्णय था कि उन्हें और उपभोक्ताओं का कोटा कम करके भी चीनी दी जाय इसलिए न केवल ग्रामीण वरन् अन्य सभी वर्गों के चीनी उपभोक्ताओं के कोटों में कमी करके रबी उगाही देने वालों को चीनी दी गई ।

*५५—श्री रघुनाथ सिंह सेंगर—

यदि हां, तो क्या सरकार ने उस आशय के आदेश प्रसारित किये थे ?

श्री श्यामलाल यादव—

जी नहीं ।

खरखौंदा के बी० डी० ओ०, श्री ओ० एन० गर्ग के विरुद्ध जांच

*५६—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला मेरठ के ब्लाक खरखौदा के बी० डी० ओ०, श्री ओ० एन० गर्ग के विरुद्ध नलकूपों के लिए स्वीकृत सब्सिडी के गलत वितरण के संबंध में किये

गये आरोपों की जो जांच डी० पी० ओ० तथा जिलाधीश मेरठ ने हाल ही में की है उसके परिणाम स्वरूप जनता में बड़ा असंतोष फैल गया है तो क्या उस जांच के बाद जो कार्यवाही हुई है उसे कृपा कर संक्षेप मे सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी ?

श्री जयराम वर्मा—

अतिरिक्त विकास आयुक्त के आदेशानुसार जिला नियोजन अधिकारी मेरठ में स्वयं इस मामले की जांच की। उनकी जांच रिपोर्ट देखने से यह ज्ञात हुआ कि जांच भली प्रकार से नहीं की गई अतः संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ को कहा गया था कि वह इस मामले की भली भाँति पूरी जांच करें। संयुक्त विकास आयुक्त ने यह जांच ठीक से करने के लिए जिलाधीश मेरठ से निवेदन किया। उन्होंने अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) को यह जांच सौंपी है चूंकि श्री रघुनन्दन शर्मा की शिकायती दरखास्त में उन सभी व्यक्तियों के पूरे नाम और पते जिनको इस शिकायत की जानकारी है वर्णित नहीं थे अतः अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) ने श्री शर्मा से संबंधित व्यक्तियों के पूरे नाम और पते दिनांक ७ दिसम्बर, १९६७ तक चाहा था। जांच जारी है। संबंधित व्यक्तियों के बयान लेने एवं कागजात देखने में अवश्य कुछ समय लगेगा।

ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच कराने के उपरांत जनता में इससे किसी प्रकार का असंतोष हुआ है।

देवरिया जिले में लघु सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*५७—श्री चन्द्रबली—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में माइनर इर्रीगेशन विभाग के बोरिंग मैकेनिकों व सहायक बोरिंग मैकेनिक का पिछले ६ मास से १५ माह तक का वेतन बाकी है और उनके कारण उनमें उपवास और भुखमरी की हालत पैदा हो गई है ? यदि हां, तो पेमेंट कराने के लिए और दोषी को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

देवरिया जनपद में माइनर इर्रीगेशन विभाग के बोरिंग मैकेनिक/सहायक बोरिंग मैकेनिक का पिछला ६ मास से १५ माह तक वेतन न पाने वाले ८ बोरिंग मैकेनिक एवं सहायक बोरिंग मैकेनिक हैं जब कि कुल ८० बोरिंग मैकनिक/सहायक बोरिंग मैकेनिक इस जनपद में कार्य कर रहे हैं। इनका वेतन निम्न कारणों से रुका है:—

(१) थोड़ी-थोड़ी छुट्टी बढ़ाते हुए लम्बी अवधि तक अवकाश पर रहना।

(२) बिना स्वीकृत कराये अवकाश पर चले जाना।

(३) बिना सूचना के कार्य क्षेत्र से गायब रहना।

(४) अवकाश से वापस आने पर छुट्टी मंजूर करके वेतन बनाने अथवा वेतन रहित अवकाश मंजूर की कार्यवाही की जा रही है। दोषी बोरिंग मैकेनिक एवं सहायक बोरिंग मैकेनिक स्वयं हैं। अतः किसी और को दण्डित करने का प्रश्न नहीं है।

खंडेह ग्राम में कुओं को गहरा करने की आवश्यकता

*५८—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खडेह, तहसील मौदहा, जिला हमीरपुर में कुंओं में पानी न होने से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

जी नहीं।

*५९—श्री प्रेमदत्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उक्त ग्राम के कुंओं को गहरे करवाने की योजना १९६६-६७ में बनाई थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक अमल किया गया या नहीं ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

जी हां। संबंधित ग्रामवासियों से सहयोग न मिलने के कारण कुंओं को गहरा न किया जा सका। भविष्य में जैसे ही कार्य आरंभ करने योग्य कुंओं में पानी के धरातल में कमी होगी कार्य आरंभ कर दिया जायेगा।

सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजना

*६०—श्री उमादत्त तथा श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार सुल्तानपुर जिले के भदैया, प्रतापपुर, कमेचा और दुबेपुर ब्लाकों को ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत लेने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं, क्योंकि अभी कोई नया ब्लाक ग्रामीण जन-शक्ति योजना में नहीं लिया जा रहा है।

*६१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

[७वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

तालबेहट के ब्लाक प्रमुख तथा विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध आरोप

*६२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झाँसी)—

क्या विकास मंत्री इस सदन में दिनांक १९ जून, १९६७ को तारांकित प्रश्न संख्या ५६ में दिये गये उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख तालबेहट, जिला झाँसी किस सन् के कौन से कितने अनुदानों के स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग के उत्तरदायी पाये गये थे जिनके कारण ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध उचित कार्यवाही के लिए लिख दिया गया था ?

*६३—क्या मंत्री जी इस क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री केशवदास भट्ट ब्लाक प्रमुख के पद पर थे ही नहीं तब फिर ब्लाक प्रमुख को किस अधिकारी की रिपोर्ट पर उत्तरदायी पाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने को लिखा गया था ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्न संख्या ६२ व ६३ में जिन अनुदानों के विषय में जानकारी चाही गई है वह विभिन्न पत्रावलियों में है जिसके संकलित करने में समय लगेगा।

सम्भल नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों की जांच

*६४—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संभल जनसंघ के प्रधान श्री कुंज बिहारी लाल अग्रवाल की ओर से कोई पत्र संभल नगरपालिका के अन्दर फैले भ्रष्टाचार अनियमितताओं आदि के संबंध में २१ अप्रैल, १९६७ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

जी हां। उस पर जिला मैजिट्रेट मुरादाबाद द्वारा जांच कराई गई थी जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। उसका परीक्षण करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

*६५—श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री महेश कुमार—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संभल नगरपालिका को सन् १९६४-६५ में प्रांतीय सरकार की ओर से लगभग १ लाख रुपये का सड़कों के लिए जो सरकारी अनुदान मिला था वह नगर की किन-किन सड़कों पर पैसा लगाया गया ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

संभल नगरपालिका को वर्ष १९६४-६५ में शासन द्वारा सड़कों के निर्माण तथा सुधार के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

गल्ला वसूली में चीनी के परमिट

*६६—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से जिला की ओर खासतौर से तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि जिन किसानों ने लेवी का गल्ला १५ जून, १९६७ के बाद दिया है उन्हें चीनी और सीमेन्ट के परिमिट नहीं दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्यामलाल यादव—

ऐसे कोई आदेश शासन द्वारा नहीं जारी किये गये हैं । ३० जून तक जिन किसानों ने गल्ला दिया उनको चीनी, सीमेंट के परमिट दिये जाने की व्यवस्था थी ।

सहारनपुर जिले में गल्ला उगाही में छूट

*६७—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला सहारनपुर में गल्ला उगाही का लक्ष्य क्या था और उसमें से कितना वसूल हुआ है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने गल्ला नहीं दिया उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने जा रही है ? कितने लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्यामलाल यादव—

जिला सहारनपुर में कुल १,१७,१६९ क्विन्टल उगाही का निर्धारण उत्पादकों पर किया गया था जिसमें से १,१५,१४२ क्विन्टल गल्ला वसूल हुआ है । जिन लोगों ने गल्ला नहीं दिया है उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने का आदेश है । कुल ३,०४३ बकायादारों में से १,५८३ उत्पादकों के विरुद्ध उगाही न देने के लिए मुकदमा चलाने की उचित कार्यवाही जारी की गयी है । यह भी सुविधा सरकार ने दे दी है कि रबी अनाज की जगह धान भी सरकार को दिया जा सकता है । वसूली होने पर मुकदमें वापस किये जाने के भी आदेश हैं ।

*६८—श्री रामसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि ब्लाक रामपुर, नागल तथा नकुड़, जिला सहारनपुर के किन-किन ग्रामों के किन-किन लोगों ने ओला-वृष्टि से होने वाली क्षति से गल्ला न दे सकने के प्रार्थना-पत्र सरकार को या जिलाधीश को दिये और उनमें से किन-किन को गल्ले की उगाही की माफी दी गई ?

श्री श्यामलाल यादव—

नागल ब्लाक के किसी ग्राम में ओले का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, इस कारण से इस ब्लाक के गांवों के उत्पादकों को उगाही से छूट देने की आवश्यकता नहीं हुई । अन्य दो ब्लाक के ग्रामों के जिन-जिन लोगों ने उगाही न देने के प्रार्थना-पत्र दिए तथा उनको जो लेवी में छूट या माफी दी गयी, उसकी सूची †संलग्न है ।

---

†सूची छापी नहीं गयी ।

विकास खण्ड, मुंगराबादशाहपुर में बोरिंग के लिये जमा किया गया धन

*६९—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि एवं सामुदायिक विकास मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिलान्तर्गत विकास खण्ड, मुंगराबादसाहपुर के बी० डी० ओ० ने २० जून, १९६४ को चालान संख्या ६ के द्वारा अल्प-सिंचाई विभाग, जौनपुर में ४०० रुपया प्रति कृषक सर्वश्री राम देव, गयादीन, रघुनाथ तथा छविनन्दन, ग्राम निवासी भसोट, जिला जौनपुर के नाम से जमा किया था ? कृषकों ने अपने व्यय पर बोरिंग करा दिया है और मार्च-अप्रैल, १९६६ में बी० डी० ओ०, मुंगराबादशाहपुर का कार्यपूर्ति का प्रार्थना-पत्र भी दिया है ? न तो रुपया मिला और न आज तक उन्हें किसी कार्यवाही की जानकारी ही कराई गई ? यदि यह सही है, तो क्यों रुपया नहीं दिया गया और क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, जमा किया था। कृषकों ने अपने व्यय पर बोरिंग नहीं कराया बल्कि बोरिंग का कार्य विभागीय बोरिंग मेकेनिक द्वारा कराया गया। मार्च-अप्रैल, १९६६ में इन कृषकों से कोई कार्य पूर्ण होने का प्रार्थना-पत्र बी० डी० ओ० के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ। विभागीय बोरिंग कराने के बाद बचा धन कृषकों के तकावी ऋण के हिसाब में समायोजित कर दिया गया, जिसकी सूचना कृषकों को ४ नवम्बर, १९६७ को दे दी गई है।

काशीपुर के सप्लाई इन्स्पेक्टर का स्थानान्तरण

*७०—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर (नैनीताल) में सप्लाई इंसपेक्टर के पद पर एक ही व्यक्ति पिछले ११ साल से नियुक्त है और बावजूद अनेक शिकायतों के उसका ट्रांसफर नहीं किया गया ?

श्री श्यामलाल यादव—

जी नहीं। काशीपुर (नैनीताल) में एक सीनियर इंसपेक्टर श्री बी० एम० शर्मा थे, जिनका स्थानान्तरण किया जा चुका है और वह अगस्त, १९६७ में नैनीताल से कार्यमुक्त भी कर दिये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का कोटा घटना

*७१—श्री रामदत्त—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का कोटा जो साधारणतः पहले मिलता था मई व जून, १९६७ के महीनों में बन्द कर दिया गया था ?

श्री श्यामलाल यादव—

जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों का कोटा, प्रदेश का चीनी का २८,०८० मी० टन का मासिक कोटा भारत सरकार द्वारा घटाकर १६,७१२ मी० टन कर दिये जाने के करण, अवश्य घटा दिया गया था। इस काल में सभी वर्ग के चीनी उपभोक्ताओं का कोटा घटा दिया गया था। यह कार्यवाही इसलिए और भी आवश्यक हुई क्योंकि सरकार ने रबी खाद्यान्न की उगाही देने वाले उत्पादकों को विवाहादि के लिए चीनी का विशेष परमिट प्राथमिकता के आधार पर देने का निश्चय किया था।

सुरहुरपुर परगना में गल्ला उगाही

*७२—श्री रामनारायण (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगना सुरहुरपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर गल्ला वसूली योजना में पचास क्विन्टल से अधिक देने के लिए सूची बनाई गई थी ? उसमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले के ताल्लुकेदार हैं और उनसे गल्ला वसूली नहीं की गयी ?

श्री श्यामलाल यादव—

केवल एक जोत पर पचास क्विन्टल से अधिक उगाही की थी। वह भूतपूर्व ताल्लुकेदार नहीं थे। कुल गल्ला वसूल हो गया।

फाफामऊ में नलकूप न लग सकना

*७३—श्री रामदुलार पटेल—

क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद नगर महापालिका के अन्तर्गत फाफामऊ में पानी की बहुत कमी है जिसके कारण सरकार ने वहां पर सरकारी ट्यूबवैल लगाने की मंजूरी दी थी किन्तु अभी तक ट्यूबवैल नहीं लग सका ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

जी हां। जमीन न मिल सकने के कारण काम रुका हुआ है।

झांसी जिले में सरकारी गल्ले की दुकानें तथा खाद्य सलाहकार समिति

*७४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झाँसी में २ अप्रैल, १९६७ से ३० मई, १९६७ तक सरकारी सस्ते गल्ले की किस-किस की दुकानों को रद्द किया गया है और कितनी किस-किस के नाम से नई दुकानें स्वीकार की गई हैं ? उक्त दुकान को रद्द करने का क्या कारण था ?

श्री श्यामलाल यादव—

उत्तर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१२ पर)

*७५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झाँसी जिले में खाद्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य कौन-कौन हैं और उसकी बैठक अप्रैल, मई, जून, १९६७ में कब-कब हुई ?

श्री श्यामलाल यादव—

उत्तर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१२ पर)

सहारनपुर जिले में गल्ला उगाही

*७६—श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में देहात की सस्ते गल्ले की दुकानें क्या बन्द कराये हुये हैं ? और क्या वहां गल्ले की दुकान पुनः खोलने जा रही है। यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम लाल यादव--

जिला सहारनपुर अभावग्रस्त नहीं है, इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें नहीं चल रही हैं और न भविष्य में खोलने का विचार है ।

*७७--श्रीमती शकुंतला देवी--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस वर्ष जिला सहारनपुर से लेवी का अनाज किसानों से कितना वसूल हुआ है ?

श्री श्यामलाल यादव--

जिला सहारनपुर में इस वर्ष ५ नवम्बर, १९६७ तक १,१५,८९६ क्विन्टल अनाज लेवी के रूप में किसानों से वसूल किया गया ।

शाहजहांपुर जिले में गन्ना समितियों का आडिट

*७८--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४-६५ में शाहजहांपुर जिले में गन्ना समितियों द्वारा कितना गन्ने का बीज वितरण किया गया और उसके कर्ज की वसूलयाबी दिनांक १२ जुलाई, १९६७ तक कितनी हुई और उसका आडिट भी हुआ ? यदि हां, तो आडिट आब्जेक्शन क्या-क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

शाहजहांपुर जिल की शाहजहांपुर व रोजा गन्ना समितियों द्वारा वर्ष १९६४-६५ में ४२,९०२.७५ क्विन्टल गन्ने का बीज किसानों को वितरित किया गया। कर्जे की वसूलयाबी १२ जुलाई, १९६७ तक कुल रु० १,४६,१९१.५७ पैसे की हुई । इसका आडिट भी हुआ । आडिट की आपत्तियां गन्ना बीज वितरण के प्रमाण के बिना सब्सिडी देने के अधिकार-पत्र पर रुपया देने, गन्ने का बीज का अग्रिम के लिए सक्षम अधिकारी के रिजर्वेशन तथा वितरण के प्रमाण-पत्र, बुवाई प्रमाण-पत्र, न भुगतान किये गये अनुदान के विवरण, अग्रिम प्राप्त करने वालों के हस्ताक्षरों में अन्तर, गन्ना बीज सप्लाई टिकट में सप्लाई करने वालों के हस्ताक्षरों के न होने, इत्यादि, के विषय में थीं ?

*७९--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या गन्ना विकास मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर जिले के जिला गन्ना अधिकारी, श्री अल्वी साहब के खिलाफ सन् १९६५-६६ तथा १९६६-६७ में केन कमिश्नर, मंत्री तथा मुख्य मंत्री को रिश्वत खोरी की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जयराम वर्मा--

जी नहीं।

देवरिया से गल्ला निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी

*८०--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया उपभोक्ता सहकारी भण्डार के मंत्री ने बिहार सीमा पर लार व भाटपार में गल्ला बेचने का लाइसेंस १९६५-६६ में सरकार से लिया था ? यदि हां, तो क्या वहां से गल्ला बिहार को भेजा जाता था ?

श्री श्याम लाल यादव--

जी नहीं। वर्ष १९६५-६६ में देवरिया उपभोक्ता भण्डार के मंत्री ने लार एवं भाटपार में गल्ला बेचने का थोक एवं फुटकर लाइसेंस सरकार से नहीं लिया था। वहां से गल्ला बिहार को भेजने की सूचना सरकार को नहीं है ।

राजकीय कृषि बीज भण्डार, बिल्हौर के कर्मचारियों का निलम्बन

*८१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय बीज भण्डार, बिल्हौर, जिला कानपुर के कुछ कर्मचारी, ७ अप्रैल, १९६२ से सेवा से निलम्बित हैं ? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी हैं और किस-किस श्रेणी के ?

श्री जयराम वर्मा—

राजकीय कृषि बीज भण्डार, बिल्हौर के निम्नलिखित २ कर्मचारी अप्रैल, १९६२ से निलम्बित हैं :—

(१) श्री गिरिजा दयाल, अधीनस्थ कृषि सेवा—वर्ग तीन ।

(२) श्री प्रताप नारायण, बीज भण्डार लिपिक ।

*८२—श्री चन्द्रबली—

[५वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहकारी उपभोक्ता भण्डार, हाथरस में आटे की बिक्री

*८३—श्री मदनमोहन मिश्र—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वे स्वयं दिनांक १५ मई, १९६७ को हाथरस गये थे और उन्होंने कोआपरेटिव की सस्ते गल्ले की दूकान पर स्वयं चेकिंग किया था ? क्या मंत्री जी ने वहां रिजक्टेड आटा होलसेल आटे के भाव बिकते हुए पकड़ा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री श्यामलाल यादव—

यह सही है कि १५ मई, १९६७ को भूतपूर्व खाद्य मंत्री हाथरस गये थे और वे वहां की कोआपरेटिव की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर गये थे । यह कहना कि उन्होंने वहां रिजल्टेन्ट आटे को होलमील आटे के भाव बिकते हुए पकड़ा था सही नहीं है ।

*८४—श्री मदनमोहन मिश्र—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १३/१४ मई, १९६७ को इंसपेक्टर ने भी उक्त शिकायत पकड़ी थी और रिपोर्ट कर दी थी ? फिर भी उस मामले पर अभी तक क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री श्यामलाल यादव—

ऐसी शिकायत के संबंध में इंसपेक्टर की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

खीरी जिले में गल्ला उगाही

*८५—श्री करनसिंह तथा श्री बंशीधर मिश्र—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६७ के महीने में खीरी जिले मे वे गये थे और वहां जिलाधीश ने उनसे कहा था कि निघासन तहसील में रबी की फसल इतनी नहीं है कि किसान लेवी का गल्ला दे सकें ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम लाल यादव--

जून, ६७ के महीने में खाद्य मंत्री खीरी जिले में गए थे और वहां के जिलाधीश ने कहा था कि तहसील निघासन में रबी की फसल कम मात्रा में पैदा होने के कारण वहां के किसानों को लेवी का गल्ला देने में कठिनाई होगी। इस संबंध में उचित आदेश जिलाधीश, खीरी को उसी महीने में जारी कर दिए गए थे जिसके अन्तर्गत किसानों को हर संभव सुविधा प्रदान की गई ?

हलवाई हित रक्षक समिति, बदायूं का शिकायती पत्र

*८६--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जून सन्, १९६७ में डी० एस० ओ०, बदायूं के भ्रष्टाचार के संबंध में हलवाई हितरक्षक समिति द्वारा कोई स्मति-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्यामलाल यादव--

हलवाई हित रक्षक समिति, बदायूं का कोई शिकायती-पत्र सचिवालय या जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। श्री शराफत हुसैन रिजवी को लिखा गया है कि वह कृपया उस पत्र की एक प्रतिलिपि दिलवायें जिसका संकेत उन्होंने अपने प्रश्न में किया है।

गोरखपुर जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*८७--श्री अश्वनीकुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में वर्ष सन् १९६६-६७ में जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत किन सड़कों की मरम्मत तथा किन पोखरों के गहरा करने के काम की स्वीकृति दी गई थी और उनमें कौन से काम उस वर्ष प्रारंभ नहीं किये गये ?

श्री जयराम वर्मा--

गोरखपुर जिलें में वर्ष १९६६-६७ में ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत ३१ सड़कें निर्माण के लिए तथा ५४ पोखरे (तालाब) गहरा करने की स्वीकृति दी गई-थी।

सड़कों की सूची† संलग्नक "क" एवं तालाबों की सूची "ख" पर उपलब्ध है।

उक्त स्वीकृत कार्यों में वर्ष १९६६-६७ में जिन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था उनकी सूची† संलग्नक "ग" व "घ" पर उपलब्ध है।

*८८--श्री अश्विनी कुमार--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोडीराम-गजपुर रोड आर० एम० पी० योजना के अन्तर्गत ली गई थी ? यदि हां, तो उस पर काम क्यों नहीं प्रारंभ हुआ ?

श्री जयराम वर्मा--

जी हां। जिला परिषद् गोरखपुर ने सड़क पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।

हरदोई तथा मेरठ जिले में टाउन एरिया बनाने पर विचार

*८९--श्री रामप्रकाश त्रिपाठी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई तथा मेरठ जिले के किन किन ग्रामों का टाउन एरिया बनाने के लिए आवेदन-पत्र सरकार के सम्मुख विचाराधीन है तथा उन पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

---

† सूची छापी नहीं गयी।

श्री बरमेश्वर पाण्डेय--

हरदोई जिले के ग्राम गोपामऊ, कछाना, पतसेनी तथा बावन तथा मेरठ जिले के ग्राम लोनी, किठौर, पटला, बहसूमा, ब्रज-हाल्ट एवं शाहजहांपुर में टाउन एरिया बनाये जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। जब पूर्ण विवरण प्राप्त हो जायेगा तभी निर्णय लिया जायेगा।

धान की सरकारी खरीद

*९०--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरीफ की आगामी फसल में किसानों से गल्ला खरीदने का कोई निश्चय किया है ? यदि हां, तो वसूली की रूपरेखा क्या है और कौन-कौन सा अनाज किस-किस रेट पर खरीदने का निश्चय किया है ?

श्री श्यामलाल यादव--

खरीफ की फसल में किसानों से धान खरीदने का निश्चय किया गया है। खरीदारी की रूपरेखा तथा खरीदारी के मूल्य संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २१३ पर)

टिहरी गढ़वाल में पम्पिंग सेट

*९१--श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने पंपिंग सेट किन-किन स्थानों पर और कितने समय के अन्दर लगने वाले हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। निजी अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत शासन स्वयं कोई पंपिंग सेट नहीं लगाता है।

सिराथू व कड़ा ब्लाकों को ग्रामीण जनशक्ति योजना में न लिया जाना

*९२--श्री मंगलाप्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रूरलमैन पावर स्कीम में सिराथू-कड़ा ब्लाक सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो कब तक शामिल हो जायगा ?

श्री जयराम वर्मा--

सिराथू व कड़ा ब्लाक ग्रामीण जन-शक्ति योजना में स्वीकृत ब्लाक नहीं है। ग्रामीण जन-शक्ति योजना केंद्र द्वारा पोषित योजना है। इस योजना में नये ब्लाकों को स्वीकृत करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। केंद्रीय सरकार फिलहाल नये ब्लाकों को इस योजना में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में नहीं है। अतः निकट भविष्य में इन ब्लाकों को ग्रामीण जन-शक्ति योजना में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में ग्रामीण क्षेत्र में चीनी का अभाव

*९३--श्री महराम सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में शकर की ऐसी कितनी सरकारी दूकानें हैं जिनके द्वारा १५ अप्रैल, १९६७ से १६ जुलाई, १९६७ तक जनता को बिल्कुल शकर नहीं दी गई ?

श्री श्यामलाल यादव--

जी हां, ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली १६६ न्याय पंचायत केंद्रों के दुकानदारों को इस अवधि में जनता को वितरण हेतु चीनी का कोटा नहीं दिया गया। यह इसलिए हुआ कि रबी खाद्यान्न उगाही योजना के अन्तर्गत उगाही देने वाले उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें अलग से चीनी का परमिट देना अपेक्षित समझा गया था। चूंकि इस हेतु चीनी अलग से उपलब्ध करना संभव नहीं था और इस समय भारत सरकार ने प्रदेश का मासिक कोटा २८,०८० मी० टन से घटाकर १६,७१२ मी० टन कर दिया अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित चीनी के कोटे में ही नहीं वरन् नगर क्षेत्र के कार्ड होल्डरों व बड़े उपभोक्ताओं के कोटे में कमी करके उगाही देने वालों को चीनी दी गयी। फर्रुखाबाद जिले में चीनी की उपलब्धि की स्थिति ऐसी नहीं थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उगाही देने वालों को चीनी देने के बाद भी फुटकर चीनी विक्रेताओं द्वारा चीनी वितरित कराई जा सके।

राजेन्द्रनगर, लखनऊ में बरसाती पानी की निकासी

*९४--श्री राधेश्याम कपूर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि राजेंद्रनगर कालोनी (लखनऊ) के पूर्वी भाग में (जी० पी० आई० एफ०) सरकारी फैक्ट्री के पास में बरसाती पानी की निकासी का कोई उचित प्रबन्ध न होने के कारण निवासियों के घरों में ३-४ फुट तक पानी इकट्ठा हो जाता है, सरकार इसकी जांच कर कालोनी के निवासियों के कष्टों को दूर कराने की व्यवस्था कब तक करायेगी ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय--

जी हां, नगर महापालिका इस कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन धनाभाव के कारण अभी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी।

गोंडा जिले में शकर व मैदा का कोटा

*९५--सर्वश्री रामदेव, रामदुलारे तथा सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर, महराजगंज, बलरामपुर, कर्नलगंज, जिला गोंडा के बाजरों में किन-किन को कितना-कितना मासिक कोटा मैदा-शकर का बिस्कुट, डबल रोटी एवं लैमनचूस बनाने के लिए दिया जाता है।

श्री श्याम लाल यादव--

वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिए नत्थी 'च' पृष्ठ २१४-२१५ पर)

*९६--सर्वश्री रामदेव, रामदुलारे तथा सुखदेव प्रसाद--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त लोगों को उक्त चीजें कब से मिल रही हैं और क्या उनकी कोई फैक्ट्री भी है ?

श्री श्यामलाल यादव--

उक्त चीजें मिलने की तिथि उपरोक्त सूचना में दी है। बेकरों के पास बिस्कुट बनाने की भट्ठियां हैं।

आगरे में राशन कार्ड पर यूनिट न बढ़ाने की शिकायत

*९७--श्री रमाशंकर अग्रवाल--

क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश गत वर्ष दिया है कि प्रार्थना-पत्र आने पर भी किसी भी राशन कार्ड पर यूनिटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाय ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और यदि नहीं, तो आजकल प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर भी आगरा नगर में यूनिट क्यों नहीं बढ़ाये जा रहे हैं ?

श्री श्यामलाल यादव--

इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं कि प्रार्थना-पत्र आने पर भी किसी भी राशन कार्ड पर यूनिटों की संख्या न बढ़ाई जाय। प्रार्थना-पत्रों पर जांच के उपरांत यूनिट बढ़ाये जा रहे हैं।

निजी नलकूप को अनुदान

*९८--श्री सरजूप्रसाद (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइवेट नलकूपों पर सब्सिडी देगी और सरकारी ट्यूबवेल के कमांड में जो कुंए आ रहे हैं उनका अनुदान बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा--

प्राइवेट नलकूपों पर अनुदान दिया जा रहा है परन्तु सरकारी नलकूपों के कमांड में जो निजी नलकूप बिजली से चलाये जाते हैं उन पर अनुदान नहीं दिया जाता क्योंकि बिजली से चलने वाले कलकूप से under gruund strata की भारी क्षति पहुंचती है।

सिरसिया क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की प्रार्थना

*९९--श्री कमला प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या सरकार कृपया यह बतायगी कि बहराइच जिले के विकास खण्ड सिरसिया में सूखा ग्रस्त होने के कारण प्रत्येक न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की शीघ्र व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्यामलाल यादव--

बहराइच जिले के सिरसिया क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा अन्न वितरण की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

जोगिया ब्लाक में सीड स्टोर इंचार्ज के विरुद्ध कार्यवाही

*१००--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लाक जोगिया, जिला बस्ती के कृषि विभाग द्वारा संस्थापित सीड स्टोर इंचार्ज के खिलाफ क्षेत्र समिति ने ६६-६७ के जून मास में प्रस्ताव भेजा था कि वहां के सीड स्टोर इंचार्ज का व्यवहार जनता के साथ ठीक नहीं है? यदि हां, तो बस्ती जिला कृषि अधिकारी ने स्टोर इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री जयराम वर्मा--

क्षेत्र समिति जोगिया ब्लाक, जिला बस्ती ने इस प्रकार का प्रस्ताव जून, १९६६ में नहीं बल्कि नवम्बर, १९६६ में पारित किया था। तदनुसार सीड स्टोर इंचार्ज के स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

पिनाहट टाउन एरिया के लिये नल

*१०१--श्री राम दास (जिला आगरा)--

क्या सरकार पिनाहट टाउन एरिया, जिला आगरा में नल लगवाने पर विचार कर रही है?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

जी हां।

*१०२—श्री गौरी शंकर सर्राफ (जिला बांदा)—

(६ठें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

काशीनाथ, सरकारी गल्ला दुकानदार, बाबतपुर के विरुद्ध जांच

*१०३—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकान बाबतपुर चौमुहानी, तहसील वाराणसी के दूकानदार काशीनाथ के खिलाफ अधिक कीमत लेने, कम तौलने आदि के संबंध में बड़ा गांव थाने में १९ अप्रैल, १९६७ को सेचन गांव रघुनाथपुर ने रिपोर्ट किया, जिसकी जांच तहसीलदार वाराणसी ने १९ अप्रैल, १९६७ को किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और तहसीलदार वाराणसी ने क्या रिपोर्ट इस संबंध में किया ? क्या उक्त दुकानदार आज भी गल्ला उठा रहा है।

श्री श्यामलाल यादव—

दिनांक १९ अप्रैल, १९६७ को सस्ते गल्ले के दुकादार श्री काशीनाथ के विरुद्ध अधिक कीमत लेने तथा कम गल्ला तौलने के संबंध में सेचन निवासी ग्राम रघुनाथपुर ने थाना बड़ागांव पर रिपोर्ट की थी। तहसीलदार वाराणसी ने इस रिपोर्ट पर जांच नहीं की थी बल्कि वे जिला मजिस्ट्रेट से इसी आशय की की गई एक अन्य शिकायत पर जांच करने दिनांक १९ अप्रैल, १९६७ को घटनास्थल पर गये थे। क्योंकि पुलिस में शिकायत संबंधी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी, अतः तहसीलदार ने विस्तृत जांच नहीं की और किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सके। पुलिस की जांच पूरी होने पर मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायगा। उक्त दुकानदार को गल्ला नहीं दिया जा रहा है।

दरियाबाद ब्लाक में नलकूप

*१०४—श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी) तथा श्री चन्द्र कुमार (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के विकास क्षेत्र दरियाबाद में कितने ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलाये जा रहे हैं ? और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने ट्यूबवेल सरकारी तथा कितने ट्यूबवेल प्राइवेट हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

बाराबंकी जिले के विकास क्षेत्र दरियाबाद में ५२ नलकूप बिजली द्वारा चलाये जा रहे हैं। वे सभी प्राइवेट नलकूप हैं।

फर्रुखाबाद जिले में नियोजन विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*१०५—श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के नियोजन विभाग में काम करने वाले ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें १९६५-६६ व १९६६-६७ में वेतन नहीं दिया गया और क्यों ? यदि दिया गया तो, कितने दिन बाद और कितना शेष है ?

श्री जयराम वर्मा—

ब्योरेवार सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २१६-२१८ पर)

टिहरी गढ़वाल के लिये वन पंचायत की मांग

१०६—श्री त्रपन सिंह तथा श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में अल्मोड़ा तथा पौड़ी-गढ़वाल के समान वन पंचायत क्यों नहीं बनी ? क्या सरकार निकट भविष्य में टेहरी-गढ़वाल में भी अन्य पर्वतीय जिलों की भाँति वन पंचायत बनाने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

वर्तमान कुमायूं पंचायत फारेस्ट रूल्स के अनुसार टिहरी गढ़वाल में वन पंचायतें स्थापित नहीं की जा सकती। इस संबंध में नये नियम बनाये जा रहे हैं। जिनके बन जाने पर टेहरी गढ़वाल जिले में वन पंचायतें स्थापित की जा सकेंगी।

अलीगंज-सरायगंज मार्ग

*१०७—श्री लटूरी सिंह यादव (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला एटा में अलीगंज से सराय जंग सरकार द्वारा बनाये जाने के लिये मार्ग में पड़ने वाली पुलियों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में हो चुका है, किन्तु यह सड़क अभी तक नहीं बनी है ? सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में पुराने क्षेत्र विकास अधिकारी

१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के प्रत्येक ब्लाक में कितने विकास अधिकारी ऐसे हैं जो पांच वर्षों से ऊपर से जिले में हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

आजमगढ़ जिले में केवल दो क्षेत्र विकास अधिकारी ऐसे हैं जो उसी जिले में पांच वर्ष से अधिक समय से हैं।

रायबरेली जिले की विकास योजनायें

दलबहादुरसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे यह कि दिनांक १४ अप्रैल, १९६७ को रायबरेली में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी के समक्ष रायबरेली जिले के विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं पर विचार हुआ जिसमें विकास मंत्री स्वयं मौजूद थे ? वह क्या थी ?

श्री जयराम वर्मा—

दिनांक १४ अप्रैल, १९६७ को रायबरेली में प्रधान मंत्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सामुदायिक विकास मंत्री के बीच रायबरेली जिले की विकास योजनाओं पर साधारण रूप में चर्चा हुई। इस चर्चा में सामान्यतया विकास योजनाओं के विभिन्न अंगों पर विचार विमर्ष हुआ कि किस प्रकार विकास संबंधी कार्यक्रम सुचारु रूप से आगे बढाया जाये, ताकि रायबरेली जिला भी सर्वतोन्मुखी विकास की ओर अग्रसर हो सके। विकास के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु विशेष रूप से कृषि उत्पादन, अल्प सिंचाई, औद्योगिक कार्यक्रम, यातायात, तथा

सहकारिता आदि पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया, परन्तु यह अवश्य निश्चय किया गया कि विकास के हर अंग को मजबूत बनाने का यथा संभव प्रयास किया जाय। उदाहरणस्वरूप अल्प सिंचाई के क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में विद्युत्, नलकूपों को बढ़ावा दिया जाय और साथ-साथ अन्य साधनों को भी उसी अनुसार प्राथमिकता दी जाय। नहरों द्वारा सिंचाई को आगे बढाने के लिये यह भी विचार किया गया कि गंगा तथा सई नदी का पानी पम्प किया जाय। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अधिक से अधिक क्षेत्र उन्नतिशील बीजों द्वारा बोया जाय ताकि किसानों को रबी, खरीफ तथा जायद में अपनी उपज को बढ़ाने का अवसर मिले। यह भी सोचा गया कि भूमि संरक्षण के कार्य को और मजबूत बनाया जाय और बंजर भूमि को सुधारा जाय। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ अन्य नये उद्योग खोलने पर विचार किया गया, जैसे फल संरक्षण का कार्य या चीनी मिट्टी के बर्तनों के बनाने का कार्य इसी प्रकार सहकारिता के अन्तर्गत यह विचार किया गया कि देहाती क्षेत्रों में दूध उत्पादन का सर्वेक्षण इस आशय से किया जाय कि इस दूध को लखनऊ स्थित दूधशाला में भेजने के कार्यक्रम तथा योजना पर विचार हो सके। कोल्ड स्टोरेज खोलने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। यातायात के संबंध में यह विचार किया गया कि जिले में गंगा नदी पर डलमऊ से एक पीपे का पुल लगाया जाय तथा कुछ सड़कों को पक्का बनाने तथा शेष को सुधारने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाय।

बभनी ब्लाक के ग्राम सेवक का बकाया वेतन

३—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर जिले के बभनी ब्लाक में कितने ग्राम सेवकों के वेतन गत वर्ष से बाकी हैं और भुगतान की दिशा में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

उक्त विकास खंड के केवल एक ग्राम सेवक (श्री सुखदेव दुबे) का केवल ४ दिन का वेतन (१८-११-६६ से २१-११-६६ तक का) भुगतान होने को बाकी है।

इस विलम्ब का कारण यह है कि इसके पूर्व श्री दुबे नारायनपुर ब्लाक में कुछ दिन पूर्व छुट्टियों पर रहे। और छुट्टी प्रशासकीय कमियों के कारण स्वीकृत नहीं हो पायी है। जैसे ही यह छुट्टी स्वीकृत हुई, उनके बभनी खण्ड के अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

४—श्री नाथूराम शिक्षक—

(७वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।)

सौरिख ब्लाक के ग्राम सेवक का बकाया वेतन

५—श्री होरी लाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र सौरिख, जिला फर्रुखाबाद में काम करने वाले कौन-कौन ग्राम सेवक हैं जिनका एटा जिले में काम करने का एरियर जुलाई, १९५८ से मार्च, १९६२ तक का बकाया पड़ा है तथा जिनका वेतन १८ जुलाई, १९६४ से ३१ जुलाई, १९६४ तक का बढ़पुर विकास क्षेत्र फर्रुखाबाद में काम करने के समय का बकाया पड़ा है ? क्या इस संबंध में उन लोगों ने कोई प्रार्थना-पत्र संबंधित अधिकारियों को गत वर्ष से अब तक दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जयराम वर्मा—

इस प्रकार के दो ग्राम सेवक सर्वश्री पूरन सिंह यादव तथा अनवर सिंह यादव हैं। इन लोगों ने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिये हैं। अवशेष राशियों का भुगतान शीघ्र कराने के आदेश दे दिये गये हैं तथा इस देर के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों को दन्ड देने हेतु जिला नियोजन अधिकारी, एटा को जांच के लिय लिख दिया गया है।

बस्ती जिले में बीज भंडार

६—श्री प्रभुदयाल—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लाक जोगिया, बांसी, नौगढ़, बढ़नी बस्ती में कितने सीड स्टोर हैं और उन सीड स्टोरों से सन् १९६५–६६ और ६७ तक कितने रुपये का खाद बीज, बिका और वहां के कर्मचारियों पर कितना रुपया वेतन, भत्ता पर व्यय हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र जोगिया, बांसी, नौगढ़ तथा बढ़नी के अन्तर्गत इस समय ९ कृषि बीज भंडार हैं। नौगढ़ विकास क्षेत्र का एक कृषि बीज भंडार सन् १९६६ से बन्द हो गया है। उक्त बीज भंडारों पर १ जनवरी, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६७ तक खाद तथा बीज के विक्रय की धनराशि और वेतन भत्ता पर व्यय की धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:

बीज भंडार का नाम	खाद तथा बीज की बिक्रय की धनराशि (रु० में)	कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता पर व्यय की धनराशि (रु० में)
१	२	३
१—जोगिया	१,०४,९५०	१३,१५६
२—बुढ़नइया	६२,५५६	९,३४२
३—असोगवा	४२,६४०	१०,४७१
४—बढ़नी	१,००,९३३	१२,३४५
५—लुचुइया	६९,६५७	९,४४५
६— रामनगर	२५,४२७	९,६२०
७—नौगढ़	१,४०,४३५	१३,९३२
८—चिल्हिया (धनसा)	८०,३०५	१०,५५५
९—खलीलपुर	१,२००	१,८००
१०—बांसी	९८,८३६	१४,०६५

यह बीज भंडार सन् १९६६ से बन्द हो गया है और यहां के कर्मचारियों को अन्य विकास क्षेत्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है।

सगड़ी तहसील में सस्ते गल्ले की दूकानों को कोटा

७—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में माह मई व जून, १९६७ में सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानों पर बिल्कुल गल्ला वितरण निमित्त नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री श्यामलाल यादव—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को मई तथा जून, १९६७ में क्रमशः ८८० क्विंटल तथा १२१८ क्विंटल गल्ला वितरण निमित्त दिया गया।

गोरखपुर जिले में पेय जल योजना

८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले की कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ?

श्री परमेश्वर पांडेय—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २१९ पर)

आजमगढ़ जिले में गल्ला उंगाही

९—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में ३० जून, १९६७ तक गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत कुल कितना गल्ला वसूला गया ?

श्री श्याम लाल यादव—

आजमगढ़ जिले में ३० जून, १९६७ तक गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत १२,२१८ क्विंटल गल्ला वसूल किया गया।

१०—श्री मुक्तिनाथ राय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समस्त जिले में गल्ला वसूली योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले परगनाधीशों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, कानूनगो के टी० ए० में कुल कितना धन व्यय हुआ ? सरकार पूरी सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री श्याम लाल यादव—

गल्ला खरीदारी की मद से उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया गया। माल विभाग से परगना अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को ३,४६४ रु० भत्ता दिया गया। कानूनगोओं को मासिक भत्ता मिलता है। कोई अतिरिक्त भत्ता गल्ला खरीद योजना में व्यय नहीं हुआ।

झांसी डिवीजन में ग्राम सेवकों के तबादले

११—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झाँसी डिवीजन के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने मई तथा जून, १९६७ में कितने ग्राम सेवकों के तबादले किये ?

श्री जयराम वर्मा—

केवल जून, १९६७ में १३४ ग्राम सेवकों के तबादले प्रशासकीय कारणों से किये गये।

१२—श्री गोविन्द नारायण तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तबादलों के फलस्वरूप ग्राम सेवकों को अनुमानतः कितनी धनराशि टी० ए० के लिये दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

उक्त तबादलों पर अनुमानतः २३,७६० रु० भत्ता खर्च हुआ।

तालबेहट क्षेत्र में पेय जल-व्यवस्था

१३—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झाँसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट ब्लाक, जिला झाँसी मे ग्रामीण पेय जल योजना और सैनिक क्षेत्र पेय-जल योजना जिसका कार्य एल० एस० जी० ई० विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है कब तक पूरी हो जायगी और अब कब तक उक्त ग्रामों और टाउन एरिया क्षेत्र तालबेहट को पानी दिया जा सकेगा ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

तालबेहट ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र एवं तालबेहट टाउन एरिया में बिना छना हुआ पानी मई, १९६८ में दिया जायेगा परन्तु साफ किये हुये पीने के पानी को वितरण योजना दिसम्बर, १९६८ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

तालबेहट सैनिक क्षेत्र को इस समय अस्थायी रूप से पानी दिया जा रहा है । पानी की स्थायी सप्लाई जून, १९६८ तक किये जाने की संभावना है ।

शाहजहांपुर में मुन्नालाल को कोटा देने का विरोध

१४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि शाहजहांपुर नगर की गल्ला व कोटे की दूकान जो कि श्री मुन्नालाल के नाम से थी, जून के महीने में सस्पेन्ड की गई और चालान किया गया, जिसका मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन है, किन्तु राज्य सरकार ने उपरोक्त कोटा चीनी का अपना आदेश भेजकर जुलाई के प्रथम सप्ताह में बहाल कर दिया ?

श्री श्याम लाल यादव—

श्री मुन्नालाल गुप्ता की चीनी की तथा मैदा व सूजी की दुकान माह अप्रैल, १९६७ में निलम्बित की गई थी । यह सही है कि उनका चालान किया गया और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । सरकार मे उनकी केवल चीनी की दूकान को ही माह जुलाई, १९६७ में बाहाल किया ।

१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या यह भी सही है कि ९ अगस्त, १९६७ की मीटिंग में जो कि फूड एडवाइजरी कमेटी जो जिलाधीश के यहां हुई सर्वसम्मति से राज्य सरकार के आदेश के विरोध में एक प्रस्ताव पारित करके खेद प्रकट किया है और पुनः विचार करने हेतु प्रार्थना की है कि श्री मुन्नालाल के कोटा बहाल करने पर पुनः विचार किया जाये ?

श्री श्याम लाल यादव—

जी, हां ।

पीलीभीत से चीन को चावल भेजने की शिकायत

१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि जिला पीलीभीत के बनबसा होकर चावल तथा अन्य चीजें चीन पहुंचती हैं और इसी सम्बन्ध में पीलीभीत के कुछ नागरिकों ने तुरन्त तथा सख्त कार्यवाही हेतु मुख्य मन्त्री को अगस्त के प्रथम सप्ताह में लिखा है ?

श्री श्यामलाल यादव—

जी नहीं । पीलीभीत से बनबसा होकर चावल तथा अन्य चीजें इस प्रदेश से चीन को जाने की कोई सूचना नहीं है । पीलीभीत के नागरिकों से इस सम्बन्ध मे कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ ? अतः उसपर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी में बिस्कुट फैक्टरियों को कोटा

१७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर में किन-किन बिस्कुट फैक्टरियों को कितना कितना मैदा और चीनी का कोटा झांसी और कानपुर से (रीजनल फूड कन्ट्रोलर कानपुर से) प्रति माह दिया जाता है और जुलाई, १९६६ से ३० जून, १९६७ तक किस फैक्टरी को कितना मैदा और चीनी प्रति माह झांसी तथा कानपुर से गयी है ?

श्री श्यामलाल यादव—

चीनी से सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखी सूची 'अ' में दी है। चीनी का कोटा जिलों को रीजनल फूडकन्ट्रोलर द्वारा नहीं दिया जाता।

मैदा से सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखी सूची "ब-१" व "ब-२" में दी है।

सूची में दिये नामों में से अन्न प्रभात बिस्कुट फैक्टरी झांसी को अप्रैल, १९६७ से मैदा का कोटा बन्द कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा मैदा के दुरुपयोग की पुलिस जांच कर रही है और उक्त फैक्टरी ने हाई कोर्ट में रिट फाइल की है।

तहसीलदार, ललितपुर व महरौनी से प्राप्त चीनी परमिट

१८—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि तहसीलदार ललितपुर तथा महरौनी और एस० डी० एम० ललितपुर जिला झांसी के द्वारा १५ मई १९६७ से १५ जुलाई, १९६७ तक कहां-कहां से किन-किन व्यतियों को और हलवाइयों को ५ किलो से अधिक चीनी का परमिट दिया गया है ?

श्री श्यामलाल यादव—

उक्त अवधि में तहसीलदार ललितपुर द्वारा दिये गये चीनी के परमिटों की सूची 'स' सदन की मेज पर रखी है। इस अवधि में तहसीलदार महरोनी द्वारा दिये गये चीनी के परमिटों की सूची 'द' सदन की मेज पर रखी है। एस० डी० एम० ललितपुर द्वारा कोई परमिट नहीं दिया गया है।

लखनऊ महापालिका में मतदाताओं की सूची के सम्बन्ध में सुझाव

१९—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ नगर में नगर महापालिका द्वारा १२–१३ वर्षों में कई मोहल्ले के नाम बदल दिये गये हैं प वोटर लिस्टें अभी पुराने मुहल्लों के नामों से बनायी जा रही हैं जिससे जनता को बहुत परेशानी होती है। चूंकि यहां के महापालिका चुनाव सम्भवतः दिसम्बर में होने जा रहे हैं, अतः सरकार नये नामों का नहीं प्रयोग करने का आदेश देगी ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

जिला निर्वाचन अधिकारी से पूछ ताछ करने से पता चला है कि लखनऊ नगर महापालिका की निर्वाचन नियमावलियों में मोहल्लों के नाम अधीक्षक जनगणना उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गयी मोहल्लों की सूची के अनुसार है। नगर महापालिका लखनऊ से मोहल्लों के नामों के परिवर्तन के सम्बन्ध में कभी भी कोई सूचना उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

---

†सूची छापी नहीं गयी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया है कि लखनऊ नगर महापालिका से इस विषय में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ताकि भविष्य में परिवर्तित नामों के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार की जा सकें।

बस्ती जिले में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

२०—श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड खेसरहा, बांसी, मिठवल, डुमरियागंज में ग्रामीण जन शक्ति के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई हैं तथा वे बनकर कब तक तैयार हो जायेंगी ?

श्री जयराम वर्मा—

बस्ती जिले के पंसगगत विकास खण्डों में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत निम्न सड़कें स्वीकृत हैं :—

		लाख रु०
(१) डुमरियागंज ब्लाक।	(१) डुमरियागंज पथरा सड़क ८ मील	६.४०
	(२) बस्ती—डुमरियागंज बढ़नी सड़क मरम्मत ३ मील	१.५०
(२) मिठवल ब्लाक।	(३) पथरा-बांसी सड़क ४ मील ४ फर्लांग	३.६०
(३) बांसी ब्लाक	(४) बांसी पथरा सड़क ५—४ मील ..	४.४०
(४) खेसरहा	(५) खेसरहा ग्राम से खेसरहा ब्लाक तक २—३ मील	१.६०

उपरिलिखित ५ सड़कों में क्रम संख्या २ (डोमरियागंज ब्लाक) पर लिखी बस्ती डुमरियागंज बढ़नी सड़क मरम्मत ३ मील को छोड़ शेष चारों सड़कों का कार्य प्रगति पर है। खेसरहा ग्राम से खेसरहा ब्लाक तक २—३ मील सड़क वर्ष १९६८ में बन कर तैयार हो जाने की आशा है। शेष तीन सड़कें सन्, १९७० तक बन कर तैयार हो जाने का अनुमान है।

डाक्टर राममनोहर लोहिया के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय मुझे आज बहुत अफसोस के साथ तीन सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के निधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करना है। सब से पहले मैं स्वर्गीय डा० लोहिया के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह ठीक है कि वह इस सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन इस प्रकार के पूर्व दृष्टांत मौजूद हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि चाहे वह इस सदन का मेम्बर भी न रहा हो लेकिन हमारे सार्वजनिक जीवन में उसका एक विशिष्ट स्थान रहा हो तो बावजूद इस के कि वह इस सदन का मेम्बर न रहा हो उनका रिफरेंस किया जाता है। तो इस दृष्टि से मैं यह उचित समझता हूं कि स्वर्गीय डा० लोहिया की पब्लिक में जो पोजीशन थी उसके देखते हुये हमारे सदन के द्वारा उनके निधन के सम्बन्ध में शोक जाहिर किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय डा० लोहिया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महारथियों में से एक थे। जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता के युद्ध में हिस्सा लिया, उसकी पहली पंक्ति में उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गणना की जाती थी। जिस वक्त उनका निधन हुआ उनकी कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। उन की उस समय ५७, ५८ वर्ष की आयु थी। १९१० में उनका जन्म फैजाबाद जिले में इसी प्रदेश में हुआ था। जब उन की आयु १०/१२ वर्ष की थी तब उन के पिता जी को जेल जाना पड़ा। उन क पिता जी भी कांग्रेस क एक अच्छे कार्यकर्त्ता थे। उन के पिता जी की कारागार-यात्रा का उस बच्चे के मन पर एक बड़ा भारी असर पड़ा और ऐसा लगता है कि उसी असर न उन क सारे जीवन को एक प्रकार से पूरा उभार दिया था। जब वह २०–२२ वर्ष की उम्र क थ तो जमनी म पढ़ने के लिए भेजे गये। उन दिनों में वहां नाजी पार्टी का उदय हो रहा था और नाजी और सोशलिस्ट डेमोक्रैटिक पार्टी का संघर्ष प्रायः वहां रोज की बात थी। तो जमनी म रहते हुये उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का अध्ययन किया और शायद ऐसा लगता है कि उस में वहां उन्होंने दिलचस्पी लेना भी शुरू कर दिया। सन, १९३६ में वे यहां लौट कर आये और कांग्रेस में शामिल हो गये। सन्, १९४० में वे दो साल के लिए जेल भेजे गये। १९४२ म छूट कर आय और १९४४ में फिर दो साल के लिए जेल भेजे गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, कुछ दिन बाद, क्योंकि उनका कांग्रेस की कुछ नीतियों से मतभेद था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और सन, १९५४ में या १९५५ में उन्होंने एक पार्टी कायम की जिसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था और जैसा कि हम सबको मालूम हैं कि कुछ दिन के बाद उस पार्टी के स्वतंत्र दो अंग हो गये और फिर एक अंग हुआ और कुछ लोगों का मिलना हुआ और फिर एक संयुक्त समाजवादी पार्टी का गठन उनकी लीडरशिप में देश भर में हुआ। कुछ प्रदेशों में उसके बाद उनकी पार्टी के मेम्बर काफी संख्या में चुन कर आये। यह तो मैंने उनके जीवन का एक छोटा सा वृत्तान्त आप के सामने रखा। वैसे उन्होंने देश की जो सेवा की है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

उनका स्वाभाव और उनका अप्रोच सार्वजनिक प्रश्नों के तई ऐसा था कि जो उग्र कहा जा सकता था। एक एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी, ज्यादा आगे जाने वाली बात। उससे बहुत लोगों का मतभेद था और यूं तो दुनिया की हर बात में दो पहलू हो सकते हैं, दो रायें हो सकती हैं लकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसा अधिक होता है और उसमें एक से दो, दो से ज्यादा रायें भी किसी प्रश्न पर हो सकती हैं, लेकिन स्वर्गीय डाक्टर लोहिया का ढंग, जैसा मैंने कहा, इस प्रकार का था कि उन से लोगों का मतभेद अधिक तीव्र था या उनका मतभेद दूसरों से काफी तीव्र होता था और उसका कारण यह था कि चाहे जिसकी जो भी राय हो, लेकिन उनका अपना जो मत था, जो उनका अपना विश्वास था उस पर वे बहुत सख्ती के साथ, दृढ़ता के साथ जमे रहते थे, हमेशा। मसलन्, हमारे यहां जन्मगत जांतपांत के लिए सभी मानते रहे हैं कि वह हमारे देश के लिये अत्यन्त हानिकारक रहे हैं। सभी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उसे मिटाने के लिए कोशिश करते रहे हैं, लेकिन माननीय डाक्टर लोहिया ने यह कोशिश की थी कि इस विश्वास पर अमल किया जाय और सही मानों में अमल किया जाय, लिहाजा उनके भाषणों से और कामों से और जो भी उनके मशविरे अपने साथियों को रहे—इस मौके पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता—लेकिन उन सब को देखने से जाहिर है कि किस प्रकार उन्होंने कास्ट सिस्टम को मिटाने की कोशिश की।

इसी प्रकार हिन्दी के प्रति उनका जो प्रेम था वह भी सब को जाहिर है। इसमें भी उन्होंने हिन्दी के प्रेम के वशीभूत होकर एक आन्दोलन चलाया सारे देश में। स्वर्गीय टंडन जी के बाद, मैं यह समझता हूं कि शायद राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों में दूसरा नम्बर अगर किसी का आता है, हिन्दी प्रेम के लिए, तो मैं समझता हूं कि वह स्वर्गीय डाक्टर लोहिया का है। इसके लिए उनको राजनीतिक विरोध भी सहना पड़ा। यह हम सब लोगों को जाहिर हैं।

इसी प्रकार जब तिब्बत पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि—शब्द मुझे याद नहीं हैं, वे शब्द क्या थे यह मुझे नहीं मालुम लेकिन उनकी छाया मेरे मन पर आज भी है कि—तिब्बत की मदद होनी चाहिये। खैर हमारे लीडरों ने तत्कालीन हमारी इंडिया

[श्री चरण सिंह]

की गवर्नमेंट ने वह मुनासिब नहीं समझा। लेकिन समय ने बताया कि डा० लोहिया की राय सही थी। तिब्बत में जो रानाशाही के खिलाफ एक बिप्लव हुआ--वहां सैनिक तैयार करने में या वहां के लोगों को प्रेरणा देने में--उसमें डा० लोहिया अग्रगामी गिने जायेंगे---- मैं माफी चाहता हूं, नैपाल से मेरा मतलब है। गोआ के सम्बन्ध में भी उनकी राय शुरू से ही थी कि गोआ को मुक्ति दिलानी चाहिये। इंडिया की गवर्नमेंट का रवैया रहा कि हम किसी भी प्रकार हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे। उधर पुर्तगाल की गवर्नमेंट भी यह जानती थी। पर डा० लोहिया अपनी राय पर आडिग रहे कि फोर्स इस्तेमाल होना चाहिये। बाद में सबको विदित है कि फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा।

इस तरह की बहुत सी बातें गिनायी जा सकती हैं जिनको मैं जानता नहीं हूं उनका मेरे जनसेवक होने के नाते अखबार पढ़ते रहने के नाते मुझ पर असर है। और बातें मेरे मन में नहीं आती हैं क्योंकि उनके बहुत निकट सम्पर्क में रहने का अवसर मुझे केवल बरेली सेन्ट्रल जेल में एक साल के लगभग रहा। उस के बाद सार्वजनिक जीवन उनका और हो गया और मेरा वही पुराना रहा इस लिए मैं और अधिक उनके विषय में जानता नहीं हूं। और जैसा मन कहा ऐसे मौकों पर और ज्यादा बयान करने की जरूरत होती नहीं है। सिर्फ एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि भारतवर्ष का जब २०-२५ वर्षों का इतिहास लिखा जायगा तो उन पन्नों में डा० लोहिया को एक विशिष्ट स्थान मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और जितने मेरे माननीय साथी सब दलों के बैठे हैं और अगर इजाजत दें तो इस सदन की ओर से आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप हम सब की ओर से उनके परिवार वालों को हमारी संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अमोल्ड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को उन विचारों से सम्बद्ध करता हूं जो विचार माननीय नेता सदन ने अभी डा० राममनोहर लोहिया के प्रति व्यक्त किये हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों के ऐसे साथी जो सार्वजनिक जीवन में देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी बात प्रस्तुत करते रहे हैं जो नवयुवकों का ध्यान देश के प्रति खींचती रही हैं, धीरे-धीरे हमारे बीच से उठते जा रहे हैं और कम उम्र में ही उठते जा रहे हैं। डा० लोहिया का और मेरा सम्बन्ध काफी समय तक घनिष्ट रहा। जब वे कांग्रेस समाजवादी दल में सम्मिलित रहे मैं उन व्यक्तियों में से था जिसके पास वे आते थ ठहरते थे और विभिन्न समाजवादी आस्थाओं को बढ़ाने वाले विषयों में विचार-विनिमय करते थे।

जिस समय वे विदेश से लौट कर आये और कांग्रेस में सम्मिलित हुये और कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बन उस समय भी वे उन व्यक्तियों में से थे जो अपने विचारों को निर्भीकता के साथ अपने साथियों एवं संगठन के बीच व्यक्त करते थे। कई अवसर ऐसे आये जब कि कांग्रेस समाजवादी दल क कुछ साथियों ने ऐसे विचार व्यक्त किये कि उनको कांग्रेस से हट जाना चाहिये और अपना एक अलग से संगठन बनाना चाहिये। यह बात मैं सन् १९३७-३८ के पहिले की कर रहा हूं। उस समय की बात है जब कि काशी विद्यापीठ में कांग्रेस समाजवादी दल के लोग इकटठा हुये थे और मसानी जी जो इस समय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता हैं तथा अन्य साथियों जिनमें अधिकांशतः विदेश से लौटे हुये साथी ऐसे विचार व्यक्त किये थे कि जो कांग्रेस समाजवादी दल म ह उन्ह कांग्रेस से हट जाना चाहिये किन्तु डा० लोहिया जी तथा कुछ और साथी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय निर्भीकतापूर्वक उन विचारों का खंडन किया था। उन पर गांधी जी और जवाहरलाल जी के विचारों की छाप थी। इसलिए उस समय जो भी हमारे नवयुवक साथी कांग्रेस के संगठन को तिलांजलि देना चाहते थे उनके सामने लोहिया जी न निर्भीकता के साथ अपने विचारों को रखा और उसका नतीजा यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति

को कांग्रेस को छोड़ने का साहस नहीं हुआ। यह एक उदाहरण मैंने दिया उनक कार्य करने के ढंग का, उनकी निर्भीकता का और उनके अपने विचारों को व्यक्त करने के तरीके का। डाक्टर लोहिया जी ने अपने विचारों के अनुकूल जब जब जो भी सही और उचित समझा उनके अनुसार अपने विचारों को व्यक्त किया। अपने विचारों को वे सदैव निर्भीकता के साथ अपने बड़े-बड़े साथियों के बीच व्यक्त करते थे, चाहे वह क्वीट इंडिया का आन्दोलन रहा हो चाहे वह कांग्रेस से हटने का प्रश्न रहा हो, चाहे पी० एस० पी० से हटने का प्रश्न रहा हो। और उनकी यह निर्भीकता आखिरी दम तक उनका साथ देती रही। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने साथियों को जो निर्भीकता की दीक्षा दी है वह सदैव ही उनमें लगनशीलता एवं उत्साह पैदा कर सकती है और उनको ऐसे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखा सकती है जो कठिनाइयों का मुकाबला कर सके।

यह सही है कि वे हठी थे परन्तु उनकी हठता अपने विचरों के अनुकूल उस दिशा में चलने के लिए उन्हें सदा प्रेरित करती थी जिस दिशा में चल कर वे अपने देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकें, नये समाज के निर्माण में पूरी मात्रा में वे योगदान दे सकें और अपनी कल्पना के उस समाज को अपने जीवन काल में बनाने में समर्थ हो सकें। चाहे वे कांग्रेस में रहे हों चाहे कांग्रेस समाजवादी दल में रहे, चाहे पी० एस० पी० में रहे, चाहे संयुक्त समाजवादी दल में रहे, सदा ही उन्होंने स्वतन्त्र विचार के नाते अपने विचारों को प्रकट किया भले ही वह विचार बड़े से बड़े विचार से मेल न खाते हों। बहुत से अवसर थे जब कि मेरा उनके विचारों से सहमति नहीं रहती थी। और जो आखिरी जमाने में उन्होंने कुछ ढंग अपने विचारों के प्रकट करने के अख्तियार किये थे उसमें कभी भी मेरी सहमति नहीं थी परन्तु इसका यह माने कभी नहीं रहा कि हमने एक दूसरे को समझा नहीं। १४ वर्ष के बाद पिछले जून में या पिछले अगस्त में मेरी मुलाकात उनसे एक डाक्टर के यहां हुई जहां वे भी गये हुये थे अपनी आंख दिखलाने के लिए और मैं भी गया हुआ था। वे डाक्टर उनके मित्र थे और मेरे भी और जब हम दोनों १४ वर्ष के बाद मिले तो वही पुरानी सहृदयता वही पुरानी मुहब्बत और वही अपने पुराने साथियों के प्रति जो आदर सत्कार होना चाहिये मैंने उनमें देखा। भले ही बाहर के भाषणों के जरिये यह दिखाते रहे होंगे कि वे अमुक व्यक्ति की अमुक नीति के विरोधी हैं परन्तु जहां तक उनका जाती सम्बन्ध रहा वे सदा ही उन जाती सम्बन्धों को अपना कर चलने की क्षमता दिखलाते रहे।

हमने ऐसे युग में एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न किया था जो नवयुवकों को समाज की समस्याओं के समाधान के सिलसिले में त्याग की प्रवृत्ति सिखलाता था और कठोर से कठोर परेशानियों में रह कर उन्हें वह क्षमता सिखाता था जिनके अन्तर्गत सार्वजनिक कार्य करना चाहिये, उसे हमने खो दिया। डाक्टर लोहिया एक विचारक थे और ऐसे विचारक थे जो कि अपने विचारों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते थे और प्रभावित करके अपने पीछे चलने के लिए लोगों को अपने में आमन्त्रित करते थे। पिछले १५–२० वर्षों में उन्होंने जो-जो कार्य किये भले ही उन से और उनकी कार्य शैली से बहुत से व्यक्ति सहमत न हों परन्तु यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने देश के अंदर नवयुवकों की एक टोली तैयार की जो आज देश में अपने विचारों के अनुकूल कार्य कर रही है और अपने विचारों के अनुकूल बहुत से सार्वजनिक कार्यों को करने में जोश दिखलाती है। लगन का परिचय देती है और कठिन मार्ग पर चलने का और उत्साह दिखाती है यह सही है कि उन्होंने हिन्दी भाषा के सिलसिले में जो विचार प्रकट किये थे और जिन विचारों के अनकूल और अन्तर्गत उन्होंने कार्य किया वह सराहनीय था। चाहे प्रदेशीय सरकारें रही हों, चाहे केन्द्रीय सरकार रही हो, हिन्दी के विषय में १५–१७ वर्षों के बीच में जो कार्य करने चाहिये थे वे नहीं किये गये, जिन्हें हमें करना चाहिये था और जिनके करने की उत्कण्ठा हमारे हृदय में थी। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन डाक्टर लोहिया और उनके साथियों ने हिन्दी के विषय में देश की जनता और देश के शासन का ध्यान आकर्षित किया और इस प्रकार से किया, जिस से बहुत सी स्थानों पर हमारे विचारों में परिवर्तन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आया। हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने उस बात की आवश्यकता महसूस किया जिस बात की आवश्यकता गांधी जी महसूस करते थे और जिसकी आवश्यकता को महसूस करके ही हमने इस बात की घोषणा की थी कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिये। डा० लोहिया ने जो लगन और उमंग हिन्दी के लिए दिखायी वह सराहनीय और अनुकरणीय है, भले ही ऐसे मौके आये, हों जबकि हमारे नवयुवकों को हमारे बीच में ऐसे दृश्य उपस्थित किये हों जो गणतंत्रीय युग में नहीं अपनाये जाते हों। भले ही मेरे दृष्टि-कोण से उन्होंने गलती की हो, परन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि डाक्टर लोहिया ने हिन्दी के विषय में जो एक नयी विचार धारा अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में फैलाने का प्रयास किया, वह हमेशा याद रखने वाली और अमल करने वाली चीज है।

डाक्टर लोहिया लेखक भी थे और उन की लेखनी म भी बल था। विचारों को प्रकट करने में वे ऐसी क्षमता दिखाते थे जिससे लोगों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। कुछ सामाजिक प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं और उनमें कुछ ऐसे विचार भी रहे हैं जिनसे मेरा इतिहास के विद्यार्थी के नाते उनसे पूरी सहमति रही है और आज भी रखता हूं परन्तु किन्हीं कारणों से उन विचारों को देश का शासन अपना नहीं पाया है।

आज उस व्यक्ति के संसार से चले जाने के सिलसिले में जहां हम उनके प्रति श्रद्धाँजलि अर्पित करें वहां अध्यक्ष महोदय में आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुये उन नौजवानों को, जो उनके पीछे चलना चाहते थे उन्हें इस बात का ढाढ़स दें, उन्हें इस बात के लिए दीक्षा दें, उन्हें वह रास्ता दिखाये कि जिस पर चलते हुये डाक्टर लोहिया की दृढ़ता, उनकी निर्भीकता उन के जीवन का हिस्सा बन सके। वे अन्य विवादग्रस्त बातों में न पड़ कर उनके रास्ते को अपनाने की क्षमता अपने जीवन में पैदा करें जिस के अन्तर्गत वे ऐसे कार्यों की पूर्ति में जिनसे समाज ऊंचा उठे उसी उत्साह और लगन के साथ अपने को लगा सकें जिनमें डाक्टर लोहिया अपने को जीवन पर्यन्त लगाते रहे। यही सब से बड़ी तथा सच्ची और सही श्रद्धाँजलि डाक्टर लोहिया के प्रति होगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर से डाक्टर लोहिया के प्रति श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे पीछे बैठे हुये साथियों की ओर से उन सभी साथियों की समवेदना भेज दें जो उनके अनुयायी कहाते हैं और जो उन के पीछे चलने के लिए और उन के कार्यों को पूरा करने के लिए व्यग्र होकर जगह-जगह पर कार्य करते हुये दिखायी पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आज से ५ मास पहले जब हम इस सदन में बैठते थे तब डाक्टर राम मनोहर लोहिया देश में एक जागरूक जनतन्त्र के प्रहरी की तरह विद्यमान थे, एक प्रकाशपुन्ज की तरह जो अपने प्रकाश से हमारी तमावृत बुद्धि को आलोकित करते रहे। संसार की या देश की जो भिन्न-भिन्न समस्यायें हैं उन पर उनके विचार और उनकी भावनायें हम लोकसभा में और बाहर सुनते थे, यह हमारा असीम दुर्भाग्य है कि आज जब हम ५ मास के बाद यह पहली बार यहां इकट्ठा हो रहे हैं तो वह हमारे बीच में नहीं रहे और यह निधन का शोक प्रस्ताव यहां उपस्थित है।

डाक्टर राममनोहर लोहिया निश्चय ही एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति थे जो हमारे देश की विभूतियों की प्रथम पंक्ति में आते हैं। नेता सदन ने ठीक ही कहा कि इस सदन की साधारण परम्परा यह रही है कि जो इस सदन के सदस्य रहे होते हैं केवल साधारणतया उन-के विषय में ही ऐसे शोकप्रस्ताव होते रहे हैं लेकिन मैं उनसे सहमत हूं और आज सत्र से पहले भी मैंने अपनी सहमति इससे प्रकट की थी कि निश्चय ही डाक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे देश की उस विशिष्ट पंक्ति में आयेंगे जिनको कि हम जितना भी आदर, मान दें

सकें, वह शायद थोड़ा ही होगा। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो विचार उनके विषय में व्यक्त किये थे उनसे हम निस्संकोच इस परिणाम पर पहुंच सकते ह, वे स्वयं अपने अनुयायियों में उनको प्रथम पंक्ति में देखते थे। हमारे समस्त सामाजिक प्रश्नों में डाक्टर लोहिया के विशिष्ट विचार थे। वह बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे और हमारे लिए एक आदर्श उनके जीवन से मिलता है कि किसी विषय पर कोई मत अपनाने और व्यक्त करने से पहले उसका अध्ययन कितना आवश्यक है। वह अध्ययनशील थे और अनेक विषयों पर उनका गहरा अध्ययन था। उनके मौलिक विचारों पर उनके गहरे अध्ययन की झलक हमेशा प्रतिबिम्बित होती थी। वे सदा ही हमारे विशेष प्रेरणा श्रोत रहे क्योंकि उनका सबसे बड़ा धर्म मानवता था, उसी के वह पुजारी थे और दुखी-भूखी मानवता से पीड़ित होकर वह अपने विचार समय समय पर व्यक्त करते रहे। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में जब राष्ट्र एक निर्माण और क्रान्ति के युग से गुजर रहा है ऐसे वीर सेनानी जिनकी घोर यातनाओं से स्वतन्त्रता संग्राम में विजय हुई और हमारा देश इस अवस्था को प्राप्त हो सका, तब वे हम से अलग होते जा रहे हैं। डाक्टर लोहिया उन व्यक्तियों में से थे जिनकी आज सब से अधिक आवश्यकता है। वे स्वतन्त्रता के उन जागरूक प्रहरियों में से थे जिनकी समाज को आज सबसे अधिक चाह है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उनके विचार, उनके कृत्य, उनकी अध्ययन शीलता और उन के उच्च आदर्श, हमारे बीच में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत समय तक प्रेरणा देते रहेंगे।

उनके निधन के बाद मैं दिल्ली गया। वहां पर जो सार्वजनिक शोक सभा हुयी उसमें मुझे भी अकिंचन श्रद्धाँजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने देखा कि सारे देश के विभिन्न दलों के नेता कितने शोक विभोर थे और उनके हृदय में कितनी वेदना थी, इससे ही उनके व्यक्तित्व का अनुमान लगता है।

अभी माननीय नेता सदन कह रहे थे कि मैं उनकी संवेदना उनके सतप्त परिवार तक पहुंचा दूं। वास्तव में उनका कोई परिवार नहीं था। कदाचित्, दुःखी मानवता ही उनका परिवार हो सकता है। वे ही संवेदना के अधिकारी हैं। अन्त में मैं अपने को माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के विचारों से सम्बद्ध करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके विचार, इस सदन के विचार और अपने विचार उन सब व्यक्तियों को जो उनके अनुयायी हैं तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब आप से अनुरोध करता हूं कि दो मिनट खड़े होकर अपनी श्रद्धाँजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए खड़े हुये।)

सर्वश्री बद्रीप्रसाद तथा उदय शंकर दुबे के निधन पर शोकोदगार

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय मुझे बहुत दुःख के साथ इस सदन के एक सज्जन जो कि सदन के सदस्य रह चुके हैं और जिनसे हम सब जाती तौर पर परिचित हैं श्री उदय शंकर दुबे जो बस्ती के रहने वाले थे उनके निधन का भी जिक्र करना पड़ता है। श्री दुबे ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां की थीं। वे ४ बार जेल गये थे। जेल जाना तो आसान होता है लेकिन जेल से निकल कर सार्वजनिक काम में लगे रहना जरा मुश्किल काम होता है। जेल के बाहर भी वे कुछ न कुछ सार्वजनिक कार्य करते रहे। वे जिला कांग्रेस के प्रेसीडट सात साल रहे। उन्होंने एक स्कूल भी कायम किया। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के संचालन में भी उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली। १९५२ से १९५७ तक वे लोक सभा के सदस्य भी रहे और १९५७ से इस सदन के सदस्य हुए और गालिबन ३-४ साल तक वे माननीय सम्पूर्णानन्द जी के समय में डिप्टी मिनिस्टर भी रहे। सात-आठ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

साल से बराबर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। अभी उनका निधन हुआ है। जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा कि धीरे-धीरे उस पीढ़ी के लोग जिन्होंने अपने युवाकाल से लेकर अन्तिम दिनों तक देश की सेवा की वे अब इस चित्रपट से हटते जा रहे हैं तो उस पीढ़ी के एक मेम्बर दुबे जी भी उठ गये। मैं इन शब्दों के साथ आप से प्रार्थना करता हूं कि आप उनके संतप्त परिवार के सदस्यों को इस सदन की ओर से संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

अभी हमारे फतेहपुर जिले से चुन कर जो मेम्बर आये थे बद्री प्रसाद जी, उनका भी निधन हो गया है। पिछला सेशन जब चल रहा था तब वे बीमार थे और बलरामपुर अस्पताल में उनको काफी दिनों तक रहना पड़ा। वे जिला परिषद् के मेम्बर भी रहे और अन्य सार्वजनिक कार्यों में भी उनकी दिलचस्पी थी। उनके चले जाने से फतेहपुर जिले के सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंची है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से उनके परिवार को संवेदना भेजने की कृपा की जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय माननीय उदय शंकर जी, जिनके निधन के विषय में माननीय नेता सदन ने अभी कुछ बातें बतलाई हैं, हमारे प्रदेश के उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से थे जिन्होंने १९२० से जब से गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश की आजादी का आन्दोलन नये ढंग से चला, हिस्सा लिया था। वे केवल जेल ही नहीं गये, जब-जब जेल से बाहर आये उन आन्दोलनों का अपने जिले में नेतृत्व करते रहे जिन्हें उस समय कांग्रेस चला रही थी। उन्होंने इसके प्रतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्य किया। वे जिला बोर्ड, बस्ती में अध्यक्ष रहे और वहां कुशलतापूर्वक सार्वजनिक कार्यों को पूरा करते हैं। वे लोक सभा के तथा इस सदन के सदस्य भी रहे और १९६० में इस सरकार के डिप्टी मिनिस्टर भी बने और उन जिम्मेदारियों को जो उन्हें सौंपी गई वे अच्छी तरह से निभाते रहे। परेशानियों में रहते हुए भी और अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअन्दाज नहीं किया और सार्वजनिक कार्यों को सम्पन्न करने की चिन्ता तथा जन सेवा की भावना बराबर उनको प्रेरित करती रही। उनके निधन से हमको बड़ी क्षति हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे साथियों की ओर से भी उनके घर वालों को संवेदना भिजवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय बद्री प्रसाद जी इस सदन के सदस्य थे। काफी समय तक वे बीमार रहे लेकिन वे बीमारी में भी सदन की जिम्मेदारियों को भूले नहीं और हमेशा अपनी कर्त्तव्यपरायणता का परिचय देते रहे और यहां समय-समय पर आकर अपनी अस्वस्थता की परवाह किये बिना वे अपना मत जिन विषयों पर आवश्यकता समझते थे, देते थे। वे भी हमारे बीच से उठ गये। हम सब को इस बात का दुःख है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनके घर वालों को हमारी ओर से संवेदना भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य उदय शंकर दुबे तथा वर्तमान सदस्य बद्री प्रसाद जी का निधन निश्चित रूप से बड़े दुःख की बात है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम वर्तमान सदस्य बद्री प्रसाद जी से जो अभी चुनकर आये थे लाभान्वित नहीं हो पाये। मेरा सौभाग्य था कि दुबे जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था और उनकी कार्यकुशलता देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। माननीय नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने उनके निधन पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे म अपने को सम्बद्ध करता हूं और आश्वासन देता हूं कि सदन की ओर से उनके संतप्त परिवार को संवेदना पहुंचा दी जायगी। अब हम दो मिनट के लिये उठते हैं ताकि उनके संतप्त परिवार को शान्ति मिले।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये खड़े हो गये।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरी दरख्वास्त यह है कि इस मंत्रिमंडल ने संविधान की अवहेलना की है।

श्री अध्यक्ष—

पहले एजेंडे पर जो दो विज्ञप्तियां हैं उनको सदन के पटल पर रख लेने दीजिये। उसके पश्चात्, आप कह सकेंगे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६*

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ९४९–१०/९००—३४–६२ दिनांक १६ अप्रैल, १९६८ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६" को जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार दिनांक ११ अगस्त, १९६ को सदन के पटल पर रखे गये थ और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः यह प्रार्थना करूंगा कि जरा शान्ति व्यवस्था रहे। दीर्घाओं में, मेरे बायें हाथ विशेषतया, य लोग भी शान्ति स्थापित करने में सहायक हों।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६†

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ५३११–१/९००–८–६५, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६" को जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार दिनांक ६ दिसम्बर, १९६६ को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७ को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २२०–२२४ पर)

---

* छापे नहीं गये।

† छापे नहीं गई।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी आज्ञा नहीं मांगी है। जब आज्ञा मांगें तब विरोध करियेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

सदन के पटल पर रखना ही गलत है।

श्री अध्यक्ष—

हाउस में रखना तो गलत नहीं हो सकता। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वह गलत हो सकती है। जब तक हाउस में रखा नहीं जायगा तब तक आप उस पर विचार ही कैसे करेंगे।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

क्या गलत चीज भी हाउस में रखी जा सकती है?

श्री अध्यक्ष—

जब सदन के पटल पर कोई विधेयक रखा जायगा तभी हाउस को अधिकार उत्पन्न होगा उस पर विचार करने का। तो अब हाउस के पटल पर आ गया। आगे जब अनुज्ञा मांगें तब आप कह सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७*

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, १९६७

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २२५–२२६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश १९६७ को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २२७–२३५ पर)

---

* छापा नहीं गया।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २३६ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४०२३–बी/३३–२–७९६७, दिनांक १७ जुलाई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७" को, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (नालियां तथा जलोत्सारण) नियमावली, १९६७

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७८५–बी (नि–२५)/११–ग—१—कार्य, (१०)–५७ दिनांक १० जुलाई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (नालियां तथा जलोत्सारण) नियमावली, १९६७" को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०६३ बी (नि-१८) (संशो–४)/११–ग–१–कार्य–(४)–५७, दिनांक ४ अगस्त, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७" को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर निर्धारण (संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १००७–सी/११–ग–५ (१)–२–६६, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारण (संशोधन) नियमावली, १९६६" को, उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७*

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६०२६—बी/३३—२—१(३८)—६६, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७" को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सहकारी (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (संशोधन) नियमावली, १९६७*

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३३९८—बी ३३—२—६७, दिनांक २९ जून, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (संशोधन) नियमावली, १९६७" को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आसुधार शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान) नियमावली, १९६७*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ओ—३७५—एच/२३ (एच० वी०)—६५, दिनांक २२ जुलाई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आसुधार शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान) नियमावली, १९६७" को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के १९६४—६५ के वार्षिक प्रतिवेदन†

उद्योग उपमंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष १९६४—६५ के कार्यों के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी ऐक्ट, १९५६ की धारा ९१९—ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६*

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३७८ बी ३३—५—आर—६२, दिनांक २० दिसम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६" को, जो दिनांक २९ जून, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गई थी, को पूर्ण अनुसूची सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।

† छापे नहीं गये।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में आयोग की रिपोर्ट

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के विषय पर जांच करने के प्रयोजन के लिये नियुक्त एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट" को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के निर्वाचन आयोग का आदेश संख्या १५—क**

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से "भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति संख्या एस० ओ० ३५२ दिनांक २३ जनवरी, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उक्त आयोग के आदेश संख्या १५—क को डिलिमिटेशन ऐक्ट, १९६२ की धारा ११ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां *

सामुदायक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ की धारा ३—क के अधीन प्रख्यापित तथा वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३४६७/१०—१०१२(४)—६५ दिनांक ३० सितम्बर, १९५६ द्वारा प्रख्यापित शुद्धि-पत्र के साथ पठित (वित्त लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की—

(क) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—३१२०/१०—१०१२(४)—१९६५ दिनांक १ जुलाई, १९६६;

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—३१२१/१०—१०१२(४)—६५ दिनांक १ जुलाई, १९६६;

(ग) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—३१२२/१०—१०१२ (४)—६५ दिनांक १ जुलाई १९६६;

(घ) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—३१२३/१०—१०१२ (४)—१९६५ दिनांक १ जुलाई १९६६;

(ङ) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—३१२४/१०—१०१२ (४)—१९६५ दिनांक १ जुलाई १९६६; तथा

(च) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—३१२५/१०—१०१२ (४)—१९६५ दिनांक १ जुलाई १९६६ को उक्त धारा ३—क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गई।

** छापा नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३--क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री–कर) विभाग को—

(क) वित्त विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या एस०टी०–४५७५/१०—९५०(१२)–६७ दिनांक २० सितम्बर १९६७ के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–४१२४/१०–९५० (१२)–१९६७, दिनांक ३१ जुलाई, १९६७,

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ४१२५/१०–९५० (१२)–१९६७ दिनांक ३१ जुलाई, १९६७;

(ग) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ४१२७/१०—९५० (१२)–१९६७ दिनांक ३१ जुलाई १९६७ को उक्त धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश शासन के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६७, वित्त लेखे १९६५–६६ तथा विनियोग लेखे १९६५–६६ †

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर प्रदेश शासन के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६७ को "उत्तर प्रदेश शासन के वित्त-लेखे १९६५–६६" तथा "उत्तर प्रदेश शासन के विनियोग लेखे १९६५-६६" सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २३७ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक १९६७ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ जुलाई, १९६७ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ने बिना किसी सिफारिश के दिनांक २४ जुलाई, १९६७ को वापस प्राप्त हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ जुलाई, १९६७ को प्राप्त हो गई है और वह सन्, १९६७ का उत्तर प्रदेश का ५वां अधिनियम बन गया।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा--

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २६ जुलाई, १९६७, की बठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ७ अगस्त, १९६७ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ अगस्त, १९६७ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६७ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायणसिंह तथा वित्त मंत्री श्री रामस्वरूप वर्मा की दिल्ली में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं यह आइटम नं० २७ ले रहा हूं। मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो हुई थी माननीय उग्रसेन जी द्वारा--यह इस प्रकार की थी कि जो १२ दिसम्बर, ६७ की घटना के बारे में था और १३ दिसम्बर, ६७ को मिला था--कि कल दिनांक १२ दिसम्बर, ६७ को अपराह्न में लगभग दो बजे केन्द्रीय सरकार के आदेश पर दिल्ली की पुलिस ने सर्वश्री प्रभु नारायण सिंह श्रम तथा उद्योग मंत्री तथा श्री रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश को भाषा विधेयक का विरोध करते हुए नई दिल्ली में गिरफ्तार किया। कल रात तक भी माननीय अध्यक्ष विधान सभा उत्तर प्रदेश को जान बूझकर उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं भेजी गई।

आज उक्त दोनों मंत्रियों को सदन की कमेटियों की बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था, मगर उन्हे जानबूझकर सदन की कमेटियों की बैठक में भाग लेने से रोका गया। इस प्रकार उन्हें सदन की सेवा से वंचित किया गया तथा तथ्य को छिपाया गया।"

इस प्रकार यह माननीय यशवन्त राव चौहाण, गृह मंत्री, गृह सचिव भारत सरकार तथा डिप्टी कमिश्नर, नई दिल्ली के विरुद्ध यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था।

इस पर उसी दिन १४ तारीख को मैंने आदेश दिए थे। जो इस प्रकार है--"इसको मैंन देखा और उसमें मुख्य शिकायत यह है कि दिल्ली के अधिकारियों ने माननीय प्रभु नारायण सिंह तथा माननीय राम स्वरूप वर्मा की गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष विधान सभा को नहीं भेजी। उक्त तथ्य मूलतः गलत है क्योंकि मुझे १२ दिसम्बर की रात्रि में ही नई दिल्ली के मैजिस्ट्रेट श्री ए० सी० खेर द्वारा उक्त दोनों सज्जनों की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हो गई थी।

दूसरी शिकायत उन्होंने यह की है कि उक्त दोनों माननीय सदस्यों को सदन की समितियों की बैठकों में उपस्थित होना आवश्यक था। किन्तु यह तो नहीं लिखा है कि कौन सी समितियों में और कब पहुंचना आवश्यक था। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सज्जनों की गिरफ्तारी १२ तारीख को ३ बजे अपराह्न में हुई। श्री राम स्वरूप जी वर्मा को एक उप समिति की बैठक में, जो ठीक ३ बजे ही १२ दिसम्बर को मेरे ही कक्ष में होनी थी, सम्मिलित होना था। ३ बजे ही गिरफ्तारी होने से यह प्रत्यक्ष है कि उनका विचार उस समिति में भाग लेने का अपनी इच्छा से नहीं था। इन दोनों कारणों से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी प्रकार नहीं उठता। फिर यह भी आवश्यक है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वही व्यक्ति उठाये जिसका किसी कार्य में अवरोध हुआ हो। केवल इसलिए भी यह विशेषाधिकार का प्रश्न ग्राह्य नहीं होता।

उपर्युक्त कारणों से मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे अस्वीकृत कर चुका हूं और अब आप मेरी व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकेंगे, तो आखिर इस विषय पर आप क्या कहेंगे । यदि आपको कुछ विशेष कहना हो तो आप मेरे कक्ष में मिल सकते हैं ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

आप जब कह रहे थे तो मैं समझ रहा था कि आपके कहने के बाद हम लोगों को कहने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने एक दम से अन्त में अस्वीकृत कर दिया है—

श्री अध्यक्ष—

अब इसका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है कि आप क्या समझ रहे थे । जो विशेषाधिकार का प्रश्न था उसको तो मैंने पढ़कर सुना दिया, मेरे लिये तो केवल इतना कहना काफी था कि इस विषय पर विशेषाधिकार की अवदेलना की सूचना आई थी उसको मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

फिर भी मैं यह तो—

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप मुझे मिलने का गौरव दें । यदि आप कहेंगे कि इसमें कोई अनुचित बात हुई है तो उसे मैं सदन में भी व्यक्त कर दूंगा । लेकिन इस समय आप बैठ जायं ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

इसमें आपकी गल्ती का सवाल नहीं है और आपकी व्यवस्था के संबंध में भी मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि सदन म एक बार यह विषय चर्चित हो ।

श्री अध्यक्ष—

हर एक विशेषाधिकार के प्रश्न पर मेरे लिए आवश्यक है कि मैं सदन में दोनो पक्षों को सुनूं और फिर उस पर विचार कर के अपना निर्णय दूं । ऐसा मेरे लिए आवयश्क नहीं है । फिर भी जब मैं समझता हूं कि मुझे खुद संदेह है और मुझे प्रकाश की आवश्यकता है तो मैं सदन के दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी करने का प्रयास करता हूं । लेकिन यह विषय जो मेरे सामने है उसके बारे में मैंने जो समझा, इसमें प्राग्दर्शन में ही कोई जानकारी मुझे करने की आवश्यकता नहीं है । अब मैं इस पर विचार करने की कोई अनुमति नहीं दूंगा । यदि आप हमें आश्वस्त कर सकें कि आपकी राय में यह ऐसा विषय था कि जिसमें सदन के विचार के लिए रखना चाहिए था और मैंने कहा कि इसमें दो मत का स्थान था और मैं ऐसा न करके कुछ ऐसा कर गया जिससे कुछ आपकी भावनाओं के प्रति अनुचित बात हो गयी और अगर आप मुझे आश्वस्त कर देंगे तो मैं पुनः विचार कर लूंगा लेकिन इस समय मैं कोई अवसर नहीं दूंगा ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

एक मिनट आप मेरी बात सुन लें । यह जो सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मंत्री की गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी · · ·

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रशेखर जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस समय नहीं आपको बहुत अवसर मिलेगा इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए । इस आईटम के बाद ही मैं आपको

बताऊंगा कि किस संदर्भ में आपको पूरा समय मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे ईशूज जिन पर विचारों में विषमता हो उन पर आपको अपने-अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिले।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न प्राप्त हुआ उस पर आपने वहां निणय दे दिया। फिर उसकी आवश्यकता क्या है कि यहां पढ़ा जाय और जब सदन में पढ़ा जाता है तो बहस और दूसरे प्रश्न उठते हैं। जब वह सदन में आया ही नहीं और आपने अपने कमरे में अस्वीकृत कर दिया तो फिर यहां उसके जिक्र की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—

आपने करीब-करीब वही बात कही जो मैंने कही थी। आवश्यकता तो केवल आपके भावनाओं के आदर करने की है जो मेरी कमजोरी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उग्रसेन जी तो आपके निर्णय से संतोष करके चले गये।

श्री अध्यक्ष—

आप सभी लोग उससे संतोष अब कर लेंगे। (हंसी)

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

मैं, माननीय उग्रसेन जी ने जो विशेषाधिकार की नोटिस श्रीमन् को दी थी उसमें जैसा श्रीमन् ने बताया वह सूचना और उसका वह अंश असत्य था कि उनकी गिरफ्तारी के बारे म अध्यक्ष महोदय को कोई सूचना नहीं है। नियम ७४ हमारी नियमावली का स्पष्ट है कि निराधार आरोपों के संबंध में विशेषाधिकार हैं। मैं लिखित सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आपने नोटिस दे दी है उससे वह और सतर्क हो जावेंगे।

श्री चन्द्रबली द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है। वह माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने भेजा है कि "मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं। कारण यह है कि वे मुझे विधायक का फर्ज अदा करने में आये दिन बाधा डाल रहे हैं। गत २८ नवम्बर, ६७ को सचिवालय के अपने कमरे में इस बात के लिए रोका कि दूसरे जिलों के सवाल आप क्यों लाते हैं। इसी प्रकार वे कई बार मुझसे कह चुके हैं। और बार-बार ऐसा करके मुझे अपने कर्त्तव्यों से च्युत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अस्तु, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि विचारार्थ समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

टिप्पणी में वे कहते हैं—"मैं २८ नवम्बर, ६७ को चौधरी चरण सिंह के पास बस्ती जिला के बांसी नाम के स्थान के किसानों के सवाल पर एक डेपुटेशन में गया था और उसी दिन गाजीपुर के गंगापुल (ताड़ीघाट पुल) के लिए भी एक पत्रक दिया और तब चौधरी साहब तुरन्त आग बबूला हो गये और कहे कि आप दूसरे जिले के सवाल क्यों लाते हैं। इसी प्रकार पिछले उपवेशनों के मध्य जिलाधीश, शाहजहांपुर के खिलाफ भी यह एक पत्र लेकर गया था तो उपरोक्त

[श्री अध्यक्ष--]

धोंस आपने दिया। इस प्रकार श्री चरण सिंह मुझे अपने कर्त्तव्यों को करने से रोक रहे हैं। यह विशेषाधिकार की अवहेलना है जिस पर विचार होना चाहिए।" यह मैंने माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दिया है। उनके पास यह पहुंच गया होगा। कल इसके ऊपर मैं अपना निर्णय दूंगा।

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इस पर कह देता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि आप मुझसे पहले एक बात के सिलसिले में मिले। जैसा उन्होंने मुझको लिखा माननीय सदस्य की बस्ती के किसानों की कोई समस्या थी। उसके बाद फिर गाजीपुर के जिले का मामला, जो गाजीपुर वाले गंगा पर पुल बनाना चाहते हैं, परेशान हैं कि वह कहां बने, उस संबंध में मुझसे मिले। तब मैंने उनसे कहा कि अब आपको गाजीपुर से क्या वास्ता? होता यही है कि जो सदस्य जिस जिले का है वह आमतौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता है। कहने को तो उनका हक है और वह इसलिए यहां पर आये हैं। यह बात सही है कि यदि वह चाहें तो सारे सूबे की बात कह सकते हैं लेकिन यह आम बात है कि वह अपनी बात कहते हैं। वरना सारे सूबे के सारे जिलों की बात हर मेम्बर कहने लगे और कहने की जिम्मेदारी समझे और किसी भी मिनिस्टर से यह उम्मीद करे कि वह हमारी बात सुनेगा और हमको समय देगा जब कि उसका सीधे उस विभाग से संबंध भी न हो तो यह मेरी समझ में नहीं आता। उन लोगों का आन्दोलन बहुत पुराना है। वह कभी नहीं छोड़ रहे हैं। यदि यहां पर ४२५ सदस्य सब मिलकर उसको कहने लगें तो मैं नहीं समझता कि कहां तक उनके लिए यह उपयुक्त होगा।

दूसरी बात शाहजहांपुर के सिलसिले में कही गयी। यह बिलकुल गलत है कि मैंने कोई धमकी दी। मैंने कहा कि आप दे दें। इससे अधिक कुछ नहीं कहा। बाद में वह फिर मेरे पास आये। मैंने कहा कि आखिर बिलकुल इसी तरह का रिप्रिजेन्टेशन या दरख्वास्त मेरे पास आ चुकी है। वह मेरे पास आई थी तो उसको उनके पास भेज दिया है। मैंने उसी रोज, जब गाजीपुर वाली बात वह मुझसे कहने लगे तो उनको याद दिलाया था कि शाहजहांपुर वाली बात कही थी। उस वक्त कुछ बात हुई थी। शायद यह बात हुई थी कि अनावश्यक तौर पर आप दिलचस्पी लेते हैं इसलिए कि वह पहली बात मुझे याद थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि कहां तक मैंने अवहेलना की है। मुझको वैसे ही उनसे डर लगता है। उस प्रेम को देखकर तो उनके चेहरे पर लिखा रहता है मैं बहुत डरता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता सदन और चन्द्रबली सिंह जी के बीच हुई उस संबंध में अवहेलना हुई या नहीं हुई इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन एक बात जो नेता सदन ने कही है उस विषय में मुझे अवश्य कहना है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक इस सदन के सदस्य को यह अधिकार है कि वह प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की बात सरकार तक पहुंचाये। मैं यह बात समझता हूं कि बहुत से ऐसे अवसर आयेंगे कि जहां पर एक जिले से, एक एरिया से एक भी एक दल के सदस्य नहीं चुने जायेंगे। तो उनके पास जिले के ऐसे व्यक्ति पहुंच सकते हैं जिनसे उनकी जानकारी हो और वह अपनी बात सरकार तक उनके जरिए से पहुंचाये। मैं नहीं समझता कि इसमें नेता सदन को कोई आपत्ति करनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य को अवश्य यह अधिकार है कि प्रदेश के किसी क्षेत्र की, जहां की कोई मांग हो, उसकी नजर में लाई जाती हो, तो वह सरकार तक पहुंचाये। यदि उस क्षेत्र के सदस्य उसको किसी कारण से प्रस्तुत नहीं कर सकते तो दूसरे सदस्य को उस बात के प्रस्तुत करने का अधिकार रहना चाहिए।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय इतना सीमित है कि इस पर अलग से यहां कोई चर्चा उठाने का मौका नहीं था। अगर चन्द्रबली सिंह जी जरूरी समझें तो उनको मौका दिया जा सकता है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अपने विशेषाधिकार अवहेलना के प्रस्ताव में लिखा है, उस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ-साफ कबूल किया कि वह बात हुई। म इसको इसलिए पेश करता हूं कि इस तरह की नीति किसी दूसरे सदस्य के साथ व्यवहार में न लायी जाय और उसे इस प्रकार अपने कर्त्तव्य से न गिराया जाय। मैं तो समझता हूं कि इस सूबे क कोने-कोने के सवाल को उठाना और उसे लेकर मुख्य मंत्री या मंत्री जी के पास पहुंचने का यहां हर सदस्य को हक है। अगर मुख्य मंत्री व मंत्री किसी सदस्य को उसके इस अधिकार से वंचित करते हैं तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। अध्यक्ष जी, इस सूबे के वासियों के सवाल को लेकर, जब उन पर दूसरे सूबों में मुसीबतें आयीं, तो उन सवालों को भी यहां विधान सभा में उठाया जाता रहा है और इसलिए यह अधिकार हमारा है और सभी सदस्यों को रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह जो चन्द्रबली जी ने बात उठायी है, मैं समझता हूं कि इसको जरा लाइट मूड में लेना ही उचित होता। माननीय नेता विरोधी दल ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह सही है, निर्विवाद तथ्य है। हर माननीय सदस्य को पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का पूण अधिकार है। इस सिद्धांत का खण्डन नेता सदन ने नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि साधारणतः सारी बातों को तो हर सदस्य कहता है, लेकिन तफसील की बातों में, उन्होंने चन्द्रबली जी को सलाह दी कि वे अपने यहां की बातों तक ही सीमित रहें, दूसरी बातों में अपना समय क्यों लगाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आपको उस अधिकार से वंचित कर दिया। माननीय चन्द्रबली सिंह, बली सिंह हैं वह अपने मार्ग से च्युत हो जायं, मैं इसकी आशा नहीं करता। आपका सिद्धान्त तो सबको सर्वमान्य है, हर एक माननीय सदस्य को सारे प्रदेश की बात कहने का अधिकार है, लेकिन आपके साथियों को यह भी सलाह देने का अधिकार है कि विस्तार की बात में आप एक जगह तक ही सीमित रहें। इसमें मर्यादा भंग होने की कोई बात नहीं है। मैं अब इसको समाप्त करता हूं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां लेबर का सवाल होता है वह सारे सूबे का ही सवाल होता है।

श्री अध्यक्ष—

हर प्रश्न सारे सूबे का प्रश्न है। लेबर का विषय ही कोई खास विषय नहीं है।

श्रम मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह एवं वित्त मंत्री, श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में दफा १४४ का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में नियम १०४ के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है जो थोड़ी महत्वपूर्ण है। माननीय नेता विरोधी दल, श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा मेरे पास एक प्रस्ताव की सूचना आयी है जो उन्होंने नियमावली के नियम १०४ के अन्तर्गत मुझे भेजी है। मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं। वह इस प्रकार है :—

[श्री अध्यक्ष--]

"मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १०४ के अन्तर्गत लोकहित के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन में चर्चा हेतु माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष इस प्रस्ताव को तुरन्त सदन में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे।

"सदन को खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के दो माननीय सदस्यों श्रम मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह एवं वित्त मंत्री, श्री राम स्वरूप वर्मा ने पूर्व घोषणा कर, मंत्री रहते हुए दिनांक १२ दिसम्बर, १९६७ को दिल्ली जा कर शांति एवं व्यवस्था के लिए वहां लगी धारा १४४ का उल्लंघन कर संविधान और विधि की मर्यादा को अपूर्व क्षति पहुंचायी और स्वेच्छा से अपने विरुद्ध न्यायदण्ड का आह्वान किया। उक्त कार्य से जनतंत्र के मूल सिद्धांतों को भारी चोट पहुंची और जन साधारण की आस्था जनतंत्र में ही डिग गयी।

सदन को यह भी खेद है कि इस प्रकार संवैधानिक निष्ठा एवं मर्यादा तथा जनतांत्रिक लोक व्यवहार की राजकीय एवं शासकीय परम्पराओं एवं मान्यताओं के उल्लंघन के बाद भी उक्त दोनों मंत्री प्रदेशीय सरकार में बने हुए हैं।"

यह प्रस्ताव मेरे पास नियम १०४ के अन्तर्गत आया। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस विषय म जो चर्चा प्रदेश में और देश में पत्रों में होती रही है उस पर अच्छा है सदन को जल्दी से जल्दी समय मिल जाय। तो कौन सा समय इसकी बातचीत के लिए आप उचित समझेंगे? म चाहता हूं कि आज से २२ तारीख तक आप कोई दिन बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोनय, जो आपने अभी फरमाया है मैं उससे सहमत हूं। यह बात ठीक है कि यह ऐसा विषय है जो कि आम जनता की चर्चा का विषय बन गया और महत्वपूर्ण हर दृष्टि से है। तो जो भी आप इसके लिए समय निर्धारित करना चाहें मुझ कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज भी तैयार हूं और २२ तारीख को भी।

श्री अध्यक्ष--

तो कल का दिन रख दें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

आज ही शुरू कीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अगर आज चाहें तो ठीक है, लेकिन एक संवैधानिक विषय है। यदि सारे माननीय सदस्यों को नोटिस हो और तैयार होकर आवें और अपना मत प्रकट करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

ठीक है, कल रखिए।

अध्यक्ष--

तो कल प्रश्नों के बाद इस पर चर्चा चलेगी।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)--

क्या आप व्यवस्था दे चुके कि इस पर बहस हो? इसको चर्चा के लिए स्वीकृति दे चुके हैं?

श्री अध्यक्ष—

वह तो स्वीकार करने के बाद समय निर्धारित हो चुका जो कि नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों को मान्य है ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

लेकिन मेरा तो यह मत है कि इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं (आवाजें—शेम, शेम ! !) श्रीमन्, यह कहां तक उचित है, उधर से शेम शेम कहना ?

श्री अध्यक्ष—

राकेश जी, आप बैठें । मैं बड़ी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यहां की व्यवस्था मेरे हाथ में छोड़ने की अनुकम्पा करें । अगर कोई मानीय सदस्य ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं तब भी कृपया शांत रहिये जिससे वह कह लें और मैं उसके बाद कहूं ।

राकेश जी, जो आपने बात उठायी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैंने इसको सदन के समक्ष रखा । माननीय नेता सदन का एक महत्वपूर्ण स्थान है । जब उन्होंने इसको यहां तक महत्वपूर्ण माना कि उस पर आज ही चर्चा करने की बात कही तो ग्राह्यता इसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यह तो वाद-विवाद का विषय हो ही नहीं सकता । मैंने उसको ग्राह्य मान लिया और कल का समय निश्चित कर दिया । इस वक्त भी आपको अवसर होगा कि आप यह कह सकते हैं कि यह तो ग्राह्य होने के काबिल नहीं था । आप कहना चाहें तो कहें । वैसे उस समय ग्राह्यता पर कोई विवाद का मौका नहीं होगा लेकिन आप अपना मत कह सकते हैं कि यह तो आ ही नहीं सकता विषय ।

"जन कांग्रेस विधायक दल" के "भारतीय क्रान्ति दल" में विलीनीकरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और सूचना मुझे इस सदन के समक्ष देनी है जो मुझे मंत्री, विधायक मण्डल श्री राजबहादुर द्विवेदी से प्राप्त हुई है—

"जन कांग्रेस उत्तर प्रदेश, भारतीय क्रांति दल में विलीन हो गयी है, जिसके फलस्वरूप जन कांग्रस विधायक दल ने एक प्रस्ताव पारित कर अपना नाम भारतीय क्रांति दल, उत्तर प्रदेश कर लिया है ।

अतः आपसे निवेदन है कि अब जन कांग्रेस विधायक दल को भारतीय क्रांति दल के नाम से संबोधित करें और इसकी सूचना माननीय सदन को देने की कृपा करें" ।

इसका फल यह हुआ कि जन कांग्रेस इसके बाद "भारतीय क्रांति दल" के नाम से संबोधित किया जायगा । बहुगुणा जी क्या आपको नामकरण पर आपत्ति है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

जी नहीं, वह तो द्विज हुआ है ६ महीने के बाद । दो बार नामकरण हो चुका है । मैं इसकी बधाई देता हूं और हर ६ महीने के बाद नाम बदलेगा इस बात की आशा है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसको स्वीकार करेंगे कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके यह सूचना आपको भेज दी और क्या सभी सदस्यों की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस तरह से पत्र लिख सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

सदन को सूचना देने का मतलब यह है कि अगर यहां दी गयी सूचना में कोई भ्रांति हो या कोई गलत सूचना दी गयी हो तो उसका माननीय सदस्य खण्डन कर सकते हैं। अगर किसी अनधिकृत व्यक्ति ने यहां कोई सूचना भेजी है तो उसका यहां पर खण्डन हो सकता है। मैं उसे भी सदन के समक्ष रख दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपने शुरू में यहां सदन में एक बार कहा था कि जो भी दल बदल आदि की सूचना हों वे सभी माननीय सदस्यों के दस्तखत से आनी चाहिए, इसमें सभी माननीय सदस्यों के दस्तखत नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

सदस्यों का प्रश्न इस समय नहीं है, इसमें तो नामकरण का प्रश्न है, उन्होंने यह सूचना दी है कि उन्होंने अपने दल का नाम बदल दिया है।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड में, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थाप पर, विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड में, तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के रिक्त स्थान पर, विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन विधेयक, १९६७

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं उत्तर प्रदेश सिविलि लाज संशोधन, विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २३८–२४१ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) विधेयक, १९६७

गन्ना विकास उपमंत्री (श्री महीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) विधेयक, १९६७ को पुर.स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ.. २४२ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उदितनारायण शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखियेनत्थी 'त' आगे पृष्ठ २४३–२४४ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक, १९६७

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

(श्री लक्ष्मी रमण आचार्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्या आप इसका विरोध करने के लिये खड़े हुये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

जी, हां ।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार आप इस पर संक्षिप्त वक्तव्य ही दें सकते हैं । अगर दो सेकेन्ड के लिये आप कष्ट करने की कृपा करें तो दूसरे माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं निवेदन कर दूं कि "यदि ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद विवाद के प्रश्न रख सकेंगे ।"

[श्री अध्यक्ष—]

इस तरह से जब आप विरोध करने के लिये खड़े हुये हैं तो आपका केवल संक्षिप्त वक्तव्य होगा और अगर प्रस्तावक कुछ कहना चाहेंगे तो वे भी कह सकेंगे । उसके बाद बिना बाद विवाद के मैं प्रश्न उपस्थित कर दूंगा ।

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत संक्षेप में जो जनतंत्र के प्रति कुठाराघात किये जाने के सम्बन्ध में एक नया विधेयक आया है उसका विरोध करूं । श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं इस विरोध को सदन के समक्ष रखूं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सदन में बार बार चुनौती के रूप में हमने यह चीज रखी है कि यदि सदन के इस ओर के किसी माननीय सदस्य के प्रति किसी प्रकार के कदाचार का आरोप कभी लगाया जाय तो कानून के अन्तर्गत उस पर कार्यवाही की जा सके तो वह की जाय । लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों में इस शासन के पश्चात् भी अपनी चुनौती इस सदन के समक्ष निरन्तर रखने के बाद भी कदाचार का एक भी आरोप इस ओर के किसी माननीय सदस्य के प्रति यह सरकार नहीं लगा सकी । हम समझते हैं कि यदि उनमें किसी प्रकार का नैतिक साहस होता तो वे ऐसा करते लेकिन इसके बिलकुल विपरीत जैसा कि सरकार का एक रवैया हो गया है कि केवल प्रदर्शनकारी कार्यों को करने की इसकी नीयत बनती चली जा रही है । मुझे क्षमा करें यदि मैं यह कह दूं कि उत्तर प्रदेश में नित्य प्रति नये-नये नाटकों की रचना होती है । कभी कोई साहब रुठते हैं तो बाद में सब मिल कर उनको मनाने जाते हैं, कभी कोई इस्तीफा दे देता है तो सब मिल कर उनसे कहते हैं कि इस्तीफा मत दीजिये । कभी एक नाटक, कभी दूसरा नाटक, मुझे कहने की अनुमति प्रदान करें तो मैं कहूंगा कि यह सिर्फ एक नाटक है. . . . . (व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि आपने पुराने नियम की याद दिला दी । तो उसी के आधार पर मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य उस नियम की परिधि बाहर बोल रहे हैं, आप उनसे कह दें कि वे उस नियम की परिधि के भीतर ही रह कर बोलें ।

श्री अध्यक्ष—

परिधि की सीमा निर्धारित करना मेरा काम है । आपका इस तरह से बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता । मैंने समझा कि आप शब्द "नाटक" के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मुझे दुख है, मैं शायद बैठता नहीं और अपने मित्र को इस प्रकार का भाषण करने का अवसर नहीं देता, किन्तु एक नाटक का पटाक्षेप और भी हो गया और यह एक नये नाटक के रूप में ही है । तो, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष, जैसा कि बिलकुल प्रारम्भ में ही कुछ बातें कहनी चाही थीं, मैं श्रीमन् का ध्यान इस विधेयक की कुछ धाराओं के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूं । श्रीमन्, वैसे तो मोटे तौर पर इस विधेयक में यह है कि कदाचार के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप हो तो कोई भी व्यक्ति हजार रुपया दाखिल करके उन आरोपों के सम्बन्ध में आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करवा सकता है । शुरू में वह एक प्रारम्भिक जांच के रूप में हो और बाद में वह एक न्यायिक कार्यवाही के रूप में परिवर्तित हो जाय, यह कुछ मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है । मौलिक अधिकार से मेरा तात्पर्य विशेषाधिकार से है । यदि मैं उनकी चर्चा लम्बे तौर पर करूं तो शायद उचित नहीं होगा । हमारे संविधान के अनुच्छेद १९४ में विशेषाधिकार का जिक्र है कि विशेषाधिकार वे हैं जिनको हम लोगों ने न छोड़ा हो और जिनके मातहत हम यहां स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें । यही नहीं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशेषाधिकार की परिभाषा यह है कि सदन के आदरणीय सदस्यों का यह विशेष अधिकार है कि वे स्वतंत्रतापूर्वक यहां कार्य कर सकें, अर्थात् मानसिक रूप से उन पर कोई ऐसा अंकुश न लगे कि वह सदन को अपनी सेवायें अर्पित करने से वंचित हो सके । इसके संबंध में हमारे देश में एक दूसरा वैधानिक नियम है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किया हुआ है और जिस के तहत में वे सारे कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं जिनके इस विधेयक द्वारा किये जायें की व्यवस्था की जा रही है । कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२, की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसकी धारा ३ में जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं, वे सब कार्य किये जाने का प्रबन्ध है जिनक लिये इस विधेयक से व्यवस्था की जा रही है । आज उधर के लोग बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, यह बेईमानी है । यह दशा बदल सकती है । जनतांत्रिक प्रणाली के इतिहास में यह होता रहेगा । हमारे मुख्य मंत्री जी क यह बात नहीं भूलना चाहिये कि हम एक इतिहास की रचना कर रहे हैं और हमारी गल्तियों के लिये इतिहासकार हमको माफ नहीं करेगा । इसकी धारा ३ में है कि —

"The appropriate Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do and shall, if a resolution in this behalf is passed by the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of a State, by notification in the official gazette, appoint a commission of enquiry for the purpose of making an enquiry into any definite matter of public importance and performing such functions and within such time as may be specified in the notification; and the commission so appointed shall make enquiry and perform the functions accordingly.

मोटे तौर पर इसका अर्थ यह है कि अधिकृत सरकार जब कि उसकी ऐसी राय हो या वह यह आवश्यक समझे तो ऐसे एक प्रस्ताव द्वारा जो कि इस संबंध में लोक सभा में या यदि आवश्यक हो और उपयुक्त हो तो स्टेट को विधान सभा में पारित हो और उस प्रस्ताव को गजट में शाया करके इस तरह का एक जांच कमीशन नियुक्त कर सकती है जो इन सारे निश्चित मसलों के संबंध में जांच करेगा जो कि सार्वजनिक महत्व के हों और वे सब कार्य करेगा और इतने समय में करेगा जिनका निर्धारण गजट में किया गया हो ।

इसके तहत में निरन्तर आफीशल कमीशन्स आफ इन्क्वायरी बैठाये गये हैं । मैं स्मरण दिलाऊं कि आज भी इस देश में कई व्यक्ति ह जिनके बारे में कमीशन की नियुक्ति की गई और उसके बाद निरन्तर कार्य हुये और जिन्होंने कई मर्तबा कुछ ऐसी बातों को निश्चित रूप से निर्धारित किया जिनसे कदाचार के आरोप सिद्ध हुये ।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप ५, ७ मिनट में ही समाप्त कर दे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही बहुत बड़ा अन्तर है और वह यह है कि पहले में जो भी कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठाया जायगा तो सदन में एक प्रस्ताव पारित होगा और यह वह सरकार करेगी जो कमीशन बैठाना चाहती है । मौजूदा विधेयक सदन के इस मौलिक अधिकार को छीन लेता है । इसके बिलकुल विपरीत यह अधिकार आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो कि किसी भी प्रकार से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे । मैं मुख्य मंत्री जी से क्षमा मांग कर निवेदन करूंगा कि यदि उनके विरुद्ध १००० रुपया दाखिल करके कोई भी व्यक्ति कोई भी आरोप लगाकर भेज दे, तो क्या वे इस सदन के प्रति न्याय कर सकेंगे ? क्या वह सदन में आकर वैसे ही बैठ सकेंगे जैसे कि आज बठते हैं ? चाहे इसका प्रभाव कुछ भी हो और बाद में यह मालूम हो जाय कि वे आरोप निराधार थे, किन्तु क्या वह इतनी स्वतंत्रता से कार्य कर पावेंगे ? यह उचित नहीं है कि किसी के बारे में १००० रुपया दाखिल करके कोई उसे यह कह सके कि यह व्यक्ति कदाचारी है, इसने २००० रुपये लिये हैं। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी यह हिम्मत नहीं होगी कि वह किसी अफसर के सामने मुंह उठाकर आ सकेंगे । क्या सरकार की कोई मौलिक अधिकार है कि जो इस सदन का विशेषाधिकार है उसे छीन ले ? क्या वह किसी भी

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

ऐसे व्यक्ति के सामने जाने के लिये तैयार हैं जो कि किसी भी समय किसी भी प्रकार के अत्यन्त अनुत्तरदायी हो सकता है ? क्यों नहीं वह मेरे विरुद्ध एक कदाचार का आरोप ले आते जिसे वह कदाचार का आरोप लगाना चाहते हैं ? उनके पास सत्ता है, वह विधेयक पारित करा सकते हैं । कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट में किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वह लक्ष्मी रमण आचार्य हो या कोई भी हों, कमीशन बैठाया जा सकता है ।

मैं हम लोगों के मौलिक अधिकारों के संबंध में मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस से कुछ लाइन पढ़ देना चाहता हूं । उनके विपरीत कृपा करके आप इस काले कानून को न बनावें, वरना न जाने किसी दिन यह कानून कितने व्यक्तियों के गले में सांप बन जाय जिससे वह भी न बच सके । वैधानिक रूप से यह काला कानून करार दिया जायगा और इनको कोई अधिकार नहीं है इसे बनाने का । मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में पृष्ठ ४२ पर जो हमारे विशेषाधिकारों की परिभाषा है उसे मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं ।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

आचार्य जी बहुत घबराये मालूम हो रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरे मित्र ठीक ही समझे और मैं उनके लिये ही घबरा रहा हूं । मैं डर रहा हूं कि एक हजार रुपया देकर उनके संबंध में कोई कुछ कह न दे । मैं उनके लिये ही चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं । तो मेज पार्लियामन्टरी प्रैक्टिस के पेज ४२ पर यह लिखा हुआ है--

The particular privileges of the Commons has been defined as—"The sum of the fundemental rights of the House and of its individual Members as against the prerogatives of the Crown, the author ty of the ordinary courts of law and the special rights of the House of Lords.

Ancillary nature of Privilege—A necessary means to fulfilment of functions—The distinctive mark of a privilege is its ancillary character. The privileges of Parliament are rights which are "absolutely necessary for the due execution of its powers (c). They are enjoyed by individual Members, because the House cannot perform its functions without unimpeded use of the services of its Members; and by each House for the protection of its Members and the vindication of its own authority and dignity.

उसका अनुवाद इस प्रकार है--"विशेषाधिकार जो कि हाउस आफ कामन्स के सदस्यों के संबंध में उनकी परिभाषा निम्न है--मौलिक अधिकारों की एक परिभाषा जो कि सदस्यों के प्रति है और जो व्यक्तिगत सदस्यों के संबंध में भी है वह जो कि राज्य की शक्ति के विरुद्ध और साधारण न्यायालय की शक्ति के विरुद्ध है और वह हाउस आफ लार्ड्स के विशेषाधिकारों पर भी लागू होती है ।

और दूसरे का मोटे तौर पर अनुवाद यह है--विशेषाधिकारों को मौलिक रूप से इस प्रकार समझा जाना चाहिये कि पार्लियामेन्ट के विशेषाधिकार वह अधिकार है जो कि पार्लियामेन्ट के कार्य को सुचारुरूप से चलाने के लिये नितान्त आवश्यक हैं और वह इस प्रकार के हैं जो प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हैं क्योंकि बिना उन अधिकारों के सदन का कार्य नहीं चल सकता ।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो इस समय विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है यह हमारे विशेषाधिकारों के विरुद्ध है और मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इसके द्वारा जो धारा २४ में प्राविधान किया गया है उसके द्वारा धारा ३ स्पेशल कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट रद्द होती है । इस सदन को इस प्रकार का प्राविधान करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, इस बिल का टाइटिल अगर आप देखें तो इसमें क्लाज ६ में दिया हुआ है--मिनिस्टर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख, नगर उप प्रमुख, प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट, सदस्य विधान मंडल। आर्डिनेन्स में ५ थे। जब विधेयक प्रस्तुत किया गया कोआपरेटिब्स के प्रधानों को और जोड़ दिया गया ....

श्री अध्यक्ष--

यह कौन सी किताब आपके पास है ?

श्री नेकराम शर्मा--

यह यही बिल है।

श्री अध्यक्ष--

अंग्रेजी वाला है क्या ?

श्री नेकराम शर्मा--

नहीं, यह है तो हिन्दी का ही। मैं यह कह रहा था कि यह डिसक्रिमिनेटरी है, और क्या ऐसा डिसक्रिमिनेशन करने वाला कानून हम ला सकते हैं। आप ने कुछ लोगों को तो छांट लिया और ब्लाक प्रमुख या गांव सभाओं के सभापति रह गये या अन्य जनता के लोग जो किन्हीं स्थानों पर रह चुके हैं या रहने वाले ह। इस तरह से संविधान के प्राविजन्स के अनुसार कोई डिसक्रिमिनेटरी चीज नहीं लाई जा सकती है. . . .

श्री अध्यक्ष--

आर्टिकल १४ के अनुसार कह रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

जी हां। इसलिये मेरा कहना है कि यह डिसक्रिमिनेटरी है और ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता। अगर मंत्री जी चाहते हैं और कोई ऐसी व्यवस्था उन्हें करनी हो तो पहले से ही आई० पी०सी० और संथानम कमेटी की सन् ४७ की विधि के अनुसार कार्यवाही हो सकती है, जिस चीज की जरूरत वह समझते हैं वह सब उसमें मौजूद है। अगर लाये ही थे तो इसमें तमाम पब्लिक मेन लाये जाते, इसमें गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स छोड़ दिये गये हैं, हो सकता है कि कहा जाय कि उनके लिये रूल्स हैं लेकिन उनके विरुद्ध इसमें कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारी, गांव सभा के प्रधान ब्लाक के प्रमुखों तथा अन्य समितियों के लोग या पब्लिक मेन सब आपने छोड़ दिये और केबिनेट मिनिस्टर्स और कुछ अन्य लोगों को रख लिया, यह डिसक्रिमिनेटरी है। अगर डिसक्रिमिनेटरी है तो संविधान के अनुसार यह कानून सदन में नहीं लाया जा सकता। मैं आप की भी इस पर व्यवस्था चाहता हूं; माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कहां तक इसका औचित्य है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

मेरी भी श्रीमन्, एक कांस्टीट्यूशनल आपत्ति है मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ कह लूं और सबका इकट्ठा उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह अध्यादेश. . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त तो वह केवल विधेयक की ही अनुज्ञा मांग रहे थे. . . . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां, मैं बिल के बारे में ही कह रहा हूं । इस आर्डिनेन्स को, जिस पर कि यह विधेयक आया है सारे देश की सार्वजनिक जनता के पास इस को भेजा गया है और उस में टिप्पणी भी लिखी है जिस में लिखा है कि क्या कारण है और उस को किस उद्देश्य से लाया जा रहा है । उसमें एक बात अंग्रेजी में मुझे मालूम है, हिन्दी की प्रति सूचना विभाग ने नहीं भेजी है .....

श्री अध्यक्ष--

मैं हिन्दी की भिजवाये देता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उस टिप्पणी में लिखा है कि लोकपाल स्कीम फेडरल-सेटअप में ठीक नहीं है और यह उचित न होगा कि केन्द्रीय सरकार सूबे के मंत्रियों या सरकारी कर्मचारियों जो कि सूबे से सम्बन्धित हैं उनके विषय म टीका टिप्पणी या जांच पड़ताल करें। मैं इससे यह समझा कि सम्भवतः मुख्य मंत्री जी इस बिल के द्वारा यह स्टेंड लने वाले हैं कि राज्य सरकार को मंत्रियों के संबंध में या राज्य सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं कर सकती। इसके माने यह हुये कि अभी तक जो संविधान के अधिकारों का प्रयोग करते हुये संसद ने तत्संबंधी कानून बनाये हैं जिस के मातहत उन की एक बड़ी शक्ति है और जिस का उपयोग भी सरदार कैरों के केस में हो चुका है उस सब को मुख्य मंत्री जी बिल के द्वारा रोक रहे हैं । वे कह रहे हैं कि लोकपाल की जो स्कीम है वह फैड्रल सेट-अप के लिये अच्छी नहीं है । इसमें उन्होंने यह कहा है कि यह अच्छा नहीं है कि इस तरह की भ्रष्टाचार की जो जांच पड़ताल हो, उसको केन्द्रीय सरकार संघीय राज्य में स्वयं राज्य सरकार के अधीन लोगों के सम्बन्ध म करें । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधान सभा के जो अधिकार हैं वे पार्लियामेंन्ट के जो अधिकार हैं और जो संविधान में दिये हुये हैं उनकी काट कर सकता है, उनको छांट सकता है या उनको कम कर सकता है । इस विधेयक के द्वारा यह प्रदेश संघ शासन के साथ ऐलाने जंग कर रहा है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं । वे देश की सेवा करने की कांग्रेस की ट्रेनिंग पाये हुये हैं । वे कैसे गल्ती कर सकते हैं? लेकिन कभी कभी कुसंगति के कारण गल्ती हो जाती है । मुझे डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माननीय नेता सदन जो भ्रष्टाचार मिटाने की राय दे रहे हैं उसकी लपेट में ऐसी गोली तो नहीं खिला रहे हैं जो जमालगोटे की तरह से सारे संविधान की शक्ति को ही नष्ट कर दे । यह जो विधेयक है जिस हद तक संघीय संविधान में हमारी संसद को जो अधिकार हैं यदि उनकी कांट-छांट करता है तो इसमें राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है अन्यथा इसकी वैधता संविधान के विरुद्ध है और यह इस सदन में ग्राह्य नहीं हो सकता है ।

(श्री बेचन राम के खड़े होने पर)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

आपने मुझे बोलने के लिये कहा था ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो ठीक है, लेकिन हमारे नियमों के नियम १२३ की ओर मेरा ध्यान गया है जिसमें यह दिया हुआ है कि "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण-रूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे । तो मैं मजबूर हो गया, वरना मैं माननीय बहुगुणा जी को भी आज्ञा न देता ।

*श्री बेचन राम (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, यह जो बिल सदन में आया है उससे ऐसा आभास मिला है कि इसका आशय संविधान की शक्तियों के आगे जाता है या उसका कन्ट्रेरी है । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान गोलकनाथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्सेज स्टेट आफ पंजाब (१९६७) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फन्डामेन्टल राइट्स के बारे में कहा है कि जो हमारे अधिकार ह जजमेन्ट के आगे उन्ह परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा । यदि कोई अधिनियम ऐसा हो जो हमारे मौलिक अधिकार है उन्ह कम करेगा या उन्हें नष्ट करेगा तो वह अधिनियम वायड होगा । उसी प्रकार से हमारे सदन के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिन्हें विशेषाधिकार कहा जाता है । जब तक हम उसको फोरगो न कर दें, और वह अधिकार परम्परा से हमको मिले हैं, मेरा मत है कि उस अधिकार को कोई सिंगिल मेजोरिटी कम नहीं कर सकती है, न उसको नष्ट कर सकती है । जो अधिनियम है उसका जो परिणाम होगा उससे स्पष्ट है कि हमारे विशेषाधिकारों पर असर पड़ेगा, जैसे कि कोई मेम्बर किसी भ्रष्टाचारी पूंजीपति के खिलाफ काम करता है, सदन में सवाल उठाता है, उसको वह पूंजीपति धमकी दे सकता है ।

आई० पी० सी० में पब्लिक सवन्ट की बड़ी वाइड डेफीनीशन दी हुई है । इस विधेयक में पब्लिक सर्वेन्ट को छोड़ दिया गया है जो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है ।

इसलिये मेरा विचार है कि जो विशेषाधिकार हम को परम्परा से मिले हैं, उनको यह सदन कम नहीं कर सकता है । जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को कम करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आगे कम नहीं होंगे, उसी तरह से कोई कानून हमारी प्रिविलेजेज को ऐब्रिज नहीं कर सकता है और अगर करता है तो वह विधेयक वीयड है ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, यह विधेयक अध्यादेश पर आधारित है, यह पालियामेंट और हमारी लेजिस्लेचर के जो सौवरेन राइट्स हैं उनको काटता है । हमारी रिस्पांसिबिलिटी इस सदन के प्रति है, इसी तरह से काउंसिल आफ मिनिस्टर्स भी लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार हैं । लेकिन अगर आप देखें तो विधेयक में एक ऐसी एजेन्सी क्रियेट की गयी है स्पेशल इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी जिसको नाजी भाषा में गेस्टेपो अगर कहा जाय तो गलत न होगा ।

जहां तक भ्रष्टाचार मिटाने की बात है, हम मुख्य मंत्री जी से पीछे नहीं हैं । मगर जिस नीयत से और जिस ढंग से यह बिल पेश किया गया है उस पर मुझे आपत्ति है । गवनर इन कन्सलटेशन विद दी चेयरमैन आफ दि पब्लिक सर्विस कमीशन उस इनवेस्टीगेटिंग आफीसर को अप्वाइंट करेगा । विधान के अन्दर गवर्नर को, अपनी डिस्क्रीशनरी पावर्स को छोड़कर, काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना पड़ता है । आपने गवनर को वह अधिकार दिया है जो कि कांस्टीट्यूशन में भी नहीं दिया गया है । जो अप्वाइंट किया जायेगा इनवेस्टीगेटिंग अफसर उस पर जो खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी हम पर यानी विधान मण्डल पर होगी मगर उसके कामों की आलोचना करने का हमको अख्तियार नहीं होगा और अगर अख्तियार होगा तो इनडायरेक्टली कंडक्ट आफ दि गवर्नर इन क्वेश्चन आ जायगा, जब कि नियमों में गवर्नर के कंडक्ट को हम क्वे चन नहीं कर सकते । इसलिये आपने लेजिस्लेचर के अधिकारों का हनन् किया है, पार्लियामेंट की जो सीवरेनटी है उसका भी हनन् किया है । जूडिशियरी की इंडिपेंडेन्स को मिटाने की चेष्टा की है । जज कि पोजीशन आपने प्रोजीक्यूटिंग इंस्पेक्टर की बना दी है । जो जज कभी पुलिस आफिसर्स को अपनी चेम्बर में बुलाता नहीं है, उनकी वह मदद करेगा और बाकायदा प्रौसीक्यूटर की तरह से फाइनल चार्जशीट जज तय करेगा ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस से जो पावर्स और इम्युनिटीज हाउस को मिली हुई हैं उनका वायलेशन होता है । जिन मंत्रियों के खिलाफ इनवेस्टिगेशन हो रहा हो उनके खिलाफ कोई प्वाइंट आफ प्रिविलेज हाउस में नहीं उठा सकेगा यह बात संविधान के विपरीत है क्योंकि दोनों सदनों के प्रिविलेजेज अनलिमिटेड हैं । जज की जब कोई फाइंडिंग होगी तो जो आदमी एग्रीव्ड है उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा । इससे आपने जजेज की पोजीशन को भी डेरोगेटरी कर दिया है और इस से संविधान की अवहेलना (प्रोत्साहित) होती है और किसी की रेपुटेशन के साथ

[श्री नवल किशोर]

खिलवाड़ की जा सकती है क्योंकि आपने इंवेस्टिगेशन आफिसर को इतनी पावर्स दे दी है कि वह जो चाहेगा कर सकेगा। क्योंकि यह संविधान के विपरीत है इसलिये हाउस को इसको पेश करने की भी आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।

*श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, नवल किशोर जी ने कहा कि यह जनतंत्र के विरुद्ध है। उस पर मेरा कहना यह है कि जनतंत्र तभी कामयाब होगा जब जनता को यह विश्वास हो जाय कि जिनको उन्होंने चुनकर भेजा है वे जनता के सेवक हैं और उसको उनकी ईमानदारी और नेकनियती में कोई शक न हो। इसलिये जरूरी है कि इस तरह का कानून बने। यह जनतंत्र के खिलाफ नहीं है, जनतंत्र को कामयाब बनाने के लिये यह जरूरी है।

मैं यह समझता था कि हमारे माननीय मित्रों की तरफ से इस अध्यादेश का स्वागत किया जायगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसका विरोध हुआ है। अब लोग आजाद हैं अपनी-अपनी राय देने के लिये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं है कि यह किसी खास वर्ग अथवा किसी खास पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो। माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य ने जो बात कही वह समझ में नहीं आती। उनका कहना था कि उनके खिलाफ यह एक नाटक है। लेकिन इसका कोई ऐसा आब्जेक्ट है, ऐसी बात इस से कहीं नहीं निकलती। तो उनका इस तरह से कहने का क्या मतलब हुआ? कांस्टीट्यूशन की बात उठाई गई। कहा गया कि यह डिस्क्रिमीनेटरी है। कुछ आफिस बियरर्स हैं, बाकी का जिक्र नहीं है। बहुत सी बातें रूल्स में आती हैं और कानून बनाते वक्त इस प्रकार का अधिकार रहता है। हर कानून में ऐसा करना पड़ता है। इसलिये यह डिस्क्रिमीनेटरी हर्गिज हर्गिज नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी कि हमारे राइट्स हैं, प्रिविलेजेज हैं वह कर्टेल हो रहे हैं। दूसरे यह कि इस के बनने की वजह से मेम्बरान अपने फर्ज को अन्जाम नहीं दे सकेंगे, उन पर रुकावट हो जायेगी। जहां तक प्रिविलेजेज का ताल्लुक है, उसी कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि लेजिस्लेचर हमारे राइट्स को डिफाइन कर सकता है, उनको कर्टेल कर सकता है, वाइडेन कर सकता है। हाउस आफ कामन्स के जो राइट्स और प्रिविलेजेज हैं वे ही इस लेजिस्लेचर के माने जायेंगे, पार्लियामेंट के माने जायंगे जब तक कि इस सिलसिले में अपने रूल्स न हों। किसी राइट या प्रिविलेज पर जरा भी आंच नहीं आ रही है और अगर आ रही है तो इस सदन को अधिकार है उनको डिफाइन करने का। लिहाजा कोई सवाल नहीं उठता।

अब एक साहब, मुझे माफ करेंगे उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, फंडामेंटल राइट के बारे में बोल गये। मैं पूछता हूं कि किसको फंडामेंटल राइट है करप्शन करने का। यहां तो सारे कानून बने हुये हैं कि जो चोरी करेगा उसको तीन साल की सजा हो जायगी। तो हर नागरिक कह सकता है कि लीजिये, अब हम स्वच्छन्दतापूर्वक काम नहीं कर सकते (हंसी)। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या बात हुई कि हम अपने फरायज को अन्जाम नहीं दे सकेंगे चूंकि आप ऐसा कानून बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने वायदा किया था, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट में यह है कि गवर्नमेंट अगर पांडेय जी के खिलाफ शिकायत आये तो कमीशन आफ इंक्वायरी न बिठाये और बहुगुणा जी के खिलाफ अगर दरख्वास्त आये तो बिठा दे, हाउस पास कर दे चूंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी मेजारिटी होती है, चाहे एक की मेजारिटी हो चाहे पचास की हो। तो अपने मित्रों के खिलाफ कोई शिकायत आये तो इस गवर्नमेंट को यह राइट है कि हम कमीशन आफ इंक्वायरी न बिठायें और अगर शिकायत किसी ऐसे मित्र के खिलाफ हो जिसके खिलाफ मेरे ऊपर पोलिटिकल प्रेजुडिस का चार्ज लगाया जा सकता है तो मैं बिठा दूं। तो यह पावर है स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी केस में कमीशन आफ इंक्वायरी बिठाये और किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में न बिठाये। उस पावर को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आपको तो हमें कांग्रेचुलेट करना चाहिये था कि हम सबके साथ एक सा बरताव कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरिट पर नहीं, इसके कांस्टीट्यूशनल ऐस्पेक्ट पर कहिये।

श्री चरण सिंह--

सवाल उठा था कि कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट पहले से मौजूद है। लेकिन उसमें जो डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट को उसको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। यह प्रिविलेजेज के विरुद्ध नहीं है। कहां है प्रिगिलेजेज इस बात का कि कोई मेम्बर पार्लियामेंट को या मिनिस्टर को ही उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी न हो। इसके अलावा एक बात और है कि कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट में अगर काफी होता तो गवर्नमेंट लोकपाल की स्कीम क्यों लाती। मेरा मतलब यह है कि वह नाकाफी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने कहा था कि लेजिस्लेचर के जो राइट्स हैं इस ऐक्ट के द्वारा आप उन्हें लिमिट कर रहे हैं। मेरिट पर तो जो चौधरी साहब की स्कीम है उस पर तो पूरी पोथी लिख कर बांट दी है।

श्री चरण सिंह--

मेरे मित्र कह रहे थे कि संसद के राइट्स को आप कटल कर रहे हैं। एम० पीज का तो इसमें कोई सवाल नहीं है। आपके जो राइट्स हैं, एक तो हम कहते हैं कि वह रेस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं और अगर रेस्ट्रिक्ट होते हैं तो वक्त का तकाजा है कि हम अपने राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट में इंडिपेन्डेन्ट इनवेस्टीगेशन ऐजेन्सी नहीं है। इसमें जज मुकरर्र होता है। लेकिन जज के सामने फैक्ट्स आते हैं, उन पर वह अपनी राय देता है और वह कोई इनवेस्टीगेशन नहीं करता है। इस इंक्वायरी आफ कमीशन ऐक्ट में इंडिपेंडेंन्ट इनवेस्टीगेटिंग ऐजेन्सी का प्राविधान नहीं है। इसमें हम एक इंडिपेंडेन्ट ऐजेन्सी रखने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जज तो केवल अपनी राय देगा। मैं सारी बातें इस समय अर्ज करना नहीं चाहता हूं। माननीय गुप्ता जी ने एक बयान निकाला था कि चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को बहुत ज्यादा पावर्स दी जा रही हैं। चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को खाली इनवेस्टीगेशन करने की पावर्स हैं, और कोई पावर नहीं है। अध्यक्ष महोदय इधर साल भर से माननीय नवल किशोर जी के बहुत से बयान निकले हैं और मैं उनकी काबलियत का बहुत कायल हूं। मैं समझता था कि वह कोई बहुत माकूल बात कहेंगे। उन्हों, ने केवल गेस्टेपो वाली बात कही। चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर तो केवल इनवेस्टीगेशन करके जज के सामने फैक्ट रखेंगे इसके सिवाय उनको और कोई पावर नहीं है। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और यदि वह समझता है कि इसमें कोई प्राइमाफेसी के नहीं है तो उसको वहीं खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वह समझता है कि प्राइमाफेसी केस है तो चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर से इनवेस्टीगेशन के लिये कहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वह चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को गेस्टेपो समझते हैं तो आज पुलिस का हर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल गेस्टेपो है। चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को कवल इनवेस्टीगेशन का अधिकार है और उसको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से पुलिस के आदमी किसी केस में इनवेस्टीगेशन करते हैं उसी तरह से चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को भी इनवेस्टीगेशन करने का ही अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय, चीफ इनवेस्टीगेशन आफिसर किसी केस में इनवेस्टीगेशन करके उसके फैक्टस को जज के सामने रखेंगे। चीफ इनवेस्टीगेशन आफिसर को हटाया जा सकता है। उसको चीफ जस्टिस हटा सकते हैं। जिस तरह से कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को हटाया जा सकता है इसी तरह से यदि चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर के इनवेस्टीगेशन में कोई गलती साबित होती है तो उसको हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट जज को एक्जीक्यूटिव

[श्री चरण सिंह]

एप्वाइंट करती है। चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के पास आती है, फिर गवर्नर के पास आती है और वहां से होम मिनिस्टरों में जाती है। तब उसको ऐक्जीक्यूटिव एप्वाइंट करती है। जसे ही उसका एप्वाइंटमेंट हो गया वह इंडिपेंडेन्ट हो गया। इसी तरह से हमने चीफ इनवेस्टीगेटिंग आफिसर को इंडिपेंडेंट बनाया है जिससे उसको इनवेस्टीगेशन में किसी तरह का फीयर न हो। जब किसी तरफ से ऐतराज होता है तो मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि मैं समझता हूं कि उसका तो सब तरह से स्वागत होना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, डेरोगेटरी टु दि डिग्निटी आफ दि जजेज। हाई कोर्ट के जजेज लिये बड़ा डेरोगेटरी होगा अगर कभी-कभी पुलिस वालों को बुलाकर शहादत ले लें। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो कांस्टीट्युशनैलिटी का सवाल यहां उठा नहीं करता। अगर उठाना हो तो कोर्ट्स में उठाइये। दूसरे जो हमने बिल बनवाया और जो आर्डिनेंस बना है लीगल रेमेम्ब्रेन्सर के मशविरे से बनाया है। आपने डिटेल में बताया कि कांस्टीट्यूशन के फलां-फलां आर्टिकिल के खिलाफ है। एडवोकेट जनरल का मशविरा ले लिया। सब चीजें देख लीं कि कहीं कास्टीट्यूशनल का इनफ्रिंजमेंट नहीं होगा।

दूसरी बात मुझे ताज्जुब और अफसोस है कि इस पर माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य या किसी मित्र की तरफ से इसका विरोध हो। फैक्ट यह है कि पोलिटिकल करप्शन था और आज है। इसको हम डेमोक्रेसी के हित में लाये हैं जिसका चारों तरफ स्वागत हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह मित्र भी इसका स्वागत करेंगे। अगर स्वागत नहीं करेंगे तो गांव में एक कहावत है वही चरितार्थ हो रही है—टटोलो अपने दिल को। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक, १९६७, को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक, १९६७, को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ २४५– ६१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६७

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६७, को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरी आपत्ति यह है कि जो यह विधेयक पेश किया गया है वह दो अध्यादेशों पर आधारित है। एक अध्यादेश २० अक्तूबर को जारी किया गया और उसी संबंध में दूसरा अध्यादेश ८ नवम्बर को जारी किया गया। मेरे इसके ऊपर तीन चार आक्षेप हैं। चौधरी साहब ध्यान से सुन लें। एक तो जो विधेयक लाया गया है और इससे पहले जो अध्यादेश जारी किये गये थे उनके पीछे एक विशेष राजनीति थी। यह विधेयक पलिटिकली इंस्पायर्ड है और मोटिवेटेड है। दूसरे यह डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरे सरकार की नियत इसके अन्दर कतई मालाफाइडी साबित होती है। अगर आर्डिनेंस

पावर का कोई अव्युज हो सकता है जिसका डर संविधान बनाने वालों को था तो सबसे बड़ा अव्युज आर्डिनेंस पावर का यह है। मैं विधान के आर्टिकिल १९१ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंगलिश की कापी मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष--

मैं हिन्दी की भिजवा सकता हूं।

श्री नवल किशोर--

बड़ी कृपा होगी आपकी।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन, जब तक नवलकिशोर जी ढूंढ रहे हैं, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसमें जो विरोध करने की बात है कोई संवैधानिक मसला हो तो होना चाहिये नहीं तो जो बातें नवलकिशोर जी कह रहे हैं वह तो विचार के समय भी कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो १९१ संविधान की ही धारा है। यही तो वह कोट कर रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

लेकिन अभी तक तो नहीं कहा था।

श्री नवल किशोर--

श्रीमन, १९१ एक इस प्रकार है। "१९१ (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद्, का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा--

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये हैं।"

इसमें मैं आपका ध्यान शब्द "घोषित" की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आर्डिनेंस इश्यू करने की भी सरकार को पावर है और कानून बनाने की भी पावर है। इसमें शब्द "घोषित" है तो जिस समय कोई उम्मीदवार होता है नामिनेशन के समय उस समय वह आदमी डिस्क्वालीफाइड था या नहीं था। उस समय यदि कोई घोषणा हुई होती तो दूसरी बात थी। आज, मान्यवर, स्थिति यह है कि एक आदमी का नामिनेशन हो गया, चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया और आज जब हम एक आर्डिनेंस पास करते हैं और उसमें यह कहते हैं कि "घोषित" हुआ समझा जायगा"। मेरी समझ में नहीं आता कि पास्ट में यह घोषणा कैसे समझी जायगी।

नम्बर दो का मेरा प्वाइंट यह है कि जिन लोगों ने नामिनेशन्स करा दिये और वह उस समय डिसक्वालीफाइड कर दिये गये और यही समझ कर जिन्होंने अपना नामिनेशन वापस ले लिया किन्तु जिसने अपना नाम वापस नहीं लिया और चुनकर आ गया उसकी पोजीशन दूसरी हो गयी। तो इस प्रकार से उसको माना जायेगा तो जिन्होंने अपना नामिनेशन वापस लिया या रिटर्निंग आफिसर या प्रिसाइडिंग आफिसर ने जिनका कैंसिल कर दिया तो क्या उनको फिर से वापस ले लिया जायेगा? क्या उनको पुनः अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का? तो इस प्रकार से यह कतई इल्लीगल है। आर्डीनेंस के पावर के बारे में तो, मान्यवर, लोगों की आमतौर से यह राय है कि किसी आजाद देश में ऐसी पावर सरकार को नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आर्डीनेंस की बात जब इसके अनुमोदन का समय आये तब कहियेगा।

श्री नवल किशोर--

मान्यवर, इसके माने तो यह हुये कि जो लेजिस्लेचर को भी अधिकार नहीं है वह आप अध्यादेश के द्वारा लेना चाहते हैं--कानून तो आप पास कर सकते हैं और उसको पीछे से लागू भी कर सकते हैं पर जो वायलेशन कांस्टीट्यूशन का हुआ उसको आप स्वयं कैसे सुधार सकते हैं इसका मतलब यह है कि उस त्रुटि को आप अब सही करना चाहते हैं। जिस पृष्ठभूमि के अन्दर यह विधेयक आया है वह स्पष्ट है और जिसके बारे में मैंने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक दल का दबाव और उसकी एक प्रेरणा रही है। मान्यवर, यह आर्डिनेंस आया २० अक्तूबर को जिस समय कि एस० एस० पी० और सी०पी०आई० के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और चौधरी साहब की सरकार लड़खड़ा रही थी और घोड़े दौड़ रहे थे कि इनको मनाना है और उनको मनाना है; तो उस समय जनसंघ के एक सदस्य जिनकी चुनाव याचिका पेश थी इस बारे में तो २० अक्तूबर का जब जनसंघ का दबाव पड़ा कि इसको कीजिये नहीं तो हम भी चले और गवर्नमेंट भी चली, तो चौधरी साहब ने दबकर आर्डिनेंस निकाल दिया। लेकिन २७ तारीख को जब फाइंडिंग्ज हुई तो वहां भी यह हुआ कि वह फिट इन नहीं होता तो फिर ८ नवम्बर को दूसरा अध्यादेश जारी किया गया। इसका कारण यह है कि एक पोलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिये यह सब किया गया और चौधरी साहब भी उससे डर गये। चौधरी साहब इस बात को कह सकते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में बहुत से आर्डिनेंसेज हुये। हो सकता है हुआ है, यह भी हो सकता है कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से हुआ हो, तो उस समय भी चौधरी साहब का हाथ था और मैं यह कह रहा हूं कि चौधरी साहब को ऐसी करने की आदत सी पड़ गयी है। मैं चौधरी साहब से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं हिन्दुस्तान में कहीं भी इस तरह का आर्डिनेंस आया हो आप साबित कर दें जब चुनाव याचिका चल रही हो और जब आर्गूमेंट्स समाप्त हो गये हों उसके बाद आर्डिनेंस जारी किया गया हो और फिर जब उस अध्यादेश से मकसद पूरा न हुआ हो तो दूसरा अध्यादेश जारी कर दिया गया हो। अगर कोई हुआ हो तो चौधरी साहब बता दें कि इतना बड़ा फ्राड कांस्टीट्यूशन के साथ कभी भी हुआ हो जितना इस समय हुआ है और इसके ऐसे ऐक्शन के बाद तो यह सरकार एक मिनट भी ठहरने के काबिल नहीं है। जो डर था कांस्टीट्यूशन मेकर्स को जब यह बहस हुई थी कि अब्यूज आफ पावर होगा, वह अब्यूज आफ पावर हो गया और चौधरी साहब के हाथों से हो गया, जिसकी हमें कतई उम्मीद नहीं थी।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें होम गार्ड्स में काम करने की वजह से कोई एम० एल० ए० डिसक्वालिफाई हो रहा था तो उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिये यह आर्डिनेंस लाया गया था। जैसा मैंने अपने बयान में भी कहा था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी जब होम गार्ड्स का प्रस्ताव आया था और उसकी बेसिस पर जो डिस्क्वालिफिकेशन एम० पीज के लिये थी उसको रिमूव किया गया था। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया पहले से कर चुकी थी वह हमने कर दिया।

जहां तक इसकी बात है कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से हुआ हो, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे से पहले की कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने दो बार रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से आर्डिनेंस जारी करके डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव किया था।

तीसरी बात यह है कि क्या जब एलेक्शन पेटीशन चल रहा हो तब इस तरह से रिट्रास्पैक्टिव एफेक्ट करके डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो सकती है, तो ख्वाह मुकदमा चल रहा हो या नहीं इट इज इम्मैटीरियल। अगर डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर हो चुकी है तो उसको रिमूव करना है। एलेक्शन पेटीशन चल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर रहे हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा न करते तो डिस्क्वालिफिकेशन थी और अगर कर रहे हैं तो एलेक्शन पेटीशन हो या न हो उससे फर्क क्या पड़ता है। यहां तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट और डिग्री हो जाने के बाद भी लेजिस्लेचर को अधिकार है कि उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट को रिवोक कर सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

किसी एक व्यक्ति के लिये?

श्री चरण सिंह--

एक व्यक्ति के लिये हो या आठ व्यक्ति के लिये, उससे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अभी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट जजेज जो हैं उससे डिस्क्वालिफाइड हैं। १९६६ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कानून में अमेंडमेंट करके रिवोक कर दिया गया। डिगरी और जजमेंट भी हो जाय तब भी लेजिस्लेचर को अधिकार है। जब डिसक्वालिफिकेशन रिमूव की जाती है तो वहां पर आम तौर पर यह होता है कि निगाह में दो आदमी या ज्यादा से ज्यादा १० आदमी होते हैं। इस तरह से सब जगह हुआ है। इसी तरह से यहां हमारे सूबे में कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया है, एक-एक आदमी और दो-दो आदमियों को निगाह में रखकर। इस पर जब बहस होगी तब नाम भी बतला दिये जायंगे। यदि इस बात को चेलेन्ज किया जायगा तो फाइल देख कर नाम भी बतला दिया जायगा कि फलां आदमी को डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव की गई या नहीं।

श्री नवलकिशोर--

हमने गलती भले ही की, लेकिन चौधरी साहब, आपसे आशा नहीं थी।

श्री चरण सिंह--

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी आदमी के लिये यह कहना कि साहब, हमने तो गलती की, आप क्यों करते हैं? तो आप यह स्टोपर नहीं कह सकते हैं। आपके मुंह में यह बात शोभा नहीं देती। यह स्टोपर थर्ड आदमी कह सकता है कि नवलकिशोर जी ने गलती की तो आप क्यों करते हैं। लेकिन नवलकिशोर जी को यह कहने का या गुप्ता जी को यह कहने का हक हासिल नहीं है कि हमने तो किया है आप क्यों कर रहे हैं? तीसरा आदमी कहता तो हम मान लेते। अगर कोई गलती होगी तो हम उसको मान लेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा नहीं थी कि इस डिबेट में कोई हिस्सा लूं लेकिन चौधरी साहब की कुछ आदत हो गई है कि वह मेरा नाम बार बार ले लेते हैं। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आर्डिनेंस आया है और जो तर्क इस आर्डिनेंस लाने के सिलसिल में दिये गये हैं. .

श्री अध्यक्ष--

मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि अब नेता सदन के जवाब के बाद अपने स्पष्टीकरण तक सीमित रखें जो आपका अधिकार है। अन्य बातों को जब कल अवसर आयेगा तो उस समय कहियेगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अच्छा, मैं कल कह दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुख्य मंत्री जी ने उस बात को नहीं कहा जो यहां पर मूल प्रश्न उठाया गया था। मूल प्रश्न यह था कि यहां पर विरोध यह हो रहा था कि क्या कोई अध्यादेश ऐसा जारी किया जा सकता था या यह सदन कोई ऐसा विधेयक बना सकता है कि ऐसा अधिकार दे दिया जाय जिसके कारण

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]—

एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाय। उदाहरण के लिये होम गार्ड में जो नौकरी पर थे उनमें से बहुत सारे लोगों के नामिनेशन पेपर खारिज हो गये। बहुत लोग कानूनी स्थिति समझ कर खड़े नहीं हुये। जिनके नामिनेशन खारिज हो गये वह चुप बैठ गये। वह पेटीशन कर सकते थे। क्या इस कानून को पास कर देने से ऐसे सब लोगों के लिये, उनके कौन-कौन हक, नामजदगी, उम्मीदवारी चुनाव याचिका आदि के जीवित हो जायेंगे। मुख्य मंत्री जी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि वे सदन को गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बड़े कार्यपटुता की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने तर्क से बातों को उलझा दे और उस पर आवरण पड़ सके, लेकिन इस पर कल जब विस्तार से बात होगी तो सब बातें हो जायंगी। मेरे सामने एक कठिनाई थी कि एक संक्षिप्त बातचीत हुई और उस पर मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दे चुके। उसके बाद जब माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए तो मैंने उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दिया। लेकिन उन्होंने उसे न देने के लिये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके लिये मैं कृतज्ञ हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६७, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय तलवाड़ जी, आप कुछ कहना चाहते थे?

श्री गंगाराम (जिला कानपुर)—

मैं यह कह रहा हूं कि आपने एक और जगह वोटिंग की परमीशन दे रखी है और वहां पर रेगुलर वोटिंग हो रही है और मंत्री और उप मंत्री वहां पर हैं। तो यहां पर यह कैसे वोटिंग हो रही है

श्री अध्यक्ष—

माननीय तलवाड़ जी ने जो आपत्ति उठायी है तो मुझे यह कहना है कि यह आज पहली बार इस प्रकार से वोटिंग नहीं हो रही है। सदन का कार्य चलता रहता है और बाहर चुनाव होते रहते हैं, वोटिंग होती रही है।

दूसरे यह कि अगर फिर भी कोई विशेष स्थिति में आपत्ति होती तो मुझे सुबह से अब तक या इससे पहले भी कोई आपत्ति कर सकते थे माननीय नेता सदन भी कर सकते थे।

तीसरी बात मैं यह भी बताऊं कि अभी तो मेरे पास निर्णय भी नहीं आया है, लेकिन मैं इसको अनावश्यक समझता हूं, इसका कोई विशेष संवैधानिक महत्व नहीं है। यह एक अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव है। तो अनुज्ञा मिलती है या नहीं मिलती है इससे कोई... फिर दोबारा भी हो सकता है। इसलिए किसी भी दृष्टि से मैं आपकी आपत्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने के पश्चात् गणक द्वारा गणना फल दिये जाने पर)

एक बात का मुझे खेद है कि जो गणक हमारे गिनती करते थे, जैसा कि तलवाड़ जी ने कहा, वह दूसरी जगह गये थे। अब यहां जो निर्णय आया है वह मुझे प्रत्यक्ष ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

जब आपके पास निर्णय पहुंच गया तो कृपया उसे पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं अवश्य पढ़ूंगा, मेरा अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं कि अगर मुझे प्राग्दर्शन में गलती दिखाई पड़े और जहां होती देखूं उसको ठीक करूं।

विभाजन का परिणाम यह है—

पक्ष में—१५४

विपक्ष में—१३७।

मुझे प्रत्यक्ष इसमें कुछ सन्देह लगता है।

मैं आपको पुनः कष्ट दूंगा, इस गणना में मुझे कुछ सन्देह मालूम होता है, और मैं दोबारा इस प्रश्न को सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६७, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२३

विपक्ष में—१४४।)

श्री अध्यक्ष—

इसको अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, यह सरकार की नीति संबंधी विधेयक था जिसे प्रस्तुत करने की सदन से अनुज्ञा नहीं दी, इसलिये चौधरी चरण सिंह के मन्त्रि मंडल को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो संविधान की दोहाई देते हैं (व्यवधान ..) कृपा करके शान्त रहें।

(व्यवधान)

माननीय लक्ष्मीरमण जी, मैं आपसे तथा सारे माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि संविधान की मर्यादा और गरिमा के लिये जहां आप मांग करते हैं वहां उसका आदर भी करना पड़ेगा। संवैधानिक परम्परायें हैं अवश्य। जो इस चीज की मांग करते हैं वे स्वयं जानते होंगे कि इस परिस्थिति में क्या-क्या संवैधानिक परम्परायें हैं। इसको जानने के बाद भी इस चीज की मांग करते हैं। सरकार को अधिकार है कि किसी भी कारण से वह उसके बाहर चली जाय, इस्तीफा दे दे। सरकार ने भी इसको सुन लिया। इसके बाद... (व्यवधान)

मैं वह समझता हूं कि कई काम हम कर चुके हैं, इसलिये आधा घंटे के लिये सदन को स्थगित कर देना उचित होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इसके पश्चात् सदन ३ बजकर ५ मिनट पर स्थगित हुआ और ३ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो मतगणना हुई उसके सम्बन्ध में जो कुछ हुआ वह शिरोधार्य है। केवल एक निवेदन यह करना है कि मैंने भी उस समय अपने ओर के सदस्यों को गिना था। उस समय १३२ सदस्य यहां मौजूद थे। मैं यह नहीं कहता कि यह गणना एक पक्ष की ओर से गलत हुई, लेकिन वह दोनों ओर से ही गलत हुई। मैं यह नहीं कहता कि गणना में किसकी गलती हुई और किसकी नहीं हुई, केवल यह कहना चाहता हूं कि गिनती की कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में अगर हम पार्लियामेंटरी पद्धति को अपनायें तो अच्छा होगा अथवा और कोई इस प्रकार का अच्छा तरीका हो वह भी अपनाया जा सकता है जिससे गलती न हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय गंगवार जी की बात से इस बारे में सहमत हूं कि इस प्रकार की गलती सदन में नहीं होनी चाहिये। मुझे पहली गणना का दुःख है। लेकिन दूसरी गणना के समय मैंने आपको वह याद होगा कि यह कह दिया था कि यदि कोई माननीय सदस्य लाबी में मांग करेंगे तो उनका यह अधिकार सुरक्षित रहेगा। जिसको इस प्रकार की गणना से असन्तोष है उसको पूर्ण अधिकार है कि वह कक्ष में विभाजन की मांग कर सके। लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं हुई इससे प्रत्यक्ष है कि सब सहमत थे। फिर भी पहली दफा जो गलती हुई उसका मुझे खेद है और उसका कारण यह था कि साधारणतः जो हमारे गणक थे वह दूसरी जगह काम कर रहे थे।

गंगवार जी ने एक बात कही कि पार्लियामेंट की पद्धति को यहां पर अपनाया जाय। यह निर्विवाद है कि इस मामले में हमें ज्यादा सुविधा बरतनी चाहिये। यहां भी यह अवसर पहली बार ही आया है और आगे हम लोग अधिक सतर्क इस मामले में रहेंगे। यहां तक पार्लियामेंटरी पद्धति के बारे में है, माननीय गंगवार जी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर इस प्रकार की गलती की शिकायतें बहुधा आया करती हैं। मशीन आदमी से ज्यादा गलती कर सकती है। इसीलिये उस तरीक को भी पूर्ण नहीं माना गया है। संसार के सारे देशों में इसीलिये उसका प्रचलन नहीं है। मेकेनाइज्ड वोटिंग कम देशों में है। पार्लियामेंट में जरूर है। आगे और भी सावधानी बरतेंगे तथा इस संबंध में आपके जो सुझाव होंगे आदरपूर्वक उन पर ध्यान देंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, यों तो इस वोटिंग के बाद मुझे कुछ कहना नहीं था परन्तु परम्पराओं को सामने रखते हुये और यह मानते हुये कि माननीय नेता सदन कदाचित् परम्पराओं को मानते रहे हैं और उसके पक्षपाती रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उसकी बुनियाद पर मैं कदाचित् इस अवसर पर उनसे यह निवेदन करने की धृष्टता कर सकता हूं कि सदन ने इस समय उनकी एक मेजर पालिसी जो थी, जो कानून उन्होंने बनाया था उस को स्वीकार नहीं किया और जब उनकी एक मेजर पालिसी स्वीकार नहीं हुई है तो इस सदन में जो ८–९ मास पहले परम्परा रखी थी उसको स्वीकार करते हुये उन्हें वही चीज करना चाहिये जिससे सदन ने जो पहले से मर्यादा बनाकर रखी है वह सुरक्षित रहे, मेरा मतलब यह है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिये। मैं उनका पुराना दोस्त हूं और उसके नाते उन की जो आजकल हालत है उससे मैं उनको बचाना भी चाहता हूं और उस हालत को उनकी देख कर मुझे कभी-कभी तरस आता है और इसलिये इस अवसर पर मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। इसलिये मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि उनके लिये इस तमाम मंडली से, जिसमें वह खपते नहीं हैं, उससे बचने के लिये और परम्पराओं की रक्षा करने के लिये जो मौका उन्हें आज मिला है उससे फायदा उठायें उसमें वह अपने को इस मंडली से छुटकारा दिला लें।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ता जी ने और उससे पहले के कई मेम्बरान ने जो यह मांग की, जो यह मुतालबा किया कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिये और अधिकतर लोग उधर खुशी के मारे इतने विभोर हो उठे कि मुझे यह डर था कि सारी यह डेस्कवेस्क टूट जायंगी, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जैसा आप ने खुद फरमाया कि हमारे माननीय मित्र जो उधर बैठने वाले हैं वह सब वैधानिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं उनको इतना क्रेडिट देता हूं कि वह इस बात को जानते हैं और इससे शायद इन्कार भी नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने यह समझा कि अखबारों में जोर से छपेगा कि सरकार हार गई और उससे इस्तीफे की मांग की गई लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त यह भली प्रकार जानते हैं कि संविद की जो स्ट्रेन्थ है वह १२३ से कहीं ज्यादा है और मैं भी और मेरे साथी भी सब जानते हैं कि वह १४४ से कहीं ज्यादा हैं। यह तो केवल एक स्नैप वोट था जो एक दम फौरन लिया गया है। इससे कोई कान्फिडेंस या नो-कांफिडेंस का प्रश्न हल नहीं होता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके सुनें, सदन की मर्यादा के ऐसा करना विरुद्ध है।

श्री चरण सिंह—

जहां तक गुप्ता जी का यह कहना है कि यह कोई हमारी बड़ी नीति की बात थी जिसकी कि सदन ने इजाजत नहीं दी उसके मेरे पास दो जवाब हैं। पहली बात तो यह है कि यह कोई सरकार की नीति नहीं थी और न इस आर्डिनेंस का नीति से कोई संबंध है। हरगिज नीति नहीं मानी जा सकती है। इससे भी नहीं मानी जा सकती है। हम कल फिर इन्ट्रोडक्शन के लिए लेकर आ सकते हैं। (शोर) अगर इस तरह से शोर होगा तो (पुनः शोर)...

श्री अध्यक्ष—

सदन की गरिमा इसी में है कि सदन में शांति रहे। (श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर) श्री बाबू बदरे, आप तो और अशांति कर रहे हैं। (श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) माननीय उग्रसेन जी, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन में शांति की व्यवस्था रखना हमारे कर्तव्य के अनुकूल होगा। यदि किसी माननीय सदस्य को कोई बात अनुचित लगे तो बाद में मैं उन्हें अवसर देता हूं। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहे तो उसे अधिकार है और अगर उसमें कोई औचित्य होगा तो मैं अवश्य ही आज्ञा दे दूंगा।

श्री चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी सरकार इसे इशू आफ कांफिडेंस नहीं मानती है। यह तो केवल इन्ट्रोडक्शन की बात है। यदि कोई बिल भी फेल हो जाता है तब भी यह लाजिम नहीं होता है कि सरकार इस्तीफा दे दे।

चौथी बात मैं अपने माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं और वे मुझे इसका उत्तर देंगे। अभी-अभी एक महीने की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया, लोक सभा में एक स्नैप वोटिंग (Snap Voting) में ७ वोटों से हार गयी थी लेकिन इससे उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। लिहाजा यहां पर इस्तीफा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, जो तर्क अभी माननीय नेता सदन ने दिया कि यह कोई मेजर पालिसी का विषय नहीं है और उन्होंने अभी केंद्रीय सरकार के बारे में बताया कि वह भी पार्लियामेंट में वोटों से हार गयी। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, आपके द्वारा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

माननीय मुख्य मंत्री से, कि वहां पर कोई मेजर पालिसी का विषय नहीं था। यहां पर तो एक आर्डिनेंस की बात है जिसे वे एक ऐक्ट के रूप में पास कराना चाहते हैं। जब अध्यादेश को, जो कि वर्तमान सरकार ने सदन के समक्ष विचार के लिए रखा, सदन ने उसको ओवरथ्रो कर दिया, उस पर विचार करने से भी इंकार कर दिया तो मैं यह समझता हूं कि एक मेजर क्वेश्चन आफ पालिसी है। लोक सभा में कोई अमेंडमेंट आया था जो कि कोई महत्व नहीं रखता है। वहां पर भी अगर सरकार किसी ऐसी पालिसी के मामले में हारती तो उसका भी कर्तव्य था कि इस्तीफा देना चाहिए था और इस्तीफा देकर सरकार को जो कांसीक्वन्सेज भुगतने होतीं; भुगतती यहां पर तो आर्डिनेंस का प्रश्न है जिसे सरकार ऐक्ट के रूप में बना देना चाहती है और जिस पर सदन ने विचार करने से अपनी अस्वीकृति दे दी है। तो मैं यह नहीं मानता कि इसका मुकाबला उस विषय से किया जा सकता है, जैसा कि माननीय नेता सदन ने फर्माया है।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जो विषय आज हमारे सामने है वह बहुत महत्व का है। चौधरी चरण सिंह पुराने हमारे साथी हैं और परंपराओं को ठीक-ठीक चलाने का उन्होंने हमेशा दावा किया है और अब भी वह सरकार को और पब्लिक लाइफ को साफ करने का दावा करते हैं। आज सवाल हमारे सामने प्रजातंत्र की परंपराओं का है। यह एक आर्डिनेंस का सवाल है। आर्डिनेंस कब हुआ? जब गवर्नमेंट ने यह समझा कि इतने महत्व का प्रश्न है, इतना जरूरी है, इतनी जल्दी इसको करना है कि जब तक असेंबली बैठेगी उस वक्त तक इन्तजार नहीं किया जा सकता। अगर इन्तजार किया जा सकता तो आर्डिनेंस की जरूरत नहीं थी। और किस बात के लिए एक मेम्बर जो कि डिसक्वालीफाई था नामिनेशन पेपर दाखिल करने के लिए, जज ने मुकदमा होते होते राय जाहिर कर दी कि यह गलत हुआ, उसको वैलीडेट करने के लिए एक आर्डिनेंस गलत हो गया उसको दूसरे आर्डिनेंस से वैलीडेट किया गया और वह भी आगे के लिए नहीं, बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और क्या नतीजा उसका होता है कि जो और डिसक्वालीफाई थे और समझते थे कि हम डिसक्वालीफाई थे उन्होंने नामिनेशन दाखिल नहीं किया उनको कोई राहत नहीं हो रही है...

श्री अध्यक्ष—

इसके परिणाम पर जो कुछ कहना चाहते हों, कहें।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गौतम—

जब यह बात थी कि नीति का प्रश्न नहीं है तो नीति के प्रश्न को जाहिर करने के लिए अगर मैं २, ४ मिनट ले लूं, जो कि असंगत नहीं है, तो आप मुझे क्षमा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

तो इस पर भी प्रकाश डालें जो माननीय नेता विरोधी दल ने एक मत व्यक्त किया, नेता सदन ने अपने विचार व्यक्त किये, उसके बाद संविधान के अनुसार आपकी राय में क्या स्थिति होती है।

श्री मोहनलाल गौतम—

अगर अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी हो कि मैं पहले अपनी राय दे दूं और उसके बाद बोलूं तो बात दूसरी है। लेकिन अगर लाजिकल तरीके से किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करूं तो ठीक है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

जो बातें कही जा चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, सिर्फ संकेत मात्र कर दें ।

श्री मोहनलाल गौतम---

चूंकि नीति का प्रश्न उठाया गया है इसलिए नीति का प्रश्न है कि नहीं है इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह इतने महत्व का प्रश्न है जिसके बारे में तमाम लोग परेशान हैं। हाई कोर्ट वाले समझते हैं कि सरकार ने गलती की, गवर्नमेंट सर्वेन्टस ने मुझसे कहा कि गलती की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और कमिश्नर्स ने कहा कि सरकार ने गलती की। तो यह नीति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर सरकार इसको नीति का प्रश्न नहीं समझती थी तो असेंबली का इन्तजार कर सकती थी। लेकिन यह मुनासिब नहीं समझा और असेंबली को अगर नहीं बुलाया तो उन्होंने नहीं बुलाया। इसलिए असेंबली बुला कर उसके सामने रखते तब सोचते कि नीति का प्रश्न है क नहीं। असेंबली नहीं बुलायी और आर्डिनेंस बनाया। और आर्डिनेंस क्या होता है हुजूरवाला, आर्डिनेंस के माने यह हैं कि दोनों हाउसेज ने पास पर दिया, अगर गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये। जितना यह प्रोसेजर है उसको पूरा करने के बाद तक ऐक्ट बनता है, उतना अधिकार इस आर्डिनेंस को होता है। यह है २१३।

श्री अध्यक्ष---

अभी आर्डिनेंस सदन के सामने आया नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम---

यह तो निफाज हो चुका है और इस पर अमल भी हो चुका है। आर्डिनेंस के मानी यह हैं कि वह ऐक्ट बन चुका। मैं नहीं मानता कि वह नहीं आया। लेजिस्लेचर की हैसियत से हम इसके जिम्मेदार हैं और यह लेजिस्लेचर उससे बंधा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

मेरा तात्पर्य यह है कि आर्डिनेंस का अनुमोदन अथवा अननुमोदन इस सदन के निर्णय के अनुसार मिलता है। वह अवसर अभी नहीं आया है।

श्री मोहनलाल गौतम---

हमको अपनी राय देने का अवसर नहीं आया लेकिन हमारी तरफ से अर्थात् लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से यह ऐक्ट पास हो चुका है और सरकार ने हमारी तरफ से अधिकार ले कर उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। हमारे सामने तो फार्मल सवाल आया है। गवर्नमेंट में बिना हमारी आज्ञा के आर्डिनेंस निकाला और उस पर अमल करने की जुर्रत तक की। यह दो चीजें सरकार की नीति की द्योतक हैं और सरकार ऐसी स्थिति में यह नहीं कह सकती कि वह उसकी नीति नहीं है। नीति नहीं है तो अमल क्यों कर किया ?

श्री अध्यक्ष---

अब आप अपनी राय दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम---

आप टाइम लिमिट कर दें तो मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है और अपनी समझ से मैं कोई इर्रेलेवेंट बात भी नहीं कह रहा हूं जब कि डेमोक्रेसी में इर्रेलेवेंट बातें भी कही जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—

टाइम लिमिट का सवाल नहीं है। इस समय कोई इस पर विवाद का अवसर नहीं है। मैं तो अपने अधिकार से आपके अनुभव का लाभ उठाना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—

नेता विरोधी दल द्वारा इस्तीफा मांगने पर और नेता सदन के बकौल इस्तीफा न देने की बात कहने पर आप कहें कि मौका नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर मेरी थोड़ी बात सुन लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह तो आप पर आक्षेप है।

श्री मोहनलाल गौतम—

मेरे दोस्त यह न समझें कि हम चौधरी साहब से इस्तीफा गुप्ता जी के लिए मांग रहे हैं, हम तो उन्हीं के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी यह बाअदब प्रार्थना है अपने पुराने साथी चौधरी चरण सिंह से कि वह जिन परंपराओं को ले कर सार्वजनिक जीवन को शुद्ध रखने की बात दुनिया के सामने करते रहे हैं, और मैं उसमें उनके साथ हूं, उनको देखते हुए चाहे कांस्टीट्यूशन का कोई पण्डित उनको गलत राय देकर निकलने का मौका देने की सलाह दें, चूंकि हर तरह के वकील हो सकते ह, एक गलत केस की भी पैरवी करने वाले वकील होते हैं, लेकिन मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने अपने जो आदर्श रखे हैं और जिन आदर्शों को उन्होंने सब के सामने रखने की कोशिश की है वह आज यह कहने का मौका न दें कि चौधरी चरण सिंह ने एक कानून बनाया था, उसको नाफिज कर दिया था, मगर असेंबली ने उसे रिजेक्ट कर दिया, सोच कर नहीं, बिना सोचे कह दिया कि तुम बेवकूफी की बात करते हो, हट जाओ। इसके बाद भी चौधरी चरण सिंह कहें कि यह पालिसी की बात नहीं है, बहुत ताज्जुब की बात है, सबसे पहली बात यह होगी कि चाहे गवर्नमेंट रहे या न रहे, चौधरी चरण सिंह ने जो अपनी तस्वीर जनता के सामने बनायी है वह मिट्टी हो जायगी, उस पर कीचड़ पुत जायगा और यह हो जायगा कि चौधरी चरण सिंह बातें तो लम्बी करते थे लेकिन जब पद का सवाल आया तो छोड़ा नहीं। इसलिए इतिहास में यह न लिखा जाय कि उत्तर प्रदेश का एक मुख्य मंत्री पद पर रहने के लिए गलत काम भी कर सकता था।

दूसरे मैं यह कहता हूं कि यह बड़ी पालिसी का मामला है। इस पर गवर्नमेंट को जाना चाहिये, चौधरी चरण सिंह को जाना चाहिये। स्नैप वोट तब होता है जब क्लाजेज का डिस्कशन हो रहा है और उस वक्त लोग खाना खाने गये हों, गपशप कर रहे हों, तब अगर कोई स्नैप वोट हो जाय तो दूसरी बात है। आज पहला मौका था, आर्डिनेंसेज पेश होने वाले थे, हर एक को मालूम था, पांच दिन के लिए असेंबली बुलायी है...

श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन के अन्दर मतदान पर एक स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें विरोधी दल के नेता ने एक प्रस्ताव रखा और सदन के नेता ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। तो इस समय क्या सदन को इस बात पर बहस कर के कोई फैसला करना है या आपको कोई रूलिंग देनी है जिस पर यह वाद-विवाद हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक तौर पर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए और आगे का काम चलाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि सरकार का बहुमत नहीं रहा है तो बाकायदा अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लायें (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सहदेव सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें कोई महत्व मुझे नहीं दिखायी पड़ता है इसलिए कि एक विशेष परिस्थिति सामने है और उस विशेष परस्थिति में एक मर्यादित रूप में अगर चलने में सहयोग दें—मैं यह कह चुका हूं स्वयं कि कोई बाकायदा वाद-विवाद नहीं हो रहा है, न उसका अवसर है, न उसका अधिकार है लेकिन कुछ बातें अगर सदन के सामने आ जायं तो उस पर आपत्ति करना और देर लगाना है। तो कृपा कर के मैं सब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, विनम्र याचना करूंगा कि कृपा कर के शांत रहें। अगर कोई माननीय सदस्य ऐसी बात कहें जो अरुचिकर हो तो उसमें सब लोग न बोलने लगें।

श्री मोहनलाल गौतम—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं समय न लूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरा यह अनुरोध है कि आप कम से कम समय लें।

श्री मोहनलाल गौतम—

श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि यह बड़ी नीति का प्रश्न है। एक ऐक्ट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ताकत लेकर दोनों सदनों को बलाये ताक रख कर .....

श्री अध्यक्ष—

यह आप कह चुके हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—

जी हां, कांक्लूड करना चाहता हूं। आर्डिनेंस बनाकर गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। जहां तक ऐक्ट की बात थी उसको सदन ने विचार करने से इंकार कर दिया और उसको पेश करने की इजाजत नहीं दी। इस पर नेता सदन को इतना समय नहीं लेना चाहिये था जितना उन्होंने लिया। जैसे माननीय गुप्ता जी ने बगैर दोस्तों की सलाह, विद्वानों की सलाह के और लीगल सलाह के ही ऐलान कर दिया था कि हम इस्तीफा देते हैं, चौधरी साहब की भी इसमें ही शान ऊंची होती यदि वे आध घंटे पहले, जिस समय हाउस एडर्जन हुआ था, उस समय यदि ऐलान कर गये होते। उन्होंने विद्वानों से सलाह करके रास्ता निकालने की कोशिश की है यह परम्परा के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में परम्परा की रक्षा के लिये, चौधरी साहब की इज्जत के लिये और उनकी इमेज कायम रखने के लिये चौधरी साहब बिना सोचे-समझे फौरन इस्तीफा दें।

(श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात साफ कर लूं। सवाल यह है कि एक स्थिति आई उसमें माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही, उस पर माननीय नेता सदन ने कहा और उसके बाद एक माननीय वरिष्ठ सदस्य भी बहस कर चुके हैं तो कहां तक इस पर वाद-विवाद हो।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मुश्किल यह है कि माननीय नेता सदन ने एक टैक्टिस अपनाई है कि रूल्स को गलत इंटरप्रेट करना और सलाह देना। उन्होंने कुछ बातें सदन में कही हैं और जितनी बातें कही हैं, उनमें एक आध बात सही है कि आपने माना कि आप वोटिंग में हार गये। इसके अलावा पहली बात उन्होंने यह कही कि आज हमारा बिल पास नहीं हो सका तो इसमें क्या बड़ी बात है। कल हम इसको ले आयेंगे। श्री जेनिंग्स ने अपनी किताब में लिखा है हिन्दुस्तान के गांव

[श्री हेमवती बहुगुणा]

पंचायतों का उदाहरण देकर केबिनेट की रिस्पांसिबिलिटी की चर्चा की है। चौधरी साहब इतनी हल्की बात कहकर गड़बड़ न करें। मैं नियम १११ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रस्ताव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

पृष्ठ ४८ पर नियम १७३ को पढ़ें। वह इससे सम्बन्धित है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, आप जरा देख लें, ऐसा विधेयक उस सत्र के लिये सदन में लम्बित विधेयकों की पंजी में से निकाल दिया जायेगा। बात हमारी सही है कि यह विधेयक जो आज पेश हुआ था वह इस सत्र के लिये गया और माननीय चौधरी साहब की जो सूरत और इमेज है वह भी चली गई। एक बात और कह दूं कि इसमें चला गया जन संघ का वह मेम्बर। इसमें कई स्वाहा हो गये। ओ३म् स्वाहा हो गया वह जनसंघ का सदस्य।

श्री चरण सिंह—

बहुत ही प्रेम उमड़ आया मेरे लिए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब और हमारे प्रेम की गाथा बहुत पुरातन है। उन के कमरे में बैठ कर हमने कितनी ही बार सलाह बनायी। चौधरी साहब की अध्यक्षता में न मालूम कितनी-कितनी बातों पर फैसला लिया और चौधरी साहब सलाह देते रहे। यह बात जरूर है कि कुछ दिनों से उनका प्रेम धुंधला पड़ गया था। आज सवेरे अखबार में पढ़ा तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने प्रेस वालों से कहा कि मैं दुनिया में सबसे दुखी आदमी हूं। मैं उनको अपनी पूरी सहानुभूति और प्रेम अर्पित करता हूं, उनको उनके दुख से उभारना चाहता हूं।

हमारा नियम है जिसके अन्तर्गत यह विधेयक इस सत्र में आ नहीं सकता। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि इस विधेयक के साथ-साथ जन संघ के मेम्बर का चुनाव भी चला गया, जिस को बचाना चाहते थे, क्योंकि यह सत्र तो चला गया। चौधरी साहब कांस्टीट्यूशन के कान मरोड़ते जायं, जैसे धोबी अपने गदहे के कान मरोड़ता है तो दूसरी बात है। वह उस पर लादी भी रखता है और खुद भी सवार हो जाता है। मुझे आशा है कि वह कांस्टीटयूशन पर लादी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक का नीति से सम्बन्ध नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गयी। खुद चौधरी साहब ने संसदीय परम्पराओं की बात कहते हुये एक वरिष्ट आदमी से कहा कि क्या ब्रिटेन की चर्चा करते हैं? क्या वह बातें हिन्दुस्तान में हैं जो वहां हैं? एक डिप्टी मिनिस्टर के मोटर को एक आदमी लेकर चला गया जिसके पास लाइसेंस नहीं था। जब मालूम हुआ तो इस उप मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसी तरह से जिस तरह से माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने उस दिन पहली अप्रैल को किया, एक परम्परा डाली। उस परम्परा की स्याही कागज पर सूखने भी न पायी थी कि सरदार गुरुनाम सिंह ने पंजाब विधान सभा में उसको सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस परम्परा बनाती है। पर उसका सत्यानाश करने वाले भी मौजूद हैं। स्पष्ट है कि सरकार को सतर्क रहना चाहिये। कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था। गुप्ता जी भी कह सकते थे कि "मुझे मालूम नहीं था कि चौधरी साहब नाराज हैं, उन को कोई चिट्ठी नहीं आयी, मुझे मालूम नहीं था कि चौधरी साहब जायेंगे, मुझे मालूम नहीं था कि चौधरी साहब १४ आदमियों के साथ जायेंगे, मुझे मालूम नहीं था कि तीन बजे जायेंगे और ठीक वोटिंग के समय जायेंगे, यह भी मालुम न था इस लिए कल तक का समय चाहते हैं।" पर मुख्य मन्त्री की कुर्सी बड़ी प्यारी चीज है। लेकिन उस से भी प्यारी चौधरी साहब की वे सेवायें हैं जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के राजनीतिक जीवन में उन्होंने की हैं। वह अपने इतिहास के चेहरे पर रोशनी भी लगा सकते हैं और स्याही भी लगा सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि उस पर रोशनी लगाएं, स्याही न लगायें।

श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन—(व्यवधान)। श्रीमन्, मेरी मजबूरी यह है कि मुझ बोलने नहीं देंगे। मैं कह चुका हूं कि यह मेरी कुर्सी का असर है जब वे यहां थे तो बराबर चुप रहते थे। तो जादू वह जो सर पे चढ़ के बोले। (व्यवधान) जो अभी झटके का वोट हुआ उस पर नेता विरोधी दल ने (व्यवधान) अभी जो झटके का वोट हुआ, उस पर नेता विरोधी दल ने यह कहा कि यह नीतियों का प्रश्न है और इन नीतियों के प्रश्न को चौधरी साहब ने रखा था, सदन ने उसको नहीं रखने दिया, नहीं पास होने दिया, इस लिए नेता सदन इस्तीफा दे दें। गुप्ता जी ने अपना जो वकील किया, उन्होंने अपना बहुत बुरा वकील चुना गौतम जी को, वह मेरे साथ भी दो साल वकालत किये लेकिन बाद में मेरे साथ गद्दारी करके चले गये।

(गद्दारी शब्द पर आपत्ति और व्यवधान)

अगर आप लोगों को एतराज है तो मैं वापस लेता हूं उसे, वह धोखा देकर चले गये।

श्री मोहनलाल गौतम—

श्रीमन्, मेरा नाम लेकर २-३ बार कुछ कहा गया है, मुझे इनको खत्म करने के बाद मौका देने का कष्ट करें कि जिससे म उनकी बात का जवाब दे सकूं।

श्री अध्यक्ष—

अब तो उन्होंने इसको वापस ले लिया है।

श्री उग्र सेन—

तो जो वकालत किया करते थे वह जरा मुलाहजा फरमायें। उन्होंने यह कहा कि विधेयक में यह है, आर्डिनेंस में यह है, आर्डिनेंस निकल गया तो नीतियों की बात इसमें कहां है यह हमें वह बतायें। मैं कहना चाहता हूं कि एक मुद्दे पर एक आर्डिनेंस निकला उस आर्डिनेंस में कौन सी नीति हो गयी। गौतम जी का कहना कि यह काम खराब हो गया, बहुत खराब हो गया आप ठीक कहते हैं अब आप उसे अच्छा बना लीजियेगा। आप कहते हैं कि चौधरी साहब बड़े अच्छे आदमी ह जरूर इस्तीफा देंगे। अरे, वह ऐसे बदमाश आदमियों को इस्तीफा देंगे, मैं कहता हूं कि वह नहीं दे सकते, उन्हें देना भी नहीं चाहिये, भले ही कहीं इस्तीफा फेंक दें पर उन्हें बैलों की जोड़ी के हाथ में इस्तीफा नहीं देना चाहिये। कितना ही करें आप लखनऊ की गोमती को गंगा नहीं बना सकते। कुछ भी होगा, झगड़ा होगा, लेकिन ये बैलों की जोड़ी इधर नहीं कतई आ सकती।

श्री मोहनलाल गौतम—

मैं उन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो उग्रसेन जी ने कहे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार बात करता है। गद्दारी करना, लफ्फाजी करना, धोखा देना, आदि शब्दों का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया—

श्री अध्यक्ष—

ये शब्द तो उन्होंने वापस ले लिये हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---

क्या इस तरह से कह कर इस प्रकार के अभद्र शब्द वापस हो जाते हैं ? मान लिया कहने से उनके वापस हो गये, फिर भी मैं उन के दिमाग की सफाई के लिए यह कहना चाहता हूं कि जिससे दुबारा उन्हें न तो कहने का मौका मिले और न उन्हें वापस लने का मौका आये। उन्होंने इस प्रकार क शब्द कई बार कहे हैं। इसलिए मैं बिना किसी कड़ुवाहट क ५-७ मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं कि क्या वाकया था, और किसने गद्दारी की है।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस बात के लिए इतना समय नहीं दे सकता।

श्री मोहनलाल गौतम--

अध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने दो तीन बार रिपीट करने के बाद वापस लिया . . .

श्री अध्यक्ष---

आप जरा मेरी बात तो सुन लें। बैठिये। माननीय उग्रसेन जी ने जिन शब्दों में कहा था और जैसा आप ने कहा मैं उसको दोहराना तो नहीं चाहता लेकिन वह शब्द अनुचित थे और जैसे ही आपने कहा उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने किसी वाकये का जिक्र नहीं किया इसलिए आप की तरफ से भी यह सब कहना अनुचित होगा। अगर वह किसी वाकये का जिक्र करते तो आप उसकी तफसील में जाते। उन्होंने कहा एक गलत बात और वापस ले लिया, मैं उनसे कहने वाला ही था उन्होंने वापस ले लिया। अगर कोई गलत और अशोभनीय बातों को कहे और कहने के बाद मालूम होने पर फौरन् वापस ले ले तो बात समाप्त हो गयी। अगर कह दिया तो वापस लेने के सिवा कोई उपाय भी नहीं है। अब मैं आप को केवल इतना कहने की अनुमति दे सकता हूं कि वह बात ठीक नहीं थी, लेकिन अगर आप विस्तार में जायें और घटना का जिक्र करें तो उसकी इजाजत नहीं हो सकती।

श्री चन्द्र शेखर (जिला वाराणसी)---

एक मिनट में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रशेखर---

आपने उनको भी रोका था लेकिन वह कहते चले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसको रोक रहा हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---

पहले उन्होंने यह कहा था गद्दारी करके चले गये और बाद में उसे वापस ले कर यह कह दिया कि धोखा देकर चले गये। अगर इस तरीके से वापस लेने का तरीका आप मजूर कर लेते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आप की रूलिंग के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि गद्दारी करके या धोखा देकर जो उन्होंने कहा था उससे शायद उनका मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी और सोशलिज्म को कायम करने के लिए बनी थी उससे था। लेकिन मैं कहता हूं कि वह लोग जो कांग्रेस को छोड़कर चले गये थे उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया, सोशलिज्म को कमजोर किया।

श्री अध्यक्ष--

आप इस मामले में आगे न कहें। प्रश्न यह है कि हम किस नतीजे पर आ रहे हैं कि प्रस्ताव के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त कर दिये। जब सारे विचार व्यक्त हो गये तो अब मेरे अधिकार में या इस सदन के अधिकार में है सरकार को हटाना नहीं है। आपको अपनी-अपनी राय देने का अधिकार है। आपने अपनी राय व्यक्त कर दी है। अब कई महत्ववपूर्ण कार्य हैं, कई विषयों पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं, इसलिए अब बाकी कार्य करने दीजिये।

श्री नवल किशोर--

मैं यह अर्ज कर रहा था कि अभी आपने फरमाया...

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपाकर के इस बात को कहिये कि आगे क्या हो, अब मैं इस पर बहस नहीं चाहता। अब अगर आपका कोई सुझाव इस प्रस्ताव के बारे में हो...

श्री नवल किशोर--

वही कहना चाहता हूं।

श्री चन्द्र शेखर--

आपको अभी वही व्यवस्था हो गयी है कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे। अब अगर आप इनको इजाजत देते हैं तो मुझे भी हक है कि मैं भी बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर सुझाव देने का मौका आपको भी न देता तो आप भी नहीं बोल सकते थे। मेरा ऐसा निर्णय है कि इस पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सुझाव हो तो वह मुझे दे दें ताकि आगे का काम चल सके।

श्री नवल किशोर--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने यह फरमाया नेता विरोधी दल ने एक बात कही और नेता सदन ने उसका जवाब दे दिया। यह आपके तय करने की बात नहीं है। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने वैधानिक और संसदीय परम्परा की बात यहां पर बता दी। हम लोग यह महसूस करते हैं कि इसमें कोई चौधरी साहब की चवायस का प्रश्न नहीं है। इस गवर्नमेंट ने इस हाउस में अपना कान्फिडेंस खो दिया है। मेरा अब यह कहना है कि इस हाउस की कार्यवाही जाब्ते से आगे चल नहीं सकती है। चौधरी साहब इस्तीफा अब दें या न दें उनके सोचने की अब यह बात नहीं है। सवाल यह है कि जब एक छोटा सा प्रस्ताव यहां पेश हुआ और उस पर वोट हो गया, मैं उसको स्नैपिंग वोट नहीं मानता हूं। मैं यह समझता हूं कि वह एक प्रोसीजर के अन्दर वोटिंग हुआ है। इसको वह स्नैपिंग वोट कहकर इसके महत्व को घटा नहीं सकते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि १२३ वोट से हमारे ज्यादा हैं और इधर के १४४ से ज्यादा हैं। नेता विरोधी दल ने इस संख्या को कोई चुनौती नहीं दी। यही कहा कि चौधरी साहब इस्तीफा दे दें। अब आगे यह काम गवर्नर साहब का होगा कि वह किसको मंत्रिमन्डल बनाने के लिए कहें। सवाल यह है कि हाउस से जो उन्होंने अनुज्ञा मांगी और जिसके लिए उन्हें विरोधीदल ने चार्ज किया था कि पावर का एबयूज किया, हाउस ने न पास करके उसको सेन्सर किया है। मेरा कहना यह है कि अब वैधानिक सरकार यहां पर एक्जिस्ट नहीं करती है। जब सरकार एक्जिस्ट नहीं करती है तो उस हाउस में कोई काम हो नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह एक गम्भीर प्रश्न है जो अभी माननीय नवल किशोर ने कहा कि अब इस सदन का काम आगे नहीं चल सकता है। तो फिर इस के लिए मुझको यह अधिकार है कि अगर संसदीय परम्पराओं का कोई इतना हनन करता है तो मैं हाउस को स्थगित कर दूं। आगे प्रदेश और देश की जनता इसका निर्णायक होगी और वह अपना मत बतायेगी। राज्यपाल को अधिकार है कि संविधान के अनुसार जो वह उचित समझे करे, लेकिन यदि बरबस यह प्रयास हो कि हाउस का कार्य नहीं चलेगा, तो फिर मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता और न मैं आपको ओब्लाइज करूंगा कि आप इसमें व्यवधान डालें।

श्री चन्द्र शेखर—

इस अनुता के प्रश्न पर नेता सदन और नेता विरोधी दल ने अपनी अपनी बातें कहीं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वैधानिक स्थिति तो नहीं है कि यह सरकार इस्तीफा दे लेकिन नैतिक तकाजा है कि यह सरकार इस्तीफा दे तो अनैतिकता के आंचल में मुंह छिपाने वाले कैसे नैतिकता की सलाह दे सकते हैं!

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह सम्भव है कि हमारे मित्र जो भाषण कर रहे हैं, उनको गलत बात कहने की अनुज्ञा दी जा सके? कभी विरोधी दल के नेता ने यह नहीं कहा कि यह नैतिक तकाजा है कि वह इस्तीफा दें?

श्री अध्यक्ष—

यदि कोई माननीय सदस्य भूमिका बांधते समय कोई बात कहता है तो उसकी अधूरी बात पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है। उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री चन्द्र शेखर—

यहां पर नैतिक प्रश्न उठाया गया। बहुगुणा जी ने कहा कि यह नैतिक तकाजा है कि चौधरी साहब इस्तीफा दें। इस नैतिक तकाजे की दुहाई देने वालों को अपनी दिल्ली की सरकार की ओर देखना चाहिये। वह दिल्ली की सरकार से कहें कि वह इस्तीफा दे, क्योंकि पिछले सत्र में दिल्ली की सरकार ७ वोट से हार गई थी लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। तो मुझे कहना है कि श्री बहुगुणा जैसे लोगों की सरकार, जो नैतिकता के दर्पण में निरन्तर दर्शन करते हैं वह सलाह दें कि यह सरकार इस्तीफा दे तो आश्चर्य होता है।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, बैलट में इस सरकार का उम्मीदवार हार चुका है। हमारे उम्मीदवार श्री गौरीशंकर राय ११ वोट से जीत गये हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि इस समय सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस नये हालात में चौधरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि वह अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जिस तरह की स्थितियां सदन के सामने आयीं उसमें कुछ उद्विग्नता भी होती है, कुछ जोश भी होता है, लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जब कोई जोश या खुशी की बात हो तभी आपके संयम की परीक्षा होती है। इसलिये प्रार्थना है कि आप थोड़ा संयम से काम लें।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

११ वोटों से उनका उम्मीदवार हार चुका है वह किस तरह से यहां बैठे हुए हैं ? उनमें शर्म हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान तथा सदन में हो रहे शोर को देखते हुए) तो माननीय नेकराम जी का प्रस्ताव है कि सदन को इस समय स्थगित कर दिया जाय। इसलिए मैं ५ बजे तक के लिये हाउस को स्थगित करता हूं। ५ बजे हम फिर बैठेंगे।

(इस समय ४ बजकर ३४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ५ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(विरोधी दल के सदस्य खड़े हो गये। आवाजें—चौधरी चरण सिंह वापस जाओ, इस्तीफा दो !!)

श्री अध्यक्ष—

आप संविधान की मर्यादा की रक्षा करें। मैं माननीय बहुगुणा जी से खास तौर से प्रार्थना करता हूं कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ जानकारी की है। वह इसी विषय में कुछ कहने जा रहे हैं। आप कृपा करके बैठा दें।

(विरोधी दल के सदस्यों ने स्थान ग्रहण किया।)

मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस्तीफे की मांग करते हैं तो यह समझ कर करते हैं कि उससे संविधान की रक्षा होती है। लेकिन अगर आप यह मांग करते हैं तो स्वयं भी संविधान की मर्यादा को रखें।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ बात हुई। वह कुछ कहने के लिये खड़े हो रहे थे, उसका अवसर दें।

श्री नेकराम शर्मा—

प्वाइन्ट आफ आर्डर, ५ बज चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। माननीय मुख्य मंत्री, आप कुछ कहने जा रहे थे ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, मैं कुछ अर्ज करने जा रहा था, लेकिन जैसा मेरे माननीय दोस्तों का दृष्टिकोण है, मैं अब इस बात को नहीं कहना चाहता और मैं दरख्वास्त करूंगा कि कल तक हाउस को ऐडजर्न कर दें और तब यह बजट पेश हो जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय अध्यक्ष, चौधरी चरण सिंह जब तक रहेंगे इस सरकार में हम कोई बजट पेश करने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आज का सदन मैं स्थगित करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रार्थना करने पर और कल ११ बजे हम मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ दिसम्बर, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

केराकत तहसील में ऋण संबंधी सूचना

	पम्पिंग सेट	नलकूप
१—१९६६–६७ में काश्तकारों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र ..	२०८	६
२—पम्पिंग सेट नलकूपों की संख्या जिन के लिये—		
(क) १९६६–६७ में ऋण दिया गया ..	१६७	२
(ख) १९६७–६८ में ऋण दिया गया ..	१०	१
३—पम्पिंग सेट नलकूपों की संख्या जिन पर अभी तक ऋण नहीं दिया जा सका	३१	३

बिजली के कनेक्शन संबंधी सूचना

१—१९६६–६७ में कृषकों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र ..	१७०	..
२—पम्पिंग सेट नलकूपों की संख्या जिनको—		
(क) १९६६–६७ में बिजली दी गई ..	१०९	..
(ख) १९६७–६८ में बिजली दी गई ..	३०	..
३—पम्पिंग सेटों नलकूपों की संख्या जिनको बिजली नहीं दी जा सकी	३१	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६ पर)

मांगों की सूची

(१) १ अप्रैल, १९६६ से १० रु० प्रतिमाह के हिसाब से अन्तरिम सहायता का भुगतान तथा २२ फरवरी, १९६६ के शासनादेश के अनुसार देय और महापालिका द्वारा दी गई अन्तरिम सहायता के अन्तर का भुगतान किया जाये ।	(१) शासकीय आदेश सं० ९२५एन/९ ए-८२जी/१६४ दिनांक ११-३-६५ द्वारा शासन ने शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया है कि वे बिना शासन की सहायता की अपेक्षा किये अपने कोष से ५ रु० से १० रु० तक की अन्तरिम सहायता अपन कमचारियों को दे सकती है, इस शर्त पर कि वे इस व्यय को वहन करने में समर्थ हों । तत्पश्चात् दिनांक २२-२-६६ के शासनादेश द्वारा १० रु० मासिक की और अन्तरिम सहायता देन क आदेश प्रसारित किये गये । प्रशासक न सूचित किया कि धनाभाव के कारण कर्मचारियों को शासकीय आदेश दिनांक ११-३-६५ के अनुसार केवल ५ रु० दिया गया । भूतपूव प्रशासक के आदेशानुसार ५ रु० की वृद्धि १-११-६६ से और की गई थी । इस प्रकार केवल १० रु० प्रतिमाह अन्तरिम सहायता के रूप में दिया गया ।
(२) वेतन आयोग गठित कर वेतन-क्रम पुनरीक्षित किये जायें अथवा राज्य कर्मचारियों के समान वेतन-क्रम महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते १-४-६७ से दिये जायें ।	(२) नगर महापालिकाओं को स्थापना के पश्चात् कमचारियों के वेतन-क्रम तीन बार पुनरीक्षित किये गये हैं । कतिपय कर्मचारियों के वेतन क्रम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा आज्ञा, १९६५ द्वारा रिवाइज किय गय तथा बढ़ाये गये। तत्पश्चात्, १५० रु० मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रम नगर पालिका (ग) विभाग के शा० आ० सं० ३९९२/११ग-२३-२-६६ दिनांक १८-१०-६६ में रिवाइज किये गये । १५० रु० से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रम पुन -स्वा० शा० (क) विभाग के शासकीय आदेश संख्या ७८८१/ए-जी-१९६७, दिनांक २२-२-६७ में रिवाइज किये गये । सरकार का यह प्रयास रहा है कि यथा सम्भव महापालिका के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण हो । ऐसी दशा में वेतन आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है ।
(३) जिन कर्मचारियों ने तीन वर्ष से अधिक अवाधित सेवा की है उन्हें स्थायी घोषित किया जाय ।	(३) इस प्रकार का कोई प्राविधान नियमों तथा आदेशों में नहीं है । अतः इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता । कर्मचारियों का

स्थायीकरण स्थायीपद खाली होने या सृजित किये जाने पर विहित रीति से किया जाता है।

(४) १-४-६७ से १५ रु० मासिक मकान किराया भत्ता दिया जाय अथवा भूमि तथा ऋण गृह निर्माण हेतु दिया जाय।

(४) सेवा नियमावली के नियम ५१ के अधीन कतिपय कर्मचारियों को कुछ खास परिस्थितियों में निःशुल्क मकान या उसके बदले मकान किराया निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर दिया जाता है। इससे अधिक सुविधा देना इस समय संभव नहीं है।

(५) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ५०-२-८० रु० का वेतन क्रम दिया जाय।

(५) इस मांग को मानना सम्भव नहीं है।

(६) प्रशासक तथा उप-प्रशासक नगर महापालिका इलाहाबाद का स्थानातन्तरण किया जाय।

(६) कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है मांग निरर्थक है।

(७) नगर महापालिका, इलाहाबाद आगरा, वाराणसी और कानपुर में कर्मचारियों की छंटनी रोकी जाय।

(७) नगर महापालिका में छंटनी के बारे में कोई सूचना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मांग का उद्देश्य यह है कि उन कर्मचारियों की छंटनी जो केन्द्रीयत सेवा में नियुक्ति हेतु अयोग्य सिद्ध हुये हैं रोकी जायें। ये नियुक्तियां नियमों के अधीन की जा रही हैं और अयोग्य कर्मचारियों की छंटनी अवश्यम्भावी है। छंटनी किये गये कर्मचारियों को कथित नियमों के अन्तर्गत कतिपय सुविधायें एवं मुआवजा देय है।

(८) अवकाश ग्रहण की आयु घटाकर ५५ वर्ष कर दी जाय।

(८) अवकाश ग्रहण की आयु घटाने की मांग मानना सम्भव नहीं है।

(९) महापालिका के कर्मचारियों को भी उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो सुविधायें प्राप्त हैं मिलना चाहिये।

(९) इन्डस्ट्रियल डिस्पयूट्स ऐक्ट के उपबन्ध उन औद्योगिक संस्थानों में जो महापालिका द्वारा चलाये जाते हैं काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। अन्य कर्मचारियों पर यह कानून लगाया जाना सम्भव नहीं है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

मुरादाबाद जिले में गल्ले की खरीद के लिये नियुक्त किये गये एजेन्टों की सूची

नाम सेन्टर		नाम एजेन्ट
मुरादाबाद	..	जिला सहकारी संघ, मुरादाबाद
भूंढा पांडे	..	मेसर्स मुरारी लाल हरी शंकर
भोजपुर	..	मेसर्स राम किशन इन्द्र कुमार
बिलारी	..	मेसर्स राम कुमार जानकी प्रसाद
सम्भल	..	मेसर्स हर चरन दास ओम प्रकाश
बहजोई	..	सहकारी क्रय विक्रय समिति, बहजोई
अमरोहा	..	क्रय विक्रय सोसाइटी, अमरोहा
जोया	..	फर्म राधे श्याम नन्द किशोर, अमरोहा
कांठ	..	मेसर्स चुन्नी लाल प्रशादी लाल
हसनपुर	..	रघुवीर सहाय रामेश्वर प्रसाद
घनौरा	..	सहकारी क्रय विक्रय समिति, घनौरा
ठाकुरद्वारा	..	मेसर्स शिवशंकर छोटे लाल
जटपुरा	..	मेसर्स शिवशंकर छोटे लाल
दहगा	..	श्यामसिंह पुत्र श्री परम सिंह
ताहरपुर	..	घासी पुत्र छोटे नि०, ताहरपुर
गजरौला	..	विशम्भर दयाल, विनोद कुमार
नौगांवां सादात	..	नागरमल, टेक चन्द
कुन्दर की	..	कमल कुमार जैन
चन्दौसी	..	क्रय-विक्रय समिति, चन्दौसी
उझारी	..	राम नरायन, सत्य प्रकाश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७४ तथा ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४६ पर)

प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर—

जिला झाँसी में २ अप्रैल, १९६७ से ३० मई, १९६७ तक निम्नलिखित व्यक्तियों की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कैंसिल की गई :

१—श्री सरजू प्रसाद पालर २—श्री दया राम पालर, ३—श्री नारायण दास बिस्वारी, मऊरानीपुर ४—श्री गोटी राम, धवाकर ५—श्री कैलाश नारायण, मियांपुर दुकानदारों द्वारा गल्ले का सही ढंग से वितरण न करने, जनता के प्रति दुर्व्यवहार करने, जांच के समय बिक्री रजिस्टर आदि न दिखलाने, मूल्य तथा स्टाक रजिस्टर में अत्यधिक कटिंग करने, सरकारी गोदामों से ठीक समय पर खाद्यान्नों के न लाने आदि के कारण, उपर्युक्त सस्ते गल्ले की दुकानें कैंसिल की गई। उनके स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों / सहकारी संस्थाओं को नई दुकानें एलाट की गई :

१—श्री राम स्वरूप गुप्ता, पालर २—जिला सहकारी विकास संघ, मऊरानीपुर ३—सहकारी संघ, धवाकर।

प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर—

झाँसी जिले की जिला खाद्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हैं :

१—जिलाधीश, झांसी	अध्यक्ष
२—डा० सुशीला नय्यर, सदस्या, लोकसभा ..	सदस्या
३—श्री उदित नारायण शर्मा, विधायक एवं राजस्व मंत्री ..	सदस्य
४—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा ..	,,
५—श्री बिहारी लाल वशिष्ट, सदस्य, विधान परिषद् ..	,,
६—श्रीमती शान्ता बाई खेर, सदस्या, विधान परिषद् ..	सदस्या
७—श्रीमती बेनी बाई सदस्या विधान सभा	,,
८—श्री अयोध्या प्रसाद, सदस्य, विधानसभा	सदस्य
९—श्री रघुनाथ सिंह .. ,, ..	,,
१०—श्री कन्हैया लाल माते	,,
११—डा० गोविन्द दास रिछारिया, अध्यक्ष, जिला परिषद् ..	,,
१२—श्री भगवान दास साहू, अध्यक्ष, नगर पालिका ..	,,
१३—श्री काशी प्रसाद द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी	,,
१४—श्री रघुराजसिंह, एडवोकेट, जन कांग्रेस	,,
१५—श्री विश्वनाथ सिंह, जन संघ	,,
१६—श्री चन्दन सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी	,,
१७—श्री बीर सिंह भदौरिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ..	,,
१८—श्री दयाल सतीश्वर सक्सेना, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ..	,,
१९—श्री राम स्वरूप गुप्ता, रिपब्लिकन पार्टी ..	,,
२०—श्री शेख हाजी नजीर खाँ, सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के प्रतिनिधि	,,
२१—जिला पूर्ति अधिकारी	सचिव

२६ मई, १९६७ को उपयुक्त समिति की एक बैठक हुई और माह अप्रैल तथा जून, १९६७ में कोई बैठक नहीं हुई।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ १५० पर)

कृषकों के धान की खरीदारी की रूपरेखा तथा खरीदारी के मूल्य

जिन उत्पादकों ने एक तहसील में ३ १/८ एकड़ के अधिक क्षेत्रफल पर १३७५ फसली में जड़हन और अगहनी धान अर्थात् रोपा हुआ तथा नवम्बर और दिसम्बर में कटने वाला धान उगाया है उनसे लेवी द्वारा धान की खरीदारी की जायेगी। लेवी की दर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की गयी है।

	लेवी की दर
(१) ३ १/८ एक एकड़ से ऊपर ५ एकड़ तक ..	उगाही वाले धान के समस्त क्षेत्रफल पर १ क्विंटल प्रति एकड़।
(२) ५ एकड़ से ७ १/२ एकड़ तक ..	प्रथम ५ एकड़ के लिए ५ क्विंटल और ५ एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर १.५ क्विंटल प्रति एकड़।
(३) ७ १/२ एकड़ से १० एकड़ तक ..	प्रथम ७ १/२ एकड़ के लिये ८.७५ क्विंटल और ७ १/२ एकड़ से अधिक क्षेत्रफल २ क्विंटल प्रति एकड़।
(४) १० एकड़ के ऊपर ..	प्रथम १० एकड़ पर १३.७५ क्विंटल और १० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर २.५ क्विंटल प्रति एकड़।

२—विभिन्न श्रेणियों के धान की खरीदारी के मूल्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये हैं :—

	(मूल्य प्रति क्विंटल रु० में)
धान श्रेणी १ स्पेशल	७२.००
धान श्रेणी १	६६.००
धान श्रेणी २	६०.००
धान श्रेणी ३	५६.२५
धान श्रेणी ४	५०.००
धान श्रेणी ५	४७.५०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

विधान सभा के सातवें सोमवार के लिये पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९५–९६ से संबंधित तालिका

बिस्कुट डबल रोटी वाले

क्रम-संख्या	स्थान	नाम	निर्धारित मात्रा	मैदा मात्रा जो दी जा रही है	निर्धारित मात्रा	शक्कर मात्रा जो दी जा रही है	कोटा कब से मिल रहा है		अन्य विवरण
							मैदा	शक्कर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	बलरामपुर	श्री अब्दुल समी	१२ बोरा	३ बोरा	४ कु०	२५ किलो	१९–३–६४	२२–७–६३	
२	,,	श्री अली सेर खां	१० ,,	३ ,,	३ ,,	३६ ,,	,,	४–७–६३	
३	,,	श्री अब्दुल रफी	१५ ,,	१० ,,	४ ,,	१ कु०	,,	,,	
४	,,	श्री छोट्न खां	१० ,,	३ ,,	३ ,,	२५ किलो	,,	,,	
५	,,	श्री राम प्रसाद	८ ,,	३ ,,	५ ,,	३६ ,,	२८–३–६४	,,	
६	,,	श्री अब्दुल हफीज	८ ,,	४ ,,	२ ,,	३[illegible] ,,	१९–२–६५	,,	
७	,,	श्री आविद अली	१ ,,	४० किलो	३० किलो	७-५०० किलो	२०–८–६५	,,	
८	,,	श्री बद्री प्रसाद	५ ,,	२ बोरा	१ कु०	२२ किलो	१५–११–६५	,,	
९	,,	श्री मु० सिद्दीक	१० ,,	३ ,,	३ ,,	२५ ,,	२८–४–६५	,,	
१०	,,	श्री पीरू	४ ,,	२ ,,	७५ किलो	१८-५०० ,,	१५–११–६५	,,	
११	,,	श्री सईद अहमद	२ ,,	१ ,,	३५ ,,	८-५०० ,,	१५-१०–६५	,,	
१२	,,	श्री अब्दुल गफ्फार	४ ,,	२ ,,	१ कु०	२२ किलो	२–२–६६	,,	
१३	,,	श्री संगम लाल	३ ,,	१ ,,	१ ,,	२५ ,,	१५–११–६५	,,	
१४	तुलसीपुर	श्री अवधबिहारी	८ ,,	१ ,,	३५ ,,	८-५०० किलो	२८–१२–६५	२९-११-६५	
१५	,,	श्री अब्दुल कादिर	३ ,,	२ ,,	१ कु०	२५ किलो	११–३–६६	११–३–६६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	स्थान	नाम	निर्धारित मात्रा	मैदा मात्रा जो दी जा रही है	निर्धारित मात्रा	शक्कर मात्रा जो दी जा रही है	कोटा कब से मिल रहा है मैदा	शक्कर	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१६	महराजगंज	..	..	..	..	..	..	..	..
१७	करनलगंज	श्री राधेश्याम	२ ,,	२ ,,	३५ किलो	८-५०० किलो	१३-३-६४	११-९-६३	
१८	,,	श्री सुन्दर लाल	२ ,,	२ ,,	७५ किलो	१८-५०० ,,	१३-३-६४	,,	
१९	,,	श्री असगर बली	३ ,,	३ ,,	५० ,,	१२-५००	,,		
२०	,,	श्री मुहम्मद युसुक	५ ,,	३ ,,	७५ ,,	१८-५००	,,	,,	
२१	,,	श्री राम नरायन	३ ,,	३ ,,	३५ ,,	८-५०० ,,	,,	,,	
२२	,,	श्रीमती श्याम सुन्दरी	२ ,,	२ ,,	३५ ,,	८-५०० ,,	,,	,,	
२३	,,	श्री जगन्नाथ	२ ,,	२ ,,	३५ ,,	८-५००			
२४	,,	श्री शकूर अहमद	३ ,,	३ ,,	३५	८-५००		,	
२५	,,	श्री बजरंगी लाल	२ ,,	२ ,,	३५ ,,	८-५०० ,,	,,	,,	
२६	,,	मेंहदी हसन	४ ,,	२ ,,	१ कु०	२५ किलो	१७-५-६६	१७-५-६६	
				लेमन जूस बनाने वाले					
१	बलरामपुर	श्री सेयन दास	..	..	५ कु०	१-२५ किलो	..	१८-७-६३	
२	,,	श्री पीसू मल	..	..	६ कु०	१-५० ,,	..	,,	
३	,,	श्री करतार सिंह	..	..	५ ,,	१-२५	..	२ -८-६६	
४	तुलसीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
५	महराजगंज	..	..	..	..	..	..	..	..
६	करनलगंज	श्री सत्य नरायन	..	..	३५ किलो	५५ किलो ८-५००	..	२१-९-६३	
७	,,	श्री राम दास	..	..	३५ ,,	८-५००	..	,,	
८	,,	श्री गोपाल मोहन शर्मा	..	..	३५ ,,	८-५००	..	२२-१०-[illegible]५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

नाम कर्मचारी व पद	वेतन भुगतान न होने की अवधि	भुगतान की तिथि	
	विकास खंड छिवरामऊ		
१—श्रीमती सत्यवती ग्रा० से०	१—७—६६ से ३१—८—६६ तक	..	अवकाश अवधि का वेतन शेष है। अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद द्वारा उप निदेशिका, हरिजन, एवं क०, उ० प्र० से आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।
	विकास खंड उर्मदा		
२—श्रीमती मुन्नी देवी स० वि० अ० (म)	अक्टूबर, ६४ से सितम्बर, ६५ तक	२८-११-६७	सेवा पुस्तिका देर से प्राप्त होने, प्रिआडिट सम्बन्धी महाआंकिक उ० प्र० की स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ। अब भुगतान किया जा चुका है।
३—श्रीमती सुदामा देवी ग्राम सेविका	नवम्बर, १९६६	६—९—६७	स्थानान्तरण पर चार्ज न देने के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ। अब भुगतान किया जा चुका है।
४—श्री कुंवर बहादुर सिंह ग्राम सेवक	१४—१०—६६ से ३१—१०—६६ तक	१५—७—६७	अवकाश स्वीकृत कराये जाने में विलम्ब हुआ अब अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
	विकास खंड राजेपुर		
५—श्रीमती रामदर्शनी स० वि० अ० (म)	जून ६५ से नवम्बर ६६ तक	..	क्रमांक ५ से ८ तक के कर्मचारियों का नए वेतन क्रम में निर्धारण विलम्ब से कराए जाने के कारण पुराने वेतन क्रम से नए वेतन क्रम का अवशेष वेतन समय से नहीं दिया जा सका। अब वेतन बिल बनाकर प्रिआडिट सम्बधी स्वीकृत प्राप्त करने हेतु महाआंकिक उ० प्र०, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर
६—श्री वी० के० श्रीवास्तव बी० ए० एस०	११—१०—६५ से ३०—११—६६ तक	..	
७—श्री सोने लाल शर्मा ग्राम सेवक	अप्रैल ६५ से नवम्बर ६५ तक	..	
८—श्री भजन लाल पत्रवाहक	अप्रैल, ६५ से फरवरी, ६६ तक	..	

नाम कर्मचारी व पद	वेतन भुगतान न होने की अवधि		भुगतान की तिथि
			अवशेषों का भुगतान करवा दिया जावेगा ।
९—श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव स० वि० अ० (कृषि)	नवम्बर, ६६ से अगस्त ६७ तक	..	श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव इस अवधि में निलम्बित कर दिये गए थे तथा उनके विरुद्ध प्रशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ । प्रशासनात्मक कार्यवाही के निर्णय के पश्चात् भुगतान कर दिया जावेगा ।
विकास खण्ड मोहम्मदाबाद			
१०—श्री राजबहादुर उपाध्याय स० वि० अ० (कृषि)	१०—४—६५ से ११—४—६५ तक १०—८—६५ से ३१—८—६५ तक १—८—६६ से ३१—८—६६ तक	..	भुगतान कानपुर जनपद से होना है जिसके सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी मोहम्दाबाद द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है । विकास खंड मोहम्दाबाद में स० वि० अ० (कृषि) का पद इस अवधि में रिक्त न रहने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । खंड विकास अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार जिला कृषि अधिकारी फर्रूखाबाद से किया जा रहा है कि वह किसी अन्य विकास खंड से वेतन निकाले जाने सम्बन्धी आदेश किये जाने का कष्ट करें ।
११—श्री नत्थू सिंह राठौर ग्राम सेवक	१—[illegible]—६६ से ३१—[illegible]—६६ तक	..	विकास खंड मोहम्दाबाद में ग्राम सेवक का पद रिक्त न रहने के कारण इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका । अब विकास खंड कन्नौज से अवशेष वेतन भुगतान कराये जाने के लिये पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।
१२—श्री राम नारायण श्रीवास्तव, ग्राम सेवक	१—४—६६ से ३०—४—६६ तक	..	भुगतान गोंडा जनपद से होना है, जिसके सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद द्वारा पत्र-व्यवहार किया जा रहा ।

नाम कर्मचारी का पद	वेतन भुगतान न होने की अवधि	भुगतान की तिथि	
१३—श्रीमती कुन्ती बाजपेई ग्राम सेविका	१—३—६७ से ३१—३—६७ तक	..	भुगतान गोरखपुर जनपद से होना है। खंड विकास अधिकारी मोहम्दाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक पत्र व्यवहार किया जा रहा है।
विकास खंड, शमशाबाद			
१४—श्रीमती नन्दरानी, ग्राम सेविका	१—४—६६ से १७—४—६६ क	..	बिल प्रिआडिट सम्बन्धी स्वीकृति हेतु महांप्रांकिक, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते विशेष वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा।
१५—श्रीमती कमलेशकेशरी, ग्राम सेविका	१—६—६५ से २४—८—६५ तक	..	बिल प्रिआडिट सम्बन्धी स्वीकृति हेतु महाप्रांकिक, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेज दिया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा।
१६—श्री सियाराम यादव, ग्राम सेवक	१—४—६५ से ३०—४—६५ तक	..	वेतन विर्धारण सम्बन्धी पत्र व्यवहार खंड विकास अधिकारी कायमगंज से किया जा रहा है। नए वेतन क्रम में वेतन निर्धारण पश्चात् अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा।
विकासखंड, कन्नौज			
१ —श्रीमती सुभद्रा रघुवंशी, ग्राम सेविका	जुलाई, ६५ से दिसम्बर, ६५ तक	..	वेतन निर्धारण सम्बन्धी पत्र व्यवहार खंड विकास अधिकारी कन्नौज व जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी फर्रूखाबाद द्वारा किया जा रहा है। नए वेतन-क्रम में वेतन निर्धारण हो जाने पर अवशेष वेतन का भुगतान करवा दिया जावेगा।

जयराम वर्मा

विकास मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे १५७ पर)

गोरखपुर जिले में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पेयजल योजनायें विचाराधीन हैं:—

१—रामनगर ग्राम समूह

२ · फंसार व टांडा ग्राम समूह

३—सिधवापुर व खाँडसारी ग्राम समूह

४—पटना ग्राम समूह।

इसके अतिरिक्त गोरखपुर जिले में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पेयजल योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं:—

१—गोला जल वितरण योजना

२—पिपराइच ,, ,,

३—नौतनवा ,, ,,

४—चारगांव ,, ,,

५—फरेंदा ब्लाक ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६७ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६७

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत के संविधान" क अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २० अक्टूबर, १६९७ को प्रचारित किया और दिनांक २० अक्टूबर, १६९७ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।)

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यातित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ (क) खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १६९७ कहलायेगा।

परिभाषाएं

२—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में—

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पद्धारी को दैनिक-भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का सम्पादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते न तो उन दरों से अधिक हों और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनाये गये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों,

(ख) 'परिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हो या न हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों,

(ग) 'अपरिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी परिनियत निकाय से भिन्न व्यक्तियों के निकाय से है;

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे।

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हों, उसके धारक को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायगा, अर्थात्—

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद ,

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, १९४८, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, १९४८ या रिजर्व ऐंड आग्जीलियरी ऐयर फोर्सेज ऐक्ट, १९५२ के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद, ऐक्ट संख्या ३१, १९४८ ऐक्ट संख्या ५६, १९४८, ऐक्ट संख्या ६२, १९५२

(ग) जब कि संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अधीन आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद;

(घ) उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३ के अधीन संघटित होम गार्डों के किसी सदस्य का पद, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९६३

(ङ०) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मंडल या शिष्ट मंडल के सदस्य का पद;

(ज) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गयी किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(झ) रिप्रिजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५१ की धारा १० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खंड (ज) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो; ऐक्ट संख्या ४३, १९५१

(ञ) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खाता सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो,

ऐक्ट संख्या १०, १९२०

(ट) इंडियन सिक्यूरिटीज ऐक्ट, १९२० में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय,

(ठ) संविधान के अनुच्छेद ३१-क के खंड (१) के उपखंड (ख) के अधीन बनाई गयी विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित किया गया हो,

(ड) कोई पद जो किसी विशेष कर्त्तव्य का पालन करने के लिये पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न पारिश्रमिक का हकदार न हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय ।

४—निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:— निरसन

यू० पी० ऐक्ट संख्या ७, १९४०

(१) दि यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन्स ऐक्ट, १९४०;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५०

(२) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारक) अधिनियम!

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५१

(३) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५१;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ४, १९५२

(४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १३, १९५२

(५) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२;

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५३

(६) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३;

उ० प्र० अधिनियम संख्या २३, १९५४

(७) उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५४;

(८) उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम १९५५;	उ० प्र० अधिनिम संख्या १६, १९५५
(९) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५६;	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३५, १९५६
(१०) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६;	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हुआ

हमारे राज्य में विधान मंडल के सदस्यों के विषय में अनर्हता निवारण संबंधी १० अधिनियम प्रचलित थे। एक ही विषय के संबंध में १० अधिनियम होने से सबसे बड़ी असुविधा यह जानने में होती थी कि कौन सा अधिनियम किस व्यक्ति के संबंध में लागू होता है और उनमें आपस में कहीं असम्बद्धता तो नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लाभप्रद विधेयक संयुक्त समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में जो दिनांक २९ जुलाई, १९६४ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार कर यह सिफारिश की थी कि इस राज्य में भी केंद्र की भाँति एक विशद् विधायन बनाया जाय जिसमें अनर्हता के संबंध में पूरा विवरण दिया जाय। उक्त संयुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इस विशद् विधायन को अनुदर्शी प्रभाव (रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट) दिया जाय। लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति की उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार करके एक विशद् विधायन बनाने का निश्चय किया गया ताकि हमारे राज्य में भी अब तक चलित १० अधिनियमों की आवश्यकता न रह जाये। ऐसा ज्ञात हुआ है कि यद्यपि संसद का सदस्य होने के लिये संसद ने होम गार्डों की अनर्हतता निवारण कर रखी है और कई अन्य प्रदेशों में भी उनकी अनर्हता से निवारण किया जा चुका है, इसलिये साथ ही साथ यह भी निश्चय किया गया कि होम गार्डों की अनर्हता निवारण का भी स्पष्ट प्राविधान कर लिया जाय। चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और इस विषय में अधिक विलम्ब करना उचित नहीं समझा गया, इसलिये दिनांक २० अक्टूबर, १९६७ को उत्तर प्रदेश राज्य मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६७) प्रख्यापित किया गया।

श्यामलाल यादव,
न्याय एवं सूचना मंत्री

संसदीय प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६८ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, १९६७

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६७]

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक ८ नवम्बर, १९६७ को प्रचारित किया था और दिनांक ८ नवम्बर, १९६७ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७ को आगे आये प्रयोजनों के हेतु संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं—

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(२) यह, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७ के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६७

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७ की धारा ३ में— — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६७ की धारा ३ का संशोधन

(१) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्

"(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद",

(२) खंड (ङ) के अन्त में आये हुए पूर्ण-विराम के स्थान पर सेमीकोलन रखा दिया जाये और उक्त खंड के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(ढ) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२७—ख के अधीन नियुक्त कोई पैनेल का वकील भी है) यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से संबोधित किया जाय, के लिये हकदार नहीं है, — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

(ण) लेख्य-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा न्याय परामर्शक का पद, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी आदाता अथवा सरकारी परिसमापक नहीं है।"

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लाभ पद विषयक संयुक्त समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के अनुसरण में इस राज्य में अनर्हता निवारण संबंधी पहिले प्रचलित १० अधिनियमों को निरस्त कर एक विशुद्ध विधायन-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता) निवारण अध्यादेश, १९६७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६७) दिनांक २० अक्टूबर, १९६७ को प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश की धारा ३ (ग) के अनुसार उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३ के अधीन संघठित होम गार्डों के किसी सदस्य का पद ऐसा पद घोषित किया गया था जिसके धारक को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बन रहने के लिये अनर्ह करने वाला नहीं समझा जायेगा। परन्तु अभी १९६३ के उक्त अधिनियम के अधीन न तो आवश्यक नियम बने हैं और न ही उसके पूर्व संगठित होम गार्डों को इस अधिनियम के अनुसार विधिवत् रूप से नियुक्त किया गया है। अतएव, यह प्राविधान करना आवश्यक हो गया कि होम गार्ड संगठन के अन्तर्गत किसी पदधारी को अनर्हता से मुक्त किया जाय चाहे वह संगठन किसी विधि के, अथवा शासकीय आदेशों के, अन्तर्गत बनाया गया हो।

२—उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १,१९६७ में उन वकीलों के संबंध में भी कोई प्राविधान नहीं था जिनके नाम किसी पेनल में शासकीय आदेश द्वारा रखे जाते हैं। ऐसे पेनल के वकीलों को कोई वेतन या भत्ता या रिटेनर आदि नहीं मिलता है। जब कभी कोई मुकदमा उनके सुपुर्द किया जाता है तब उनको केवल उसकी फीस अथवा दैनिक फीस दी जाती है। ऐसे वकीलों को अपनी निजी प्रैक्टिस करने की भी छूट रहती है। अतः यह समझा गया कि पेनल में नाम लिखाने से कोई वकील राज्य के अधीन लाभ पद का धारक नहीं होता। किन्तु हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय में यह माना गया है कि पेनल के वकीलों को भी अनर्ह समझा जायगा। अतएव, यह भी आवश्यक समझा गया कि इस पद के संबंध में सभी संशय दूर किये जावें और पेनल में वकीलों की नियुक्ति होने से वे राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अनर्ह न समझे जावें।

३—इसी प्रकार संदेह के निवारण के लिये यह भी आवश्यक समझा गया कि लेख्य प्रमाणक या शपथ अधिकारी या किसी न्यायालय या कलेक्टरी द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा न्याय परामर्शक (किन्तु सरकारी आदाता अथवा सरकारी परिसमापक नहीं) को अनर्हता से विधि द्वारा मुक्त किया जाय।

४—चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और अनर्हता से मुक्ति देने के निश्चय होने पर यह उचित ही था कि उसका लाभ तुरन्त जो भी संबंधित मुक्ति हो उन्हें दिया जाय क्योंकि उपनिर्वाचन भी होने वाले थे, इसलिये तुरन्त उपरोक्त प्राविधान करना आवश्यक हो गया था। तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३,१९६७) दिनांक ८ नवम्बर, १९६७ को प्रख्यापित किया गया जो उसी दिनांक से लागू हुआ समझा जायेगा जिस दिनांक से उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६७ प्रख्यापित हुआ था।

श्याम लाल यादव,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६८ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६७)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २७ नवम्बर, १६९७ को प्रचारित किया और दिनांक २७ नवम्बर, १९६७ को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १६४८ ई० को संशोधित करने के लिए

अध्यादेश]

चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ कहलायेगा

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९४८ ई० में नयी धारा ४—ख का बढ़ाया जाना

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४— क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कुछ निर्माताओं को विशेष छूट

"४-ख—(१) धारा ३, ३—क, ३—कक और ३—घ में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि धारा ३—घ के अधीन कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय तो उक्त धारा के अधीन अपने प्रथम क्रय के विक्रय-धन पर कर का देनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके संबंध में उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो तो वह ऐसे माल के संबंध में, ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त कर दिया जायगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय,

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को बेचा जाय और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में उपधारा (२)—क के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है,

तो बिक्रेता व्यापारी ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा कर से मुक्त कर दिया जायगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञापित किया जाय।

(२) कोई व्यापारी जिससे उत्तर प्रदेश में कोई विज्ञापित माल निर्माण करने के प्रयोजन से उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई माल कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिये अपेक्षित हो और ऐसे विज्ञापित माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बेचने का अभिप्राय हो, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, उसके सम्बन्ध में मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये कर निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि प्रार्थी उन अपेक्षाओं तथा शर्तों को, जो नियत की जायें, पूरा करता हो तो कर निर्धारक अधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यापारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं, मान्यता का प्रमाण-पत्र देगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी व्यापारी द्वारा विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों को भी ऐसे विज्ञापित माल का कच्चा माल समझा जायगा,

(ख) "विज्ञापित माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाय।

(३) यदि कर निर्धारक अधिकारी को राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त के रूप में या ऐसे प्रमाण-पत्र को प्रभावी बनाये रखने के लिए शर्त के रूप में, समय-समय पर जो आवश्यक हो, ऐसी अपेक्षा आरोपित कर सकता है कि व्यापारी मान्यता के प्रमाण-पत्र की शर्तों का उचित रूप से अनुपालन करने के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा जो वह निर्दिष्ट करे।

(४) (१) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यापारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था —

(क) उस प्रयोजन के लिए जिसके निमित्त मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया था, निर्माण-कार्य बन्द कर दिया है; या

(ख) मान्यता के प्रमाण-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया है, या

(ग) उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(घ) वह ऐसा फर्म, संघ या संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसके सम्बन्ध में धारा १८ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण के अर्थ में यह समझा जाय कि उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया है,

तो ऐसा अधिकारी, या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, मान्यता का प्रमाण-पत्र ऐसे दिनांक से जो वह निर्दिष्ट करें, रद्द कर सकता है।

(२) कर निर्धारक अधिकारी उपधारा (२) के अधीन दिये गये मान्यता के प्रमाण-पत्र को या तो स्वतः अथवा व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, जब व्यापारी ने अपने व्यवसाय-स्थान के नाम में परिवर्तन कर दिया हो अथवा व्यवसाय की किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नयी शाखा खोल ली हो अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से, संशोधित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता का प्रमाण-पत्र न तो रद्द किया जायगा और न संशोधित किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

(५) यदि किसी व्यापारी ने जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, रियायती दरों पर माल खरीदने के पश्चात् या उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए कर का भुगतान किये बिना माल का उपयोग किया हो अथवा उक्त माल का निस्तारण अन्य रूप से कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप उस धनराशि का देनदार होगा जो—

(क) यदि रियायती दर पर माल खरीदा जाय तो, ऐसे माल की खरीद या बिक्री पर धारा ३, धारा ३-क, धारा-३-कक, या धार ३-घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि के और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर से कम न हो, और

(ख) यदि बिना कर दिये माल खरीदा जाय तो, धारा ३ धारा ३—क, धारा ३—कक, या धारा ३—घ के अधीन जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि से कम न हो,

किन्तु ऐसे अन्तर के या कर की धनराशि के, जैसी भी दशा हो, तीन गुने से अधिक न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई दण्ड आरोपित नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह भी है कि उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में, जिनके लिए इस उपधारा के अधीन आरोपित दण्ड का भुगतान देय कर के अतिरिक्त कर दिया गया हो, धारा १४ के अधीन कोई अभियोग नहीं चलाया जायगा।

(६) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (२) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, उत्तर प्रदेश राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में भारत से निर्यात करने के दौरान में विज्ञापित माल न बेचकर अन्यथा बेचा हो अथवा ऐसे माल को राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान में या भारत से निर्यात करने के दौरान में बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप न भेजकर अन्यथा भेजा हो, तो ऐसा व्यापारी उस धनराशि का देनदार होगा जो, यदि रियायती दर पर माल खरीदा जाय, ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक, या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर की धनराशि और इस धारा के अधीन रियायती दर पर देय कर की धनराशि के अन्तर के अथवा, यदि माल बिना कर खरीदा जाय, धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक, या धारा ३—घ के अधीन, जैसी भी दशा हो, देय कर के, बराबर हो।"

धारा ८-क का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ८-क में, उपधारा (६) के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा के विरुद्ध धारा ९ के अधीन अपील की जा सकेगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि अपील सुनने वाले अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर आज्ञा तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर किन्तु प्रतिभूति दे देने के पश्चात् पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है जो ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे।"

धारा ९ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ९ में--

(क) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा १५--क के अधीन अर्थ-दण्ड लगाने वाली आज्ञा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"धारा ४-ख की उपधारा (५) के अधीन या धारा १३-क के अधीन अथवा धारा १५-क के अधीन अर्थ-दण्ड लगाने वाली आज्ञा या धारा ४-ख की उपधारा (३) के अधीन अथवा धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा या धारा ४-ख की उपधारा (४) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा।"

(ख) उपधारा (३) में, खण्ड (घ) के उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित दो नये उपखण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्--

"(१-क) धारा ४-ख की उपधारा (३) के अधीन या धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन प्रतिभूति मांगने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं, या

(१-ख) धारा ४-ख की उपधारा (४) के अधीन किसी मान्यता के प्रमाण-पत्र को रद्द करने या उसमें संशोधन करने की आज्ञा का समर्थन कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें परिष्कार कर सकते हैं, या"।

धारा १० का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

धारा १३ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा १३ में--

(क) उपधारा (२) में शब्द "अधिकारियों द्वारा" और शब्द "निरीक्षण के लिए" के बीच में शब्द "जो कर निर्धारक अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो," रख दिये जायें,

(ख) उपधारा (३) में कामा तथा शब्द ,"जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant sales Tax Officer) या उससे निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो" निकाल दिये जायें, और

(ग) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित दो नयी उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

"(४–क) उपधारा (२) के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को—

(१) किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम यान-पात्र, गाड़ी या ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में पाये गये किसी सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को, जिसके लिए उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख्य रक्खे हैं अथवा उसके अन्दर हैं, यदि ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र , गाड़ी या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे या वहां उपलब्ध न हो अथवा जब उससे खोलने को कहा जाय तो उसे न खोले अथवा खोलने से इन्कार करे, मुहरबन्द करने का अधिकार होगा

(२) यदि ऐसा स्वामी या अन्य व्यक्ति ,जिसके अध्यासन या प्रभार में कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी अथवा कार्यालय, दुकान गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में पाये गये सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र हो, उपस्थित हो और समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् वह ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र, गाड़ी या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को न खोले तो, उसे तोड़ कर खोल सकता है और उसम पाये गय सामान तथा लेख्यों की एक सूची तैयार करेग ।

(४–ख) उपधारा (४–क) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है।"

नयी धारा ३-क का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अभिग्रहण तथा जब्त करने का अधिकार

"१३–क—(१) धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा—

(१) जो किसी व्यापारी के कार्यालय, दुकान, गोदाम, गाड़ी, यान-पात्र या किसी भवन में या स्थान पर पाया जाय, या

(२) जिसके सम्बन्ध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि माल व्यापारी का है और जो उसके कार्यालय, दुकान गोदाम, गाड़ी या यान-पात्र अथवा किसी भवन में या स्थान पर पाया जाय,

किन्तु जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान में रक्खे गये लेखों, रजिस्टरों, या अन्य लेख्यों में न रक्खा गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहीत सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जायगी और उस पर उक्त अधिकारी तथा दो सम्मानित साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा।

(२) कोई माल जो उपधारा (१) के अधीन अभिग्रहीत किया जाय उसे ऐसे दण्ड का भुगतान करने पर छोड़ दिया जायगा जो ऐसे अधिकारी द्वारा उस माल के संबंध में देय अनुमानित कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो,

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई दण्ड तब तक आरोपित नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

(३) उपधारा (१) के अधीन अभिगृहीत माल ऐसे अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है यदि व्यापारी, नियत अवधि के भीतर, उसे छुड़ा न ले या उसके सम्बन्ध में आरोपित दण्ड का भुगतान न कर दे।"

धारा १४ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १४ में—

(क) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए, धारा ८—क के अधीन और उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे,"

(२) शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायें;

(३) इस उपधारा के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित इस उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, न्यूनतम दण्ड जो दिया जायगा वह अर्थ-दण्ड के रूप में ५०० रुपये की धनराशि या अपराध के अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी कम हो, होगी।"

(ख) उपधारा (२) में—

(१) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित दो नये खण्ड बढ़ा दिये जाय, अर्थात्—

"(कक) धारा ४—ख के अधीन रियायती दर पर या कर दिये बिना खरीदे गये किसी माल का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए करें अथवा ऐसे माल का अन्यथा निस्तारण करे;

(ककक) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने विक्रय धन की विवरणी बिना पर्याप्त कारण के प्रस्तुत न करे अथवा पहले या विवरणी के साथ जैसा कि धारा ७ की उपधारा (१) में व्यवस्थित है, कर जमा न करे; या"

(२) शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायें, और

(३) इस उपधारा के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् इस उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि द्वितीय या अनुवर्ती बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर न्यूनतम दण्ड जो दिया जायगा वह तीन माह की अवधि के लिए साधारण कारावास होगा।"

धारा १५ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १५—क की उपधारा (५) निकाल दी जाय।

विधान सभा पुस्तकालय

परिस्थितियां जिनके कारण उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६७) जारी करके उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

बिक्री-कर प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अर्थोपाय ढूंढ़ने तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट और उसके अधीन बने नियमों में ऐसे अन्य परिवर्तन करने के उद्देश्य से जिनके द्वारा राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना कार्य का शीघ्रता के साथ निस्तारण हो सके, जुलाई, १९६२ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश बिक्री-कर समिति की नियुक्ति की थी जिसने फरवरी, १९६५ में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों को शासन ने सामान्य रूप से स्वीकार करके यह निर्णय लिया था कि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक बिक्री-कर संशोधन विधेयक बनाया जाय। व्यापक बिक्री-कर विधेयक में अधिनियम के लगभग प्रत्येक खण्ड में संशोधन करने का प्राविधान है जिसके फलस्वरूप नियमों, आदेशों तथा विज्ञप्तियों आदि में भी संशोधन करना होगा। इस विधेयक को विधान मण्डल में प्रस्तुत करने में काफी समय लगने की सम्भावना है। इस बीच कानून की कमियों के कारण होने वाले कर अपवंचन की रोकथाम किया जाना राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रत्यावश्यक था। इसी प्रकार प्रदेश के उद्योगों को बिक्री-कर के मामले में रियायत दिया जाना भी आवश्यक था ताकि प्रदेश के उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ में कतिपय संशोधन किया जाना अत्यावश्यक हो गया था और चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था इसलिए २७ नवम्बर, ६७ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ प्रख्यापित करके उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:—

१—उत्तर प्रदेश में उत्पादकों को प्रदेश के अन्दर कच्चा माल खरीदने के लिए पूरा बिक्री-कर देना पड़ता है और बनी हुई चीज पर फिर से पूरा कर देना पड़ता है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में निर्मित माल की कीमत बहुत बढ़ जाती है और यहां के व्यापारी अन्य प्रदेशों के उत्पादकों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते। इससे प्रदेश के उद्योगीकरण में रुकावट पड़ रही है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बिक्री-कर समिति ने सिफारिश की थी कि अधिनियम में संशोधन करके ऐसा प्राविधान कर दिया जाय ताकि शासन विशिष्ट उद्योगों में प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल और सामान पर रियायती दर पर कर लगा सके। तदनुसार अधिनियम में नयी धारा ४—ख जोड़ दी गई है। इसके अन्तर्गत अब उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को कच्चे माल पर रियायत दी जा सकेगी।

२—अभी तक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारियों से उनके पंजीकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा ८—क (६) के अन्तर्गत प्रतिभूति मांगे जाने से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध अपील की व्यवस्था नहीं थी और व्यापारियों को पुनरीक्षण दायर करना पड़ता था। धारा ८ (६) में संशोधन कर के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है। इसके साथ ही उक्त धारा में से वह प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया है। जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को व्यापारी से प्रतिभूति मांगने के लिए बिक्री-कर आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक थी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बिक्री-कर आयुक्त की स्वीकृति मिलने में बहुधा विलम्ब होने के कारण व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन दिये जान में विलम्ब होता था।

३—इस अध्यादेश के द्वारा अधिनियम की अन्य धाराओं में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप धारा ९ में कतिपय संशोधन किये जाने आवश्यक हो गये थे। अतः इस धारा में उचित संशोधन कर दिये गये हैं।

४—अभी तक अपीलीय प्राधिकारी न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहते थे। अन्य सभी राज्यों में तथा आय-कर विभाग में स्थिति यह है कि पहली अपील विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनी जाती है और उन पर विभाग के प्रशासकीय अध्यक्ष का ही नियंत्रण होता है। वे कहीं भी किसी अन्यत्र स्वतंत्र अधिकारी के निरीक्षण तथा नियंत्रण में नहीं होते। इस राज्य सरकार को भी कुछ समय से यह अनुभव हो रहा था कि अपीलीय प्राधिकारी बिक्री-कर आयुक्त के अधीन न होने

के कारण अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे। इस सम्बन्ध में बिक्री-कर सलाहकार समिति ने भी यही मत प्रकट किया था कि अपीलीय प्राधिकारियों को बिक्री-कर आयुक्त के अधीन रक्खा जाय। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) जिसके अन्तगत अपीलीय प्राधिकारी न्यायाधीश (पुनरीक्षण) के निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहते थे, निकाल दी गई है। अब अपीलीय प्राधिकारी प्रशासकीय रूप से आयुक्त बिक्री-कर के निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहेंगे।

५—यद्यपि सहायक बिक्री-कर अधिकारी को कर निर्धारण करने के अधिकार प्राप्त हैं अधिनियम की धारा १३ क अन्तर्गत व्यापारियों के हिसाब-किताब आदि की जांच करने तथा उनको मुहरबन्द करने का अधिकार सहायक बिक्री-कर अधिकारी को नहीं था। इसका परिणाम यह होता था कि यदि य अधिकारी सवक्षण करते समय कभी दोहरे खाते या कर अपवंचन से सम्बन्धित कोई कागज पा भी जात थे तो उन्हें ऐसे कागज अपने कब्जे में लेन का अधिकार नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए धारा १३ में संशोधन कर क सहायक बिक्री-कर अ कारियों को भी उक्त अधिकार दे दिये गये हैं।

६—इसी प्रकार धारा १३ (४) में यद्यपि अधिकारी को उस स्थान पर जहां खाते रक्खे हों घुसने और तलाशी लेने का अधिकार दिया गया था, उन्हें यह अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया था कि वह ऐसे स्थान पर जाकर किसी आलमारी, तिजोरी, दुकान या गोदाम आदि का ताला तोड़कर उसे देख सक। इससे कर अपवंचक पूरा-पूरा फायदा उठा रहे थे। इसी कमी को दूर करने के लिए धारा १३ (४) में संशोधन कर दिया गया है।

७—बिक्री-कर अधिकारियों को ऐसा माल पकड़ने का कोई अधिकार नहीं था जिसके बारे में उन्हें सन्देह हो कि वह खातों में नहीं दिखाया गया है तथा उस पर कर की चोरी की जा रही है। इस स्थिति का भी व्यापारीगण काफी फायदा उठा रहे थे। अतः राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नयी धारा १३–क जोड़ दी गई है जिस में बिक्री-कर अधिकारियों को उपरोक्त स्थिति में माल पकड़ने के अधिकार दिये गये हैं। इस धारा में यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि पकड़ा गया माल व्यापारी द्वारा दण्ड का भुगतान करने पर वापस कर दिया जायगा। दण्ड की अधिकतम सीमा पकड़े गये माल पर देय अनुमानित कर की धनराशि की तीन गुनी निर्धारित की गई है। यह भी प्राविधान किया गया है कि वह व्यापारी निर्धारित अवधि के भीतर दण्ड की धनराशि जमा करके पकड़ा गया माल नहीं छुड़ाता तो वह माल जब्त कर लिया जायगा।

८—अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत दण्ड के प्राविधान उतने निरोधक नहीं थे जैसा कि करापवंचन रोकने के लिए आवश्यक हैं। फलस्रूप व्यापारी बावजूद इन प्राविधानों के लाखों रुपये का करापवंचन करने में सफल हो गये हैं। अतः धारा १४ (१) में दिये गये १ हजार रुपये तक के अर्थदण्ड की सीमा को बढ़ा कर २ हजार रुपये तथा धारा १४ (२) म दिये गये कारावास की अवधि को ६ मास से बढ़ाकर १ साल कर दिया गया है। यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि धारा १४ (१) में उल्लिखित अनियमितताएं दूसरी बार या इससे अधिक बार करने पर कम से कम ५०० रु० (या टैक्स की रकम जो भी कम हो) अर्थदण्ड देना होगा और धारा १४(२) में उल्लिखित अनियमितताएं दुबारा या इससे अधिक बार करन पर कम से कम तीन मास का कारावास का दण्ड लगाया जा सकेगा।

९—धारा १५–क की उपधारा (५) में यह प्राविधान था कि कोई कर निर्धारक प्राधिकारी उक्त धारा की उपधारा (१) में उल्लिखित चूकों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि वह आयुक्त बिक्री-कर की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ले। चूंकि अर्थदण्ड सम्बन्धी सभी आदेशों की अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होती है जिनको अब बिक्री-कर आयुक्त के निरीक्षण व नियंत्रण में रख दिया गया है। अतः यह उचित न होता कि आयुक्त बिक्री-कर क अनुमति से लगाये गये अर्थदण्ड के विरुद्ध अपील उनके अधीनस्थ प्राधिकारी सुने। तदनुसार उपरोक्त उप-धारा निकाल दी गई है और अब कर निर्धारक प्राधिकारी को ही यह अधिकार दे दिये गये हैं कि वह जब उचित समझे अर्थदण्ड लगा सकें।

रामस्वरूप वर्मा,
वित्त मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६९ पर)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६७

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९६७ को प्रचारित किया और दिनांक १२ दिसम्बर, १९६७ को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ को आगे आये हुए प्रयोजन के निमित्त और संशोधित करने के लिये,

अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

संक्षिप्त नाम

१—यह अध्यादेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९६५ की धारा ४ का संशोधन

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ४ में उप-धारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा रख दी जाय, अर्थात—

यू० पी० अधिनियम सं० ८, १९२६

"(६) उपधारा (१) से (३) तक में, या उपधारा (३) के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति म, अथवा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आपथलमोलाजी एन्ड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध रहा समझा जायगा और सदैव से सम्बद्ध रहा समझा जायगा।"

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ जारी करना आवश्यक था।

मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की इच्छा के अनुसार यह आवश्यक समझा गया कि नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आपथलमोलाजी, सीतापुर को पूर्वगामी प्रभाव से आगरा विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्ध किया जाय और उसके लिए कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ को संशोधित किया जाय। चूंकि विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था और १९६८ की परीक्षाओं को समय में कर सकने के हेतु आवश्यक परिवर्तन तुरन्त होना था अतः १२ दिसम्बर, १९६७ को कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ प्रख्यापित किया गया।

राम प्रकाश,
उप-मुख्य मन्त्री।

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७२ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ में किये गये शाब्दिक संशोधन की प्रतिलिपि

"विधेयक के खण्ड २ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "छः सौ" के बाद कोष्ठक के भीतर शब्द "रुपये बढ़ा दिया गया है।"

संसदीय प्रतिष्ठान सचिवालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८० पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ और बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अठ्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८ की धारा ३५-ए का संशोधन

२—कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८, जिसे आगे उक्त कोड कहा गया है, की धारा ३५-ए की वर्तमान उक्त धारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"(१) यदि किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई निष्पादन कार्यवाही भी है किन्तु कोई अपील नहीं है, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई दावा या प्रतिवाद अथवा उसका कोई भाग उस पक्ष की जानकारी में जिसके द्वारा वह प्रस्तुत किया गया हो, झूठा या क्षोभकारी है, और यदि ऐसा दावा या प्रतिवाद पूर्णतया अथवा अंशतः अस्वीकार कर दिया जाय, परित्यक्त कर दिया जाय अथवा वापस ले लिया जाय, न्यायालय उस दावे या प्रतिवाद को झूठा या क्षोभकारी ठहराने के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उस पक्ष को जिसके विरुद्ध और उस पक्ष द्वारा जिसने ऐसा दावा या प्रतिवाद प्रस्तुत किया हो, प्रतिकर के रूप में व्यय को भुगतान करने का आदेश देगा भले ही उस मामले में अन्य वाद पदों पर कोई भी निर्णय हो।

(२) कोई भी न्यायालय दो हजार रुपये से या अपने आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा, इनमें जो भी कम हो, से अधिक की धनराशि का भुगतान करने का ऐसा आदेश नहीं देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के अधीन लघु वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय, जो उक्त ऐक्ट के अधीन संघटित न्यायालय न हो, के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा दो सौ पचास रुपये से कम हो तो उच्च न्यायालय, ऐसे न्यायालय को ऐसी धनराशि जो दो सौ पचास रुपये से अनधिक हो और उस सीमा से एक सौ रुपये तक अधिक हो, इस धारा के अधीन व्यय के रूप में दिलवाने का अधिकार दे सकता है।"

३—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित उक्त कोड की धारा ४२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ५, १९०८ की धारा ४२ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

"४२–(१) किसी ऐसे न्यायालय को जिसे निष्पादन के लिये कोई डिक्री भेजी गयी हो, उसके निष्पादन में वही अधिकार होंगे मानो वह डिक्री स्वयं उसके द्वारा दी गयी हो। डिक्री के निष्पादन की अवज्ञा करने वाले या उसमें बाधा डालने वाले सभी व्यक्ति ऐसे न्यायालय द्वारा उसी प्रकार दण्डनीय होंगे, मानो उसी ने डिक्री दी हो, और उस डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के सम्बन्ध में उन्हीं नियमों के अधीन होगा मानों डिक्री उसी के द्वारा दी गयी हो।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा के अधीन न्यायालय के अधिकारों के अन्तर्गत उस न्यायालय के जिसने डिक्री दी हो निम्नलिखित अधिकर भी होंगे, अर्थात्,

(क) धारा ३९ के अधीन किसी दूसरे न्यायालय को निष्पादन के लिये डिक्री भेजने का अधिकार ;

(ख) धारा ५० के अधीन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने का अधिकार ;

(ग) नियत प्रक्रिया के अनुसार किसी डिग्री की कुर्की का आदेश देने का अधिकार।

(३) कोई न्यायालय जो उपधारा (२) में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करके कोई आदेश दे, उस न्यायालय को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा, जिसने डिक्री दी थी।

(४) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उस न्यायालय को जिसे निष्पादन के लिये डिक्री भेजा जाय, निम्नलिखित कोई भी अधिकार प्रदान किये गये हैं अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ५, १९०८ की धारा ११५ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

(क) किसी डिक्री के संक्रामिती की प्रार्थना पर निष्पादन का आदेश देने का अधिकार ;

(ख) किसी फार्म के विरुद्ध डिक्री को किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में निष्पादित करने की अनुमति देने का अधिकार, जो भले ही फर्म का भागीदार हो, अपने नाम से उपस्थित न हुआ हो या जिसने अभिकथन में भागीदार होना स्वीकार न किया हो और न वह भागीदार ठहराया गया हो और न भागीदार के रूप में उस पर अलग से तामील की गई हो।"

४—उक्त कोड की धारा ११५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"११५–(१) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मुकदमें के अभिलेख को मंगा सकता है जिसमें उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया हो, और यदि यह प्रतीत हो कि—

(क) उस अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं था ; या

(ख) उस अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किया हो, जो उसमें इस प्रकार निहित था; या

(ग) उस अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है, तो उच्च न्यायालय उस मुकदमें में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय, इस धारा के अधीन, किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान दिये गये किसी आदेश या किसी वाद-पत्र पर निर्णय के किसी आदेश में परिवर्तन या विपर्यय नहीं करेगा, सिवाय जब कि—

(क) उस आदेश से, यदि वह पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र देने वाले के पक्ष में दिया गया होता तो वाद या अन्य कार्यवाहियां अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाती ; या

(ख) उस आदेश से, यदि वह बना रहने दिया गया तो उसके कारण न्याय में चूक होगी अथवा जिसके विरुद्ध वह दिया गया है उस पक्ष को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी ।

(२) उच्च न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी ऐसी डिक्री या आदेश में जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय को अपील की जा सकती हो या जिसके संबंध में क्षुब्धपक्ष द्वारा कोई अन्य उपचार किया जा सकता हो, परिवर्तन या विपर्यय नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में, पदावली 'ऐसा मुकदमा जिसमें निर्णय दिया गया हो' के अन्तर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान दिया गया कोई आदेश या किसी वाद पद पर निर्णय का कोई आदेश भी है ।"

ऐक्ट संख्या १२, १८८७ का धारा २१ का संशोधन

५—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध मे यथासंशोधित बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २१ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"(१) पूर्वोक्त को छोड़कर, किसी दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील—

(ए) जिला न्यायाधीश को की जायेगी जब ऐसे मूल वाद का या उससे उत्पन्न किसी कार्यवाही का, जिसमें डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य तीस हजार रुपये से अधिक न हो, चाहे वह वाद या कार्यवाही उत्तर प्रदेश सिविल जज संशोधन अधिनियम, १९६७ के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् संस्थापित किया गया हो या प्रारम्भ की गयी हो, और

(बी) किसी अन्य दशा में, उच्च न्यायालय को की जायेगी ।

(१—ए) उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन अधिनियम, १९६७ के प्रारम्भ होने के पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष किसी दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) की डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील, जब मूल वाद या उससे उत्पन्न किसी कार्यवाही में जिसमें डिक्री या आदेश दिया गया हो, का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु तीस हजार रुपये से अनधिक हो, उच्च न्यायालय द्वारा उसे अधीनस्थ किसी जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को निस्तारण के लिये संक्रमित की जा सकती है ।"

उद्देश्य और कारण

सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड आफ सिविल पोसीजर) १९०८ में ऐक्ट संख्या ६६, १९५६ द्वारा संशोधिन किये जाने के पश्चात् भी संहिता की धारा ३५–ए के उपबन्ध प्रभावी सिद्ध नहीं हुए क्योंकि न्यायालय सामान्यतया उनका प्रयोग करने के प्रति अनिच्छुक रहते ह। इसके अतिरिक्त धारा में निर्दिष्ट प्रतिकर व्यय की उच्टतर सीमा, अर्थात् १,००० रुपया, अधिक मूल्य वाले वादों के सम्बन्ध में उचित नहीं प्रतीत होती। तदनुसार इस संबंध में दो परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। पहला यह कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई दावा या प्रतिवाद झूठा या क्षोभकारी है तो न्यायालय को इस धारा के अधीन विशेष व्यय दिलाना अनिवार्य होगा, और दूसरा यह कि उपर्युक्त उच्चतर सीमा १,००० रुपये से बढ़ाकर २,००० रुपये कर दी जायगी।

उत्तर प्रदेश में १९५४ में उक्त संहिता की धारा ४२ का उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन का अभिप्राय यह था कि उन न्यायालयों को जिन्हें निष्पादन के लिये डिक्री हस्तान्तरित की जाय, विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन करने के संबंध में मूल न्यायालय के अधिकार और अन्य उसी प्रकार के अधिकार प्रदान कर दिये जायं। किन्तु उक्त संशोधन का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि वह न्यायालय जिसे डिक्री हस्तान्तरित की गयी हो उस दशा म जहां मूल न्यायालय लघुवाद न्यायालय था, अचल संपत्ति के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने के अधिकारों से वंचित हो गया। इस कमी को दूर करने के लिये यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन उसी प्रकार कर दिया जाय जैसा कि उक्त संहिता संशोधन के संबंध में भारत के विधि आयोग ने अपनी २७वीं रिपोर्ट में कहा है।

उक्त संहिता की धारा ११५ के अधीन उच्च न्यायालय में निहित पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग साधारणतया उन मामलों म नहीं किया जाता जब प्रार्थी को अन्य कोई उपचार उपलब्ध रहता है। किन्तु बहुत से मामलों में क्षुब्ध पक्ष के समक्ष वैकल्पिक उपचार उपलब्ध रहते हुये भी इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को प्रार्थना-पत्र दे दिये जाते हैं। ऐसे प्रार्थना-पत्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से और कुछ अन्य दोषों को दूर करने और विधि आयोग द्वारा सुझाये गये अन्य संशोधन करने के लिये धारा में इस प्रकार का विशिष्ट उपबन्ध रखने का प्रस्ताव है कि क्षुब्ध पक्ष कोई अन्य उपचार उपलब्ध रहने की दशा में पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र न दे सके।

मूल वादों में तो सिविल जज का आर्थिक क्षेत्राधिकार असीमित है, किन्तु अपीलों में जिला जज का आर्थिक क्षेत्राधिकार बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २१ के अधीन ५,००० रुपये तक सीमित था। १८८७ से रुपये के मू य में कमी हो जाने के कारण जिला जज के उपर्युक्त आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना उचित समझा गया जिससे कि उच्च न्यायालय का समय ऐसे कार्य में न लगे जो जिला जज के स्तर पर आसानी से निपटाया जा सकता हो। तदनुसार उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा जिला जज की आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार की सीमा १०,००० रुपये तक बढ़ी दी गयी थी, किन्तु उक्त वृद्धि अपर्याप्त थी। इसलिये उसकी सीमा को ३०,००० रुपये तक कर देने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश सिवलि लाज संशोधन विधेयक, १९६७ पुरः स्थापित किया जाता है।

श्याम लाल यादव,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८१ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) विधेयक, १९६७

उत्तराखंड डिवीजन के संबंध में उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को ३१ दिसम्बर, १९७२ तक चालू रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा ।

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६७" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९७२" रख दिये जायं ।

उद्देश्य और कारण

तीन सीमावर्ती जिलों अर्थात्, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में अन्तरिम जिला परिषदें उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रही हैं । यह अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त होने वाला है । सुरक्षा की दृष्टि से तथा जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुये यही अधिक श्रेयस्कर होगा कि अभी कम से कम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक पूर्वस्थिति बनायी रक्खी जाय क्योंकि इस अवधि में इन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों पर पर्याप्त धनराशि का उपयोग किया जायगा । अतएव यह प्रस्ताव किया जाता है कि इन अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल और आगे पांच वर्षों के लिये, अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९७२ तक बढ़ा दिया जाय ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

जयराम वर्मा,
कृषि एवं सामुदायिक विकास मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८१ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७

कतिपय वर्गों के क्षेत्रपतियों के पक्ष में मालगुजारी का भुगतान करने से छूट देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठाहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई० में नयी धारा २७-ख का बढ़ाया जाना।

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, कि धारा २४७-क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"२४७-ख (१) धारा २४५, २४६ और २४७ में किसी बात के होते हुये भी,

कुछ दशाओं में मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से छूट

(क) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो, यदि इस उपधारा के उपबन्ध न किये होते, किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमिधर या सीरदार के रूप में अपने पृथक व्यक्तिगत अधिकार में धृत भूमि के संबंध में कुल मालगुजारी के रूप में दो रुपये से अधिक धनराशि का देनदार न हो, उस वर्ष के लिए ऐसी मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से छूट होगी।

(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमिधर या सीरदार के रूप में अपने पृथक व्यक्तिगत अधिकार में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल सवा छः एकड़ से अधिक न हो उस वर्ष के लिये ऐसी भूमि के लिए मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से पचास प्रतिशत तक की छूट होगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त छूट १ जुलाई, १९६७ को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के दौरान मालगुजारी की केवल रबी-किश्त के संबंध में लागू होगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि २७ जून, १९६७ के ठीक पूर्व किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा देय खण्ड (क) में अभिदिष्ट कुल वार्षिक मालगुजारी दो रुपये से अधिक हो या किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा धृत व खण्ड (ख) में अभिदिष्ट भूमि का कुल क्षेत्र सवा छः एकड़ से अधिक हो, और बाद में वार्षिक देय कुल मालगुजारी दो रुपये या उससे कम हो जाय, अथवा उक्त क्षेत्र सवा छः एकड़ या उससे कम हो जाय, तब वह भूमिधर या सीरदार उक्त छूट का हकदार न होगा व उसका उत्तराधिकारी भी छूट का हकदार न होगा सिवाय उस दशा के जब कि उक्त कमी दाय व वसीयत के बिना उत्तराधिकार के कारण हुई हो।

(२) किसी भूमिधर या सीरदार का किसी ऐसी जोत में जो उसके द्वारा अन्य हिस्सेदारों के साथ धृत हो, व्यक्तिगत अंश, यह निश्चित करने के लिए कि क्या वह उपधारा (१) में उल्लिखित दो छूटों में से किसी एक का हकदार है या नहीं, ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारिकी द्वारा, जो नियत किया जाय, अवधारित किया जायगा।

(३) नियत अधिकारी, प्रत्येक गांव सभा मण्डल के संबंध में, उपधारा (१) में उल्लिखित छूट के हकदार खातेदारों की एक सूची, जिसमें उपधारा के अधीन अवधारित अंशों को यदि कोई हों, तथा अन्य ब्यौरे देते हुये ऐसे आकार-पत्र में और ऐसी रीति से, तथा ऐसे दिनांक के पूर्व, जो नियत किये जायें, तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा।

(४) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन छूट पाने का हकदार होने का दावा करे किन्तु उसका नाम उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित सूची में न हो जो उपधारा (२) के अधीन अंशों के अवधारण से या उपधारा (३) में अभिदिष्ट सूची में किसी अन्य प्रविष्टि या चूक से क्षुब्ध हो, ऐसे अधिकारिकी के समक्ष, जो नियत किया जाय, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और उक्त अधिकारिकी आपत्तिकर्ता तथा स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् या तो आपत्ति अस्वीकार कर सकता है, अथवा सूची में संशोधन करने के लिए ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(५) उपधारा (४) के अधीन संशोधन सहित, यदि कोई हो, उपधारा (३) के अधीन सूची और अंशों का अवधारण किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुये, इस धारा के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगा।"

धारा २९४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) में, खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(क-क क) धारा २४७-ख की उपधारा (२) के अधीन संयुक्त खातेदारों के अंशों का अवधारण करने की रीति, अधिकारिकी जिसके द्वारा वे अवधारित किये जायेंगे, अधिकारिकी जो उक्त धारा में उल्लिखित छूट के लिये हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ब्यौरे जो ऐसी सूची में दर्ज किये जायेंगे, सूची का आकार-पत्र उसके, प्रकाशन की रीति, दिनांक जिसके पूर्व वह प्रकाशित की जायगी, अधिकारिकी जिसके समक्ष उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी।"

उद्देश्य और कारण

यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा लिए गये उस निर्णय को कार्यान्वित करने के निमित्त १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए पुरःस्थापित किया जा रहा है जिसके अनुसार दो रुपया अथवा उससे कम मालगुजारी देने वाले व्यक्तियों की पूरी मालगुजारी तथा दो रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले किन्तु सवा छः एकड़ अथवा उससे कम ही भूमि रखने वाले व्यक्तियों की आधी मालगुजारी माफ की जानी है।

उदित नारायण शर्मा,

राजस्व मंत्री।

नत्थी 'थ'

(देखिए पीछे पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश में कतिपय वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध जो सार्वजनिक जीवन में हों अथवा रहे हों लगाये गये कदाचार के अभियोगों का अनुसंधान और जांच करने की तथा उनसे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अधिनियम, १९६७ कहलाएगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह दिनांक २१ अक्तूबर, १९६७ से प्रवर्तित हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

२—जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) "अभियोग" अथवा "अभियोग जिस पर यह अधिनियम लागू होता है" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार के किसी अभ्यारोप से हैं जो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कोई पद धारण किये हो अथवा निम्नलिखित किसी पद पर रहा हो और ऐसे अभियोग का सम्बन्ध उसकी ऐसी पद स्थिति से हो :—

(१) मन्त्री;

(२) जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष;

(३) नगर महापालिका का नगरप्रमुख या उप नगरप्रमुख;

(४) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा २ के खण्ड (४) में यथा पारिभाषित किसी "सिटी" की नगरपालिका का प्रेसिडेन्ट या वाइस प्रेसीडेन्ट; यू० पी० ऐक्ट २, १९१६

(५) उत्तर प्रदेश विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य, या

(६) सहकारी समितियों से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निबन्धित किसी जिला स्तर की केन्द्रीय समिति अथवा किसी शीर्ष समिति का कोई अशासकीय सभापति या उपसभापति जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो या प्रबन्ध निदेशक :

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में "केन्द्रीय समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसके सदस्यों में अन्य सहकारी समितियां भी हों व "शीर्ष समिति" का तात्पर्य राज्य स्तर की "केन्द्रीय समिति" से है ;

(ख) "मुख्य अनुसंधान कर्त्ता" का तात्पर्य धारा ७ के अधीन नियुक्त मुख्य अनुसंधानकर्त्ता उत्तर प्रदेश से है;

(ग) "मुख्य न्यायाधिपति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति से है ;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य अध्याय ४ के अधीन संघटित जांच आयोग से है ;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "इस अधिनियम के अधीन जांच" का तात्पर्य अध्याय ४ के अधीन आयोग द्वारा जांच से है;

(छ) "किसी अभियोग के सम्बन्ध में अनुसंधान" का तात्पर्य धारा १६ के अधीन अनुसंधान से है और इसके अन्तर्गत मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या उसके अधिष्ठान के सदस्यों द्वारा धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन परिनिरीक्षा के प्रयोजनार्थ न्यायाधीश को या धारा १९ की उपधारा (३) या धारा २० की उपधारा (३) के प्रयोजनार्थ आयोग को दी गई कोई सहायता भी है ।

(ज) "मन्त्री" का तात्पर्य मन्त्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और उसके अन्तर्गत राज्य मंत्री, उप मन्त्री या सभा सचिव भी है ;

(झ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ञ) किसी अभियोग के सम्बन्ध में "परिनिरीक्षा" का तात्पर्य धारा १४ के अधीन प्रारम्भिक परिनिरीक्षा से है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

अध्याय २

मुख्य अनुसंधानकर्त्ता का अधिष्ठान

मुख्य अनुसंधानकर्त्ता के अधिष्ठान का संघटन

३—पुलिस ऐक्ट, १८६१ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे ऐसे अभियोगों के जिन पर यह अधिनियम लागू होता है अनुसंधान के लिये एक विशेष पुलिस दल संघटित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश मुख्य अनुसंधानकर्त्ता का अधिष्ठान कहलाएगा । ऐक्ट संख्या ५, १८६१

अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन

४—(१) उत्तर प्रदेश मुख्य अनुसंधानकर्त्ता के अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन मुख्य अनुसंधानकर्ता में निहित होगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उक्त अधिष्ठान के सम्बन्ध में ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य के साधारण पुलिस दल के सम्बन्ध में राज्य सरकार और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य हो ।

(२) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पुलिस ऐक्ट, १८६१ तथा उक्त ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे । ऐक्ट संख्या ५, १८६१

अधिष्ठान के सदस्यों के अधिकार

५—(१) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को ऐसे अभियोगों के अनुसंधान के सम्बन्ध में जिन पर यह अधिनियम लागू होता है वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार और

दायित्व होंगे जहां तक वे लागू होते हैं जो विधि के अन्तर्गत राज्य के साधारण पुलिस दल के तदनुरूप श्रेणीयों के पुलिस अधिकारियों को अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।

(२) जब उपधारा (१) में अभिदिष्ट अधिकारों का प्रयोग किसी अभियोग की या उसके सम्बन्ध में किसी परिनिरीक्षा या जांच की सहायता में किया जाता हो तो यथास्थिति न्यायाधीश या आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ९४ और ९६ के अर्थ में न्यायालय समझा जायगा। ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उक्त अधिष्ठान का नियत श्रेणी का कोई अधिकारी उपधारा (१) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उस क्षेत्र के जहां पर वह तत्समय हो थाने के प्रभारी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग करे तो वह उक्त प्रयोजन के लिए पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायगा।

(४) उक्त अधिष्ठान के ऐसे अधिकारी जो उपधारा (३) के अधीन नियत श्रेणी से प्रकृष्ट श्रेणी के हों उस सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र के भीतर जहां पर व नियुक्त हों उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने थाने की सीमाओं के भीतर किया जाय।

मुख्य अनुसंधानकर्त्ता का अनुसंधान के लिये अन्य विषयों को हाथ में लेने का अधिकार

६—यदि स्वयं राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसा अपेक्षित हो तो मुख्य अनुसंधानकर्त्ता किसी ऐसे अन्य विषय का अनुसंधान जो इस अधिनियम द्वारा अन्यथा नियन्त्रित न हो, अपने हाथ में लेगा, और किसी ऐसे अनुसंधान के सम्बन्ध में अभियोगों के बारे में किये गये समस्त निर्देशों के अन्तर्गत, जहां तक वे प्रयोज्य हों, ऐसे विषयों के भी निर्देश समझे जायेंगे।

मुख्य अनुसंधानकर्त्ता तथा उप मुख्य अनुसंधान कर्त्ता की नियुक्ति

७—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यपाल, लोक-सेवा-आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के परामर्श से, एक मुख्य अनुसंधानकर्ता, उत्तर प्रदेश, और उतने उपमुख्य अनुसंधानकर्त्ता नियुक्त करेंगे जितनी संख्या नियत की जाय।

कुछ आकस्मिक दशाओं में ज्येष्ठ उप मुख्य अनुसंधानकर्त्ता मुख्य संधानकर्त्ता के कर्त्तव्यों का पालन करेगा

८—यदि मुख्य अनुसंधानकर्ता का पद रिक्त हो जाय, या अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से मुख्य अनुसंधानकर्ता अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने म असमर्थ हो, तो जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए धारा ७ के अधीन नियुक्त किया गया नया मुख्य अनुसंधानकर्ता अपना पद ग्रहण न कर ले या, यथास्थिति, जब तक मुख्य अनुसंधानकर्ता अपने कार्य पर न लौटे, तब तक उन कर्तव्यों का पालन उप मुख्य अनुसंधानकर्ता अथवा उपलब्ध ज्येष्ठतम् उप मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जायगा।

कर्मचारियों की नियुक्ति

९—मुख्य अनुसंधानकर्ता के अधिष्ठान के अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा की जायगी।

मुख्य अनुसंधानकर्त्ता तथा उप मुख्य अनुसंधानकर्त्ता की पदावधि और सेवा के शर्तें

१०—(१) धारा ११ और इस धारा की उप-धारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य अनुसंधानकर्ता अथवा कोई उप मुख्य अनुसंधानकर्ता तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले।

(२) मुख्य अनुसंधानकर्ता अथवा कोई उप मुख्य अनुसंधानकर्ता—

(क) राज्यपाल को स्वयं लिख कर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है;

(ख) उपधारा (३) में व्यवस्थित रीति से अपने पद से हटाया जा सकता है ।

(३) मुख्य अनुसंधानकर्ता या कोई उप मुख्य अनुसंधानकर्ता अपने पद से कदाचार या असमर्थता के आधार पर केवल राज्यपाल के आदेश से उस दशा में हटाया जायगा, जब उच्च न्यायालय, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की गयी जांच पर जो तदर्थ बनाये गये न्यायालय के नियमों के अनुसार निर्धारित की जाय, यह प्रतिवेदन दे कि, यथास्थिति मुख्य अनुसंधानकर्ता या उप मुख्य अनुसंधानकर्ता को किसी ऐसे आधार पर हटा दिया जाय ।

(४) सिवाय धारा ११ की उपधारा (१) में की गयी व्यवस्था के, मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने पद का भार छोड़ देने पर, वह राज्य सरकार के अधीन कोई लाभप्रद पद धारण करने का पात्र न होगा ।

(५) मुख्य अनुसंधानकर्ता और उप मुख्य अनुसंधानकर्ता की सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी जो नियत की जायं, और उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनमें ऐसे परिवर्तन नहीं किया जायगा जिनसे उन्हें कोई हानि पहुंचे ।

मुख्य अनुसंधानकर्ता तथा उसके अधिष्ठान के अन्य सदस्यों से सम्बन्धित अन्य उपबंध

११—(१) मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या कोई उप मुख्य अनुसंधानकर्ता अपनी नियुक्ति से छः माह के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिए राज्यपाल तदर्थ सार्वजनिक कारणों से अनुमति दें उस समय अपने द्वारा धृत किसी अन्य पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा सेवा निवृत्ति ले लेगा और उसके द्वारा इस प्रकार त्याग-पत्र न दिये जाने पर, अथवा सेवा निवृत्ति न लेने पर वह, यथास्थिति, मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या उप मुख्य अनुसंधानकर्त्ता के पद पर न रह जायगा और उस पद पर प्रत्यावर्तित हो जायगा जिसे वह धारण करता यदि वह इस रूप से नियुक्त न किया गया होता ।

(२) नियत श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी अधिष्ठान में अपनी नियुक्ति से छः माह के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिए मुख्य अनुसंधानकर्त्ता तदर्थ सार्वजनिक कारणों से अनुमति दे, उस समय अपने द्वारा धृत किसी अन्य पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा सेवा निवृत्ति ले लेगा, और उसके द्वारा इस प्रकार त्याग-पत्र न दिये जाने पर अथवा सेवा-निवृत्ति न लेने पर, वह अधिष्ठान में किसी पद पर न रह जायगा और उस पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा जिसे वह धारण करता यदि वह अधिष्ठान में नियुक्त न किया गया होता ।

(३) यथास्थिति, उपधारा (१) या उप धारा (२) में अभिदिष्ट छः माह की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर मुख्य अनुसंधानकर्त्ता, किसी उप मुख्य अनुसंधानकर्ता या उपर्युक्त किसी अन्य अधिकारी और राज्यपाल के बीच नियत प्रपत्र में एक अनुबन्ध किया जायगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(क) इस धारा तथा धारा १० के उपबन्ध समाविष्ट होंगे, और

(ख) यह व्यवस्था होगी कि उक्त पद के, जिन पर वह नियुक्त किया जाय, समाप्त कर दिये जाने पर, यथास्थिति, मुख्य अनुसंधानकर्ता उप मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या अन्य अधिकारी ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो उसकी सेवा की शेष अवधि के लिये, उसके वेतन तथा अन्य उपलब्धियों के बराबर हो ।

अध्याय ३

अभियोगों की प्रारम्भिक परिनिरीक्षा और उनका अनुसंधान

कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए याचिका

१२—(१) कोई भी व्यक्ति, किसी भी अभियोग की जांच करने के लिए अनुरोध करते हुए राज्यपाल को याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसके साथ याचिका के समर्थन में सार्वजनिक लेख्य प्राधिकारी के सामने सत्यापित उसका शपथ-पत्र नत्थी होगा तथा एक हजार रुपये की कोषागार की रसीद नत्थी होगी जो धनराशि इस अधिनियम के अधीन निस्तारण के लिये उपलब्ध रहेगी।

अधिनियम संख्या ५, १९०८

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक याचिका तथा उससे संलग्न किसी अनुसूची या अनुलग्नक का सत्यापन उसी प्रकार से किया जायगा जैसा कि कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अभिकथनों का सत्यापन के लिये निर्धारित है।

(३) कोई याचिका जो पूर्वोक्त उपबन्ध के अनुसार न हो या किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध हो जिसने याचिका के प्रस्तुत होने से ठीक पूर्व के पांच वर्ष के काल में धारा २ के खण्ड (क) में अभिदिष्ट कोई भी पद धारण नहीं किया हो, ग्रहण नहीं की जायगी।

प्रारम्भिक परिनिरीक्षा के लिए अभिदेश

१३—(१) राज्यपाल धारा १२ के अधीन कोई याचिका ग्रहण की जाने पर, उसमें लगाये गए अभियोगों को प्रारम्भिक परिनिरीक्षा के लिये उसे किसी ऐसे न्यायाधीश को जो एतत्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जाय, यथासम्भव शीघ्र अभिदिष्ट करेंगे।

(२) राज्यपाल स्वतः भी किसी अभियोग को उपर्युक्त प्रारम्भिक परिनिरीक्षा के लिये अभिदिष्ट कर सकते हैं।

(३) राज्यपाल के तदर्थ अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधिपति परिनिरीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रकार से न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट करेंगे —

(क) जब अभियोग किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध हो जो अनुरोध के दिनांक को मंत्री, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख का पद धारण किए हो या किसी व्यक्ति के ऐसे आचरण के विरूद्ध हो जिसका सम्बन्ध मंत्री, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख के रुप में उसके पद से हो तो मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवारत न्यायाधीशों अथवा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों में से कोई न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट करेगा :—

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा न्यायाधीश, उसकी सहमति के बिना नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायगा।

(ख) किसी अन्य दशा में मुख्य न्यायाधिपति किसी सेवारत जिला न्यायाधीश को नाम निर्दिष्ट करेंगे।

(४) कोई सेवा निवृत्त न्यायाधीश जो इस धारा के अधीन किसी अभिदेश पर कार्य प्रारम्भ करें या कोई सेवारत न्यायाधीश जो इस धारा के अधीन किसी अभिदेश पर सेवा निवृत्ति के पश्चात् कार्यवाही करता रहे तो वह ऐसे प्रारम्भ या सेवा निवृत्ति के दिनांक से धारा १५ के अधीन अपना निर्णय देने के दिनांक तक, वही वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा जो वह अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त करता था और उसकी सेवा की अन्य शर्तें (जहां तक वे प्रयोज्य हों) वही होंगी जो उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व उस पर लाग थीं।

(५) जब तक कि इस धारा के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किसी अभिदेश पर कार्यवाही करता रहे तब तक उसी व्यक्ति से सम्बन्धित सभी अनुवर्ती अभिदेश समान्यतया उसी न्यायाधीश को किये जायेंगे।

(६) इस धारा के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर उसे पूर्व व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार भरा जायगा और अनुवर्ती न्यायाधीश उसी प्रकम से कार्य कर सकेगा जिस प्रक्रम पर रिक्त हुई थी।

प्रारम्भिक परिनिरीक्षण, प्रक्रिया तथा अधिकार

१४—(१) धारा १३ के अधीन नामनिर्दिष्ट न्यायाधीश अभियोग की परिनिरीक्षा अनौपचारिक रूप से तथा शीघ्रता से करेगा, और

(क) वह केवल उसी अभियोग की परिनिरीक्षा नहीं करेगा जो उसे अभिदिष्ट किया गया हो, किन्तु उससे सम्बद्ध या उक्त परिनिरीक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न किसी अन्य अभियोग की परिनिरीक्षा भी कर सकता है

(ख) वह किसी मंत्री या राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा कि अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उक्त परिनिरीक्षा से संगत सूचना दे सकता हो या लेख्य प्रस्तुत कर सकता हो, कोई ऐसी सूचना देने या कोई ऐसा लेख्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ग) वह मुख्य अनुसंधानकर्त्ता से किसी सहायता की अपेक्षा कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है।

(घ) वह, अपने विवेकानुसार, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया हो, अभियोग से संबंधित किसी विषय को स्पष्ट करने के लिये अवसर द सकता है।

(२) उपधारा (१) क खण्ड (ख) क प्रयोजनार्थ उक्त न्यायाधीश को दीवानी न्यायालय के वे अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय प्राप्त होते हैं। अधिनियम सख्या ५, १९०८

(३) न्यायाधीश, अपने विवेकानुसार, किसी व्यक्ति का शपथ पर बयान ले सकता है या शपथ-पत्र पर साक्ष्य ले सकता है और उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी। अधिनियम संख्या ४५, १८६०

परिनिरीक्षा का परिणाम

१५—(१) यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि अभियोग निराधार अथवा महत्वहीन है अथवा उसमें और अनुसंधान करने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है तो वह तदनुसार कारणों सहित अपने निर्णय की सूचना राज्यपाल को देगा। राज्यपाल राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष उक्त रिपोर्ट को रखावायेंगे।

(२) अन्य सभी दशाओं में, न्यायाधीश अभियोग को मुख्य अनुसंधानकर्त्ता के पास अनुसंधान के लिये भेजेगा और तदनुसार राज्यपाल को सूचित करेगा।

अनुसंधा

१६—मुख्य अनुसंधानकर्त्ता ऐसे अभियोग का जो उसे धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन अभिदिष्ट किया गया हो, बिना अनावश्यक बिलम्ब के अनुसंधान करेगा या अनुसंधान करायेगा, और अनुसंधान पूरा होते ही वह उसका परिणाम गोपनीय ढंग से राज्यपाल को सूचित करेगा।

अध्याय ४

जांच आयोग

१७—(१) राज्यपाल, धारा १६ के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसे एक जांच आयोग को भेजेंगे जिसम एक या अधिक सदस्य होंगे, जसा कि राज्यपाल उचित समझें, और जो एतद्पश्चात् व्यवस्थित उपबन्धों के अनुसार नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। आयोग का संघटन

(२) राज्यपाल के तदर्थ अनुरोध पर मुख्य न्यायाधिपति आयोग के सदस्य या सदस्यों को निम्नलिखित प्रकार से नाम निर्दिष्ट करेंगे, और यदि आयोग में एक से अधिक सदस्य हों तो मुख्य न्यायाधिपति उनमें से एक को आयोग का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट करेंगी:—

(क) जब अभियोग किसी एस व्यक्ति के विरुद्ध हो जो अनुरोध के दिनांक से मंत्री, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख का पद धारण किय हो या किसी व्यक्ति के ऐसे आचरण के विरुद्ध हो जिसका सबंध उसके मंत्री, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख के रूप में उसक पद स हो तो मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सवारत न्यायाधीशों अथवा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में स सदस्य या सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा सदस्य उसकी सहमति क बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जायगा।

(ख) किसी अन्य दशा में मुख्य न्यायाधिपति सेवारत जिला न्यायाधीशों में से सदस्य या सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करेंगे।

(३) कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सदस्य के रूप में कार्य प्रारम्भ कर या कोई सेवारत न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात् सदस्य के रूप में कार्य करता रह तो वह, ऐसे प्रारम्भ या सेवानिवृत्ति के दिनांक से, धारा १८ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन रिपोर्ट देने अथवा धारा २२ के अधीन अपनी निष्कर्ष घोषित करने के दिनांक तक, जैसी भी दशा हो, वही वेतन तथा भत्ते पाने का हकदार होगा जो वह अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त करता था और उसकी सेवा की अन्य शर्तें (जहां तक वे प्रयोज्य हों) वहीं होंगी जो उसक सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व उस पर लागू थीं।

(४) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन संघटित आयोग किसी व्यक्ति से सम्बन्धित किसी अभिदेश पर कायवाही करता रहे तब तक उसी व्यक्ति से संबन्धित सभी अनुवर्ती अभिदेश, सामान्यता उसी आयोग को किये जायगे।

(५) आयोग के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर उसे पूर्व व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार भरा जायगा और इसके परिणाम स्वरूप पुनः सघटित आयोग उसी प्रकार से कार्य कर सकेगा जिस प्रक्रम पर रिक्ति हुई हो।

(६) आयोग के लिये ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था की जायगी जो नियत किये जायें।

१८—(१) आयोग धारा १७ के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से कार्यवाही करेगा। धारा १७ के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कायवाही

(२) यदि मुख्य अनुसंधानकर्त्ता ने यह रिपोर्ट दी कि अभियोग पूर्णतः या अंशतः प्रमाणित हो गया है तो आयोग उसकी जांच करने की कार्यवाही करेगा।

(३) यदि मुख्य अनुसंधानकर्त्ता ने यह रिपोर्ट दी हो कि अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ है तो आयोग—

(क) या तो मुख्य अनुसंधानकर्त्ता की रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है और तदनुसार राज्यपाल को सूचित कर सकता है; या

(ख) और आगे अनुसंधान करने का निदेश दे सकता है जिस पर मुख्य अनुसंधानकर्त्ता आगे अनुसंधान सम्बन्धी कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् आयोग की रिपोर्ट देगा; या

(ग) रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकता है और अभियोग की जांच की कार्यवाही कर सकता है।

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, आयोग, यदि वह आवश्यक समझे, मुख्य अनुसंधानकर्ता से अनौपचारिक रूप से परामर्श कर सकता है।

(५) उपधारा (३) के खण्ड (ख) के अधीन मुख्य अनुसंधानकर्ता से आगे रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग उसी रीति से कार्यवाही करेगा मानो उस धारा १७ के अधीन कोई अभिदेश प्राप्त हुआ हो।

जांच की प्रक्रिया

१९—(१) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार होगा जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के लिये स्थान तथा समय निश्चित करना भी है।

(२) जांच करते समय वह अपनी बैठक साधारणतया सार्वजनिक रूप से करेगा किन्तु किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसे अपनी बैठकें या उनका कुछ भाग असार्वजनिक रूप से करने का अधिकार होगा।

(३) मुख्य अनुसंधानकर्ता, आयोग को सभी आवश्यक सहायता देने की व्यवस्था करना और यदि आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो अपने प्रधिष्ठान के किसी अधिकारी को जांच में उपस्थित रहने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा।

(४) मुख्य अनुसंधानकर्ता को किसी वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार होगा।

(५) अभियुक्त व्यक्ति तथा धारा १२ के अधीन प्रत्येक याची को वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा—

(६) आयोग किसी भी प्रक्रम पर—

(क) किसी साक्षी को; अथवा

(ख) किसी अन्य व्यक्ति को जो यह दावा करता हो कि जांच द्वारा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकने की सम्भावना है;

वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कराने की तथा कार्यवाहियों में इस प्रकार भाग लेने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि आयोग न्याय के हित में उचित समझे।

आयोग के अधिकार

२०—(१) आयोग को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात्— अधिनियम संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) किसी लेख्य को प्रगट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि मांगना;

(ङ) साक्षियों या लेख्यों का परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना;

(च) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जायं ।

(२) आयोग को, किसी मंत्री या राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उक्त जांच से संगत सूचना दे सकता हो या लेख्य प्रस्तुत कर सकता हो, कोई ऐसी सूचना देने या लेख्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने का भी अधिकार होगा ।

अधिनियम संख्या ५, १९०८

(३) आयोग या मुख्य अनुसंधानकर्त्ता की अधिष्ठान का कोई सदस्य या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसे भवन या स्थान में, जहां आयोग को यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच की विषय वस्तु से संगत कोई लेखा पुस्तिका या अन्य लेख्य पाये जा सकते हैं, प्रवेश कर सकता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १०२ और १०३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जहां तक वे प्रयोज्य हों, किसी ऐसी लेखा पुस्तिका या लेख्य का अभिग्रहण कर सकता है या उसके उद्धरण अथवा उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है ।

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(४) आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

आयोग के समक्ष दिये गये बयान

२१—आयोग के समक्ष साक्ष्य के दौरान में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान उसे किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी नहीं बनायेगा और न उसका प्रयोग उसके विरुद्ध किया जायगा, सिवाय उस दशा में जब ऐसे बयान द्वारा झूठी गवाही देने के कारण उसके विरुद्ध कोई अभियोजन चलाया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि बयान—

(क) ऐसे प्रश्न के जवाब में दिया जाय जिसके जवाब देने की आयोग द्वारा उससे अपेक्षा की गयी हो; या

(ख) जांच की विषय वस्तु से संगत हो ।

आयोग का निष्कर्ष

२२—(१) आयोग जांच की समाप्ति पर, अपना निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा तथा उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा ।

अधिनियम संख्या ४६, १९५२

(२) यदि आयोग की यह राय हो कि न्याय के हित में यह इष्टकर है कि अभियुक्त व्यक्ति या अभियोग के विषय वस्तु से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति पर क्रिमिनल ला (अमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, १९५२ की धारा ६ में अभिदिष्ट किसी अपर के लिये अभियोजन चलाया जाना चाहिये, तो वह कारणों सहित इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(३) यदि आयोग की यह राय हो कि न्याय के हित में यह इष्टकर है कि धारा १२ के अधीन याची या किसी अन्य व्यक्ति ने न्यायिक कार्यवाही के लिये किसी प्रक्रम पर जान-बूझ कर झूठी गवाही दी हो अथवा न्यायिक कार्यवाही के किसी

प्रक्रम पर प्रयुक्त किये जाने के लिये जानबूझ कर झूठा प्रमाण बनाया है अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ की धारा १९८–ख में अभिदिष्ट कोई अपराध किया है तो वह कारणों सहित इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, और यदि उक्त संहिता की धारा १९५ के अधीन आवश्यक हो तो परिवाद कर सकता है और उस पर आयोग के ऐसे अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसे आयोग तदर्थ प्राधिकृत करे, और आयोग को उक्तधारा के प्रयोजनों के लिये न्यायालय समझा जायगा ।

(४) यदि उपधारा (२) या उपधारा (३) में अभिदिष्ट निष्कर्ष आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाय, तो मुख्य अनुसंधानकर्त्ता सम्बन्धित व्यक्ति पर अभियोजन चलाने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा जिसमें जहां आवश्यक हो, ऐसे अभियोजन के लिये स्वीकृति प्राप्त करना भी शामिल है ।

(५) मुख्य अनुसंधानकर्त्ता अथवा उसके द्वारा तदर्थ नाम निर्दिष्ट उसके अधिष्ठान का कोई अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कोई वकील द्वारा ऐसा कोई अभियोजन प्रारम्भिक न्यायालय अथवा किसी प्रवर न्यायालय के समक्ष चलायेगा और इस प्रकार अभियोजन चलाने वाला व्यक्ति सरकारी अभियोक्ता समझा जायेगा ।

व्यय

२३—(१) आयोग, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया था या धारा १९ की उपधारा (६) में अभिदिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को—

(क) जब अभिदेश धारा १२ के अधीन याचिका से उत्पन्न हो, याची द्वारा;

(ख) जब अभिदेश धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन स्वयं राज्यपाल द्वारा स्वतः किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा;

खर्च के रूप में ऐसी धनराशि का जो आदेश में उल्लिखित की जाय, भुगतान करने का आदेश दे सकता है ।

(२) आयोग धारा १२ के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि में से खर्चे के किसी भाग का भुगतान करने का आदेश दे सकता है और शेष के संबंध में, यदि कोई हो, वसूली के लिये प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है ।

(३) कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि की वसूली के लिये आरंभिक क्षेत्राधिकार के मुख्य दीवानी न्यायालय को जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध प्रमाण-पत्र जारी किया जाय, निवास स्थान या व्यवसाय हो, प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त ऐसा न्यायालय उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण-पत्र निष्पादित करेगा या उसे निष्पादित करायेगा मानों वह किसी वाद में उसके द्वारा किसी धनराशि के भुगतान के लिये दी गयी डिक्री हो ।

कतिपय जांचों पर रोक

२४—सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा उसके अनुसार राज्य सरकार के निर्देश से कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२ के अन्तर्गत या राज्य सरकार के किसी अन्य आदेश या संकल्प द्वारा किसी ऐसे अभियोग के संबंध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, कोई औपचारिक या खुली जांच नहीं की जायगी, किन्तु यहां दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि

अधिनियम संख्या ६०, १९५२

अधि- नियम संख्या ५, १८९८

इससे दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के किन्हीं अधिकारों या शक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता ह, अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त किसी समिति या जांच समिति या आयोग के संघटन पर अथवा उसके कार्य करते रहने या उसके द्वारा अधिकारों का प्रयोग करने पर कोई प्रभाव पड़ता है ।

अध्याय ५

विविध

व्यक्ति जिन पर यह अधिनियम लागू होता हो, लोक सेवक होंगे

२५—किसी ऐसे वर्तमान विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके अधीन इस अधिनियम की धारा २ क खण्ड (क) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक हो, उक्त खण्ड में अभिदिष्ट सभी व्यक्तियों को, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उनके द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा २१ के अर्थ में लोक-सेवक समझा जायगा ।

जमा धनराशि की वापसी या जब्ती

२६—(१) धारा १२ के अधीन किसी याची द्वारा जमा की गयी धनराशि आगे दिये गये उपबन्धों के अनुसार निस्तारित की जायगी ।

(२) यदि न्यायाधीश जिस प्रारम्भिक परिनिरीक्षा के लिये अभियोग अभिदिष्ट किया गया हो उसके संबंध में धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन रिपोर्ट दे तो धनराशि सरकार के प्रति जब्त कर ली जायगी ।

(३) यदि आयोग धारा १८ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के अधीन मुख्य अनुसंधानकर्त्ता की रिपोर्ट स्वीकार करे तो वह यह निदेश दे सकता है कि धनराशि या उसका कोई भाग उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया था, प्रतिकर स्वरुप दिया जाय, और यथास्थिति, धनराशि या शेष सरकार के प्रति जब्त कर ली जायगी ।

(४) किसी अन्य दशा में, आयोग जांच के अन्त में मामले की परिस्थितियों और धारा २३ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए धनराशि के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

प्रकाशन पर रोक

२७—(१) धारा १३ के अधीन नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या उसके अधिष्ठान के किसी सदस्य अथवा आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई परिनिरीक्षा, अनुसंधान अथवा जांच करते समय अथवा उनके प्रयोजनों के लिये प्राप्त की गई कोई सूचना, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित या दी गई अनुज्ञा के सिवाय अन्यथा नहीं बताई जायगी ।

(२) उक्त न्यायाधीश या मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या उसके अधिष्ठान के अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन किसी परिनिरीक्षा या अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में आये किन्हीं कार्यवाहियों या विषयों में सिवाय आयोग के समक्ष जांच के या धारा २२ की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन आयोग द्वारा अभिलिखित किसी निष्कर्ष से उत्पन्न होने वाले मुकदमे के किसी अन्य कार्यवाही में कोई गवाही देने के लिये नहीं कहा जायगा ।

(३) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन किसी परिनिरीक्षा या अनुसंधान या असार्वजनिक रूप से की गयी जांच के किसी भाग के संबंध में कोई कार्यवाही प्रकाशित नहीं करेगा और न ही राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति परिनिरीक्षा, अनसंधान या जांच पूरी हो जाने के पश्चात् किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को प्रकाशित करेगा।

विचाराधीन रहते हुए विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता

२८—संविधान के अनुच्छेद २१२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई भी आरोप जो पूर्व लिखित उपबन्धों के अनुसार धारा १३ के अधीन नाम-निर्दिष्ट न्यायाधीश अथवा मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या आयोग को अभिदिष्ट किये गये अभियोग की विषय वस्तु हो, ऐसी परिनिरीक्षा अनुसंधान या जांच के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के समक्ष विशेषाधिकार के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रुप से विषय वस्तु नहीं होगी।

मामले के विचाराधीन रहने के फलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी

२९—उच्च न्यायालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में ऐसे किसी दीवानी या फौजदारी वाद के विचाराधीन रहने के फलस्वरूप, जिसका किसी अभियोग की विषय वस्तु के अन्तर्गत आरोप पर प्रभाव पड़ता हो, इस अधिनियम के अधीन अभियोग की या उसके संबंध में परिनिरीक्षा, अनुसंधान या जांच करने पर कोई रोक नहीं होगी और ऐसी कोई परिनिरीक्षा, अनुसंधान या जांच से उक्त न्यायालय का अवमान करना नहीं समझा जायगा।

अवमान करने पर दंड देने के संबंध में न्यायाधीश तथा आयोग के अधिकार

३०—धारा १३ के अधीन नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश या आयोग को किसी व्यक्ति द्वारा उसका अवमान करने पर, दण्ड देने के संबंध में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उच्च न्यायालय को अपने अवमान के संबंध में प्राप्त हैं, और इस प्रयोजन के लिये उन्हें न्यायालय समझा जायगा।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण

३१—(१) मुख्य अनुसंधानकर्त्ता या उसके अधिष्ठान के किसी सदस्य या धारा १३ के अधीन नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश अथवा आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अभिदेश, नाम निर्देशन, नियुक्ति, परिनिरीक्षा, अनुसंधान या जांच या अन्य कार्यवाहियों पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

नियम बनाने का अधिकार

३२—(१) मुख्य न्यायाधिपति, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, से परामर्श करने के पश्चात् गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा नियम जिसमें वित्तीय विषय अन्तर्गस्त हो, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं बनाया जायगा।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) मुख्य अनुसंधानकर्त्ता तथा उप मुख्य अनुसंधानकर्ता की और मुख्य अनुसंधानकर्त्ता के अधिष्ठान के अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ;

(ख) उप मुख्य अनुसंधानकर्त्ता तथा उक्त अधिष्ठान के अन्य कर्मचारियों की सख्या, उनके कर्तव्य और कृत्य;

(ग) मुख्य अनुसंधानकर्त्ता के अधिकारों से संबद्ध मामल तथा उसके अधिष्ठान के संबंध में उनका प्रयोग, जिसके अन्तर्गत पुलिस ऐक्ट, १८६१ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उक्त अधिष्ठान के सदस्यों पर लागू किया जाना भी है ;

(घ) अभियोगों का अनुसंधान करने के संबंध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के अधिकार, विशेषाधिकार तथा दायित्व से संबद्ध विषय ;

(ङ) उक्त अधिष्ठान के अधिकारियों की श्रेणियों जिन पर धारा ५ की उपधारा (३) की धारा ११ के उपधारा (२) के उपबन्ध लागू होंगे, व धारा ११ की उपधारा (३) के अधीन अनुबन्ध का प्रपत्र ;

(च) धारा १३ के अधीन नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश के लिये तथा आयोग के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था;

(छ) आयोग द्वारा जांच की प्रक्रिया ;

(ज) धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (च) क अधीन आयोग के अधिकार ;

(झ) धारा १२ में अभिदिष्ट धनराशि जमा करने तथा धारा २६ के अधीन उसकी जब्ती या वापसी से संबद्ध विषय ;

(ञ) आयोग या किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये मुख्य अनुसंधानकर्त्ता द्वारा नियुक्त वकील को देय शुल्क ;

(ट) कोई अन्य विषय जिसके लिये पर्याप्त उपबन्ध न हों और इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लये व्यवस्था करना आवश्यक समझा जाय ।

(३) जब तक मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उपधारा (१) के अधीन उपर्युक्त किसी विशेष विषय के संबंध में नियम न बनाये जायं, राज्यपाल गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उस विषय के संबंध में नियम बना सकता है, और इस प्रकार बनाया गया कोई नियम, उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा ।

विनियम बनाने का अधिकार

३३—इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मुख्य अनुसंधानकर्त्ता तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उप मुख्य अनुसंधानकर्त्ता से भिन्न, अपने अधिष्ठान के अधिकारियों और सेवकों की संख्या, उनके कर्तव्य और कृत्य तथा उनसे संबद्ध सभी आनुशासनिक विषयों और सेवा की शर्तों के संबंध में विनियम बना सकता है :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१ और उ०प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ और उ०प्र० अधिनियम संख्या ११, १९६६, में आनुषंगिक संशोधन

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा विनियम, जिसमें वित्तीय विषय अन्तर्ग्रस्त हो, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं बनाया जायगा ।

उ०प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६२ १, १९०४

३४—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ४८, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २९, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५, में अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधन होंगे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के आनुषंगिक संशोधन हैं ।

निरसन आदि

३५—(१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

(२) युनाइटेड प्राविन्सेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६, ८ और २४ के उपबन्ध, उक्त अध्यादेश के प्रवर्तन की समाप्ति पर चाहे वह निरसन अथवा कालावधि की समाप्ति के कारण हो, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमित के निरसन पर लागू होते हैं।

(३) उक्त अध्यादेश के अधीन प्रारम्भ की गयी और चाहे उक्त अध्यादेश के प्रवतन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति के पश्चात् जारी रखी गयी सभी कार्यवाहियां, इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी और जारी रखी गयी समझी जायगी ।

अनुसूची

(धारा ३४ देखिये)

१—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६) का संशोधन ।

धारा ४८ में, उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :

"(५) उपधारा (२), (२-ए), (२-बी) और (३) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, किसी सिटी की नगरपालिका का प्रेसीडेंट कदाचार के आधार पर, सिवाय एतत्पश्चात् की गयी व्यवस्था के, न तो निलम्बित किया जायगा और न हटाया जायगा और निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन निलम्बित करने या हटाने के आदेश का वही परिणाम होगा जो, यथास्थिति, उपधारा (३) या उपधारा (४) में उल्लिखित हों :

(ए) राज्य सरकार किसी ऐसे प्रेसीडेन्ट को, जिसके विरुद्ध कोई अभियोग उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अधिनियम १९६७, की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन मुख्य अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, तब तक के लिये निलम्बित कर सकती है जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें ;

(बी) राज्य सरकार किसी प्रेसीडेन्ड को उसके पद से उसी समय हटा देगी ज्यों ही उक्त अधिनियम के अधीन संघटित जांच आयोग उसे कदाचार का दोषी होने के संबंध में उसकी धारा २२ के अधीन अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर दे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "कदाचार" के अन्तर्गत उपधारा (२) के खण्ड (बी) के उप खण्ड (२), (३) (४), (६) या (७) में उल्लिखित कोई आचरण भी है और किसी सिटी की नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट के संबंध, किसी ऐसे आचरण का अभ्यारोप, उक्त अधिनियम प्रयोज्यता के प्रयोजनों के लिये धारा २ के खंड (क) के, अर्थ में अभियोग समझा जायगा ।"

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, २ १९५९) का संशोधन

धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :

"१९—क—नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख का हटाया जाना या निलम्बन : (१) राज्य सरकार, किसी नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख को जिसके विरुद्ध कोई अभियोग उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अधिनियम, १९६७, की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन अनुसंधान के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, तब तक के लिये निलम्बित कर सकती है जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें और इस प्रकार उसे, जब तक वह निलम्बित रहे, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख के रूप में कार्य करने या महापालिका के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकती है।

(२) यदि उक्त अधिनियम के अधीन संघटित कोई जांच आयोग उसकी धारा २२ के अधीन ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित कर, जिसमें नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख को उसकी पदस्थिति के संबंध में किसी कदाचार का दोषी ठहराया जाय तो राज्य सरकार उसे उसके पद से तुरन्त हटा देगी, और इस प्रकार हटाया गया व्यक्ति अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन के लिये पात्र न होगा।"

३—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१) का संशोधन

धारा २९ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "या अपने निहित अधिकारों का दुरुपयोग करना है या अपने कर्त्तव्यों के पालने में अनाचार का दोषी पाया जाय" निकाल दिये जायं ;

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(१-क) यदि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अधिनियम, १९६७ के अधीन संघटित कोई जांच आयोग धारा २२ के अधीन ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करे, जिसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसकी पदस्थिति के संबंध में किसी कदाचार का दोषी ठहराए तो राज्य सरकार उसे उसके पद से उसी समय हटा देगी।"

(३) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) राज्य सरकार किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जिससे उपधारा (१) के अधीन कारण बताने के लिये कहा जाय या जिसके विरुद्ध कोई अभियोग उत्तर प्रदेश सार्वजनकि व्यक्तियों की जांच अधिनियम, १९६७ की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन मुख्य अनुसंधानकर्त्ता को अनुसंधान के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, तब तक के लिये निलम्बित कर सकती है जब तक कि यथास्थित उक्त अधिनियम की उपधारा (१) के अधीन जांच या उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां समाप्त न हो जायं और इस प्रकार उसे, जब तक वह निलम्बित रहे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने या जिला परिषद् के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकती है।"

४—उत्तर प्रदेश सहकारी समति अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६)

धारा ३८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :

'३८-क—किसी केन्द्रीय समिति अथवा शीर्ष समिति के अशासकीय सभापति, उप सभापति, या प्रबन्ध निदेशक का हटाया जाना अथवा निलम्बन—

इस अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (२) या धारा ३८ अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम या किसी समिति की उप-विधियों में किसी बात के होते हुये भी,

(१) राज्य सरकार किसी जिला-स्तर की केन्द्रीय समिति अथवा किसी शीर्ष समिति के किसी अशासकीय सभापति या उप-सभापति या प्रबन्ध निदेशक को जिसके विरुद्ध कोई अभियोग उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अधिनियम, १९६७, की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन अनुसंधान के लिये अभिदिष्ट किया गया हो, तब तक के लिये निलम्बित कर सकती है जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें और इस प्रकार उसे, जब तक वह निलम्बित रहे, इस रूप में कार्य करने या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित कर सकती है।

(२) यदि उक्त अधिनियम के अधीन संघटित कोई जांच आयोग उसकी धारा २२ के अधीन ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करे, जिसमें सभापति, उप सभापति या प्रबन्ध निदेशक को उसकी पदस्थिति के संबंध में किसी कदाचार का दोषी ठहराया जाय तो राज्य सरकार उसे उसके पद से तुरन्त हटा देगी, और इस प्रकार हटाया गया व्यक्ति अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक उस समिति अथवा किसी अन्य समिति का सभापति, उप सभापति या प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचन, पुनः नामांकन या पुनः नियुक्त किये जाने के लिये पात्र न होगा।

(३) किसी भी ऐसे सभापति, उप सभापति या प्रबन्ध निदेशक को उसकी पदस्थिति के संबंध में किसी कदाचार के आधार पर, सिवाय इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार, न तो निलम्बित किया जायगा और न हटाया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "केन्द्रीय समिति" और "शीर्ष समिति" के वही अर्थ होंगे जो अध्याय ६ में दिये गये हैं।

उद्देश्य और कारण

सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध बहुधा की जाने वाली शिकायतों को देखते हुये कुछ दिनों से यह महसूस किया गया है कि ऐसी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिये किसी न किसी मशीनरी की व्यवस्था की जानी चाहिये और यह मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जो जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकें। भ्रष्टाचार पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त संथानम कमेटी तथा प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों ही का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हुआ। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन एक लोकपाल नियुक्त करने का सुझाव दिया, और यह सिफारिश की कि लोकपाल का, सरकार के मंत्रियों तथा सचिवों के विरुद्ध चाहे वे संघ सरकार के हों या राज्य सरकार के, शिकायतों के संबंध में क्षेत्राधिकार होना चाहिये। भारत सरकार ने कमीशन की इन सिफारिशों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया और वह इस निर्णय पर पहुंची है कि लोकपाल योजना में अनेक कमियां हैं, और जहां तक राज्य के सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों का प्रश्न है, संथानम कमेटी की सिफारिशें अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। यह भी महसूस किया गया कि एक ऐसी स्वतंत्र अनुसंधान मशीनरी होनी चाहिये जो जनता का विश्वास पा सके। यह भी उचित समझा गया कि शिकायतों पर जांच करने वाले न्यायाधीशों के चयन में तत्कालीन सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिये, और न ही उस शिकायतों पर अनुसंधान या जांच करने से रोकने का कोई अधिकार होना चाहिये। यह देखा गया कि जब कि सरकार स्थानीय निकायों के दोषी अध्यक्षों या उपाध्यक्षों के विरुद्ध हटाने के लिये कार्यवाही करती है, तो अक्सर राजनैतिक स्वार्थ का दोषारोपण किया जाता है,। अतएव यह महसूस किया गया कि महत्वपूर्ण स्थानीय निकायों के अध्यक्षों या उपाध्यक्षों को कदाचार के आरोपों पर, उस समय तक न हटाया जाय, जब तक कि उनके विरुद्ध स्वतन्त्र रूप से अनुसंधान तथा जांच न कर ली जाय। तदनुसार सरकार ने राज्य विधान सभा के पिछले सत्र में अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान इस आशय की एक घोषणा की थी कि वह इस विषय पर एक कानून तैयार करेगी। योजना के ब्योरों पर अन्तिम निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् दिनांक २१ अक्तूबर, १९६७ को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७ प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को कतिपय परिवर्तनों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११२ एल० ए०—१९६८—८४६।